,vj bafM;k ,vj VªkalikVZ lfoZlsl fyfeVsM

fo"k;&lwph

		i"B la
1.	निदेशक–मंडल	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	4
4.	प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट	13
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	19
6.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	40
7.	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	77
8.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा	78
9.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	79
10.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण	80
11.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां	81

fun'kd&eMy ¼26-12-2018 dks½

श्री प्रदीप सिंह खरोला v/;{k

श्री विनोद हेजमाड़ी

सुश्री गार्गी कौल

श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा

e[; dk;ikyd vf/kdkjh

कैप्टन ए.के. शर्मा

diuh lfpo

श्रीमती पूनम भारवानी

y[kkijh{kd

मैसर्स जैन एण्ड जैन कंपनी
सनदी लेखाकार, मुंबई

cd l

एचडीएफसी बैंक लि.

ith—r dk;ky;

एयरलाइन्स हाउस,
113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली–110 001

v/;{k dk lans'k

fiz; 'ks;j/kkjdks]

मुझे आपके समक्ष कंपनी की वर्ष 2017-18 की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है। एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड भारत में एक अग्रणी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर है और भारत के अधिकांश एअरपोर्टों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है।

कंपनी ने फरवरी, 2013 में प्रचालन शुरू किया और वर्ष 2014-15 के दौरान स्टैंडअलोन प्रचालन से कंपनी ने अपने प्रचालन के पहले वर्ष में शुध्द लाभ अर्जित किया। वर्ष 2017-18 के दौरान भी, एआईएटीएसएल ने 71,04,82,122/- रुपए का निवल लाभ अर्जित किया। यह अत्यधिक सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक रूझान है।

भारत सरकार ने जून 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा की है और यह अपेक्षित था कि इसका भारत के ग्राउंड हैंडलिंग सैक्टर के आकार एवं संरचना पर प्रभाव पडेगा, जिसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा और इससे तीसरी पक्ष हैंडलर्स के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार का आकार बहुत कम समय में ही काफी बढ़ जाएगा। यह पहला अवसर है कि भारत के पास विमानन क्षेत्र पर एकमात्र दूरदर्शी दस्तावेज है, जो स्वागत योग्य है।

daiuh dk fu"iknu

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 2016-17 के 618,71,59,167/- रुपए की तुलना में 667,95,77,588/-. रुपए था। कुल खर्च वर्ष 2016-17 के 566,93,96,474/- रुपए की तुलना में 545,80,86,949/- रुपए था। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का कर पूर्व लाभ 2016-17 के 51,77,62,692/- रुपए की तुलना में 122,14,90,639/- रुपए था। वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित 23,54,27,436 रुपए की तुलना में उक्त अवधि के दौरान अर्जित निवल लाभ 71,04,82,122 रुपए था।

dkjiksjsV lkekftd mRrjnkf;Ro (lh,lvkj)

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति गठित की है और उच्च प्रभाव, टिकाऊ कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान करने के उद्देश्य से सीएसआर नीति बनाई गई है। कंपनी के मुनाफे को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2017-18 के दौरान 1,86,80,693/- रुपए खर्च किए जाने थे। उक्त राशि को ग्रामीण विकास के लिए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। सीएसआर कार्यकलापों पर एक विस्तृत रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है और अनुलग्नक-। पर संलग्न है।

vkHkkj izn'ku

मैं, इस अवसर पर एअर इंडिया लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय को उनके अत्यधिक समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं, बैंकों और विनियामक एजेंसियों सहित अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि हम एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड को बुलंदियों तक ले जाने के लिए प्रगति की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे। मैं बोर्ड के अपने सहयोगियों को उनके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मैं एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को उत्कृष्टता हासिल करने में अपनी टीम की भावना की शक्ति और निरंतरता दुनिया के सामने लाने के लिए किए गए प्रयासों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मैं अपने हर कर्मचारी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की छवि को हमेशा बनाए रखा है।

बोर्ड की ओर से हमेशा की तरह मैं सतत समर्थन की आशा करता हूं।

प्रदीप सिंह खरोला

ifjdYiuk

सभी भारतीय हवाई अड्डौ पर विश्वस्तरीय ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने में अग्रणीय रहते हुए इसे विश्वस्तर तक बढ़ाना।

i"k.k

xkgd

- सुरक्षित, विश्वसनीय और समयानुकूल सेवा प्रदान करना।
- सभी भारतीय हवाई अड्डौ पर उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करना।
- स्टेट- ऑफ- दि- आर्ट रैम्प उपकरण उपलब्ध कराना।
- भारतीय परम्परागत आतिथ्य के शिखर पर पहुंचना।

ifd;k

- सुरक्षा एवम सक्षमता के स्तर में निंरतर सुधार।
- रैम्प उपकरण का निंरतर आधुनिकीकरण एंव उन्नयन।

dVc

- समुत्साहनए योग्य एंव लक्ष्यानिमुख कर्मिको की टीम बनाए रखना।
- कार्य निष्पादन का उच्च स्तर बनाए रखना।

funs'kdksa dh fjiksVZ

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की पंद्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

<u>वित्तीय निष्पादन</u>

(yk[k #i, esa)

foojk.k	2017-18	2016-17
कुल राजस्व	**66795.77**	61871.59
कुल व्यय	**54580.86**	56693.96
असाधारण मद और कर पूर्व लाभ (हानि)	**12214.90**	5177.62
कर पूर्व लाभ (हानि)	**12214.90**	5177.62
वर्तमान कर	**4914.96**	1925.00
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**195.11**	898.35
करोपरांत निवल लाभ (हानि)	**7104.82**	2354.27

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 2016-17 के 618,71,59,167/- रुपए की तुलना में 667,95,77,588/- रुपए था। कुल खर्च वर्ष 2016-17 के 566,93,96,474/- रुपए की तुलना में 545,80,86,949/- रुपए था। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का कर पूर्व लाभ 2016-17 के 51,77,62,692/- रुपए की तुलना में 122,14,90,639/- रुपए था। वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित 23,54,27,436 रुपए की तुलना में उक्त अवधि के दौरान अर्जित निवल लाभ 71,04,82,122 रुपए था।

vU; foÙkh; lwpuk,a

'ks;j iwath:

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 1000,00,00,000/- एक हज़ार करोड़ रुपए) है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 138,42,42,000/- प्रत्येक रु. 10/- के 13,84,24,200 इक्विटी शेयर) का एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा अंशदान किया गया है।

'ks;j iwath esa ifjorZu ;fn dksbZ gks

कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

depZpkfj;ksa dh la[;k

विभिन्न भारतीय स्टेशनों पर एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेसए एलायंस एअर एवं ग्राहक एअरलाइनों की उडानों की हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में कॉन्ट्रेक्ट आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

टर्मिनल प्रबंधक/एअरपोर्ट प्रबंधक/ड्यूटी प्रबंधक/ड्यूटी अधिकारी	14
प्रबंधक-वित्त	6
सहायक नियंत्रक	28
जूनियर एगजीक्यूटिव तकनीकी	37
जूनियर एगजीक्यूटिव -पैक्स हैंडलिंग	48
सीनियर कस्टमर एजेंट	84
कस्टमर एजेंट	1896
जूनियर कस्टमर एजेंट	420
सीनियर रैम्प सर्विस एजेंट	135
रैम्प सर्विस एजेंट	546
यूटिलिटी एजेंट सह रैम्प ड्राइवर	430
सिक्युरिटी एजेंट	1430
सीनियर सिक्युरिटी एजेंट	862
हैंडीमैन	1884
यूटिलिटी सर्विस एजेंट	40
(एमओयू के अनुसार समाहित किया गया)	----------
d|y	7860

vkj{k.k uhfr dk dk;kUo;u:

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निदेशों एवं वर्ष 1991 एवं 1996 में जारी संशोधित निदेशों के अनुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग - 31 मार्च, 2018 को कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति कर्मचारियों का %	अजजा कर्मचारियों की कुल संख्या	अजाजा कर्मचारियों का %	ओबीसी कर्मचारियों की कुल संख्या	ओबीसी कर्मचारियों का %
7860	1691	21.51	406	5.17	1815	23.09

,vj bfM;k ,vj Vkl ikV lfo l s fyfeVM d dk;dyki

नागर विमानन मंत्रालय के निदेशानुसार 31 दिसम्बर, 2016 से सुरक्षा कारणों से आउटसोर्सिंग की अनुमति न होने के कारण, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने सभी 72 एअरपोर्टों पर, जहां एआईएटीएसएल द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग उपलब्ध कराई जाती है, सरकार के निर्णय को कार्यान्वित किया। एआईएटीएसएल में आज की तारीख को जनशक्ति की आउटसोर्सिंग शून्य है।

jktHkk"kk uhfr dk dk;kUo;u

राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी प्रभावी कदम उठा रही है।

;kSu mRihMu

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोक, प्रतिनिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप यौन उत्पीडन प्रतिरोधी नीति है। यौन उत्पीडन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति ;आईसीसी) स्थापित की गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, कॉन्ट्रेक्ट पर, अस्थायी, प्रशिक्षु) इसके अंतर्गत आते हैं।
वर्ष 2017.18 के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

l|puk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dk vu|ikyu

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है।

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने 18 फरवरी, 2014 से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/अपीलों का निपटान करने के लिए अपनी संरचना विकेन्द्रित की है। आवेदनों/अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए 8 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ), 5 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) तथा एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, 43 निवेदन/अपील प्राप्त हुई और सभी का निपटान किया गया।

0;olk; dk Lo:i e i fjorZu

कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ykHkka'k

कंपनी के कारोबार प्रचालन को बढ़ाने की दृष्टि से निदेशक-मंडल किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करते।

nkok ugha fd, x, ykHkka'k dk fuos'kd f'k{kk rFkk lja{kk fuf/k e LFkkukarj.k

चूंकि पिछले वर्षों में भुगतान नहीं किया गया/दावा नहीं किया गया लाभांश नहीं था, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते।

vkjf{kr fuf/k e gLrkarfjr jkf'k

निदेशक-मंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए 71,04,82,122/- रुपए आरक्षित निधि में रखने का निर्णय लिया है/प्रस्ताव दिया है।

lgk;d dEiuh/l;qä m|e/lg;kxh dEifu;k dk C;kjk e lEiuk

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं है।

okLrfod ifjorZu ,o ifrc)rk,

31 मार्च, 2018 एवं बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुई हैं।

funs'kd-eMy dh cBd

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 की अपेक्षानुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के निदेशक-मंडल की निम्नानुसार 6 बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच समय अंतराल को देखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया:

Ø-la-	cSBd dh frfFk	funs'kd eaMy dh la[;k	mifLFkr funs'kdksa dh la[;k
1	19 मई, 2017	4	2
2	15 सितंबर, 2017	4	3
3	7 दिसंबर, 2017	4	4
4	13 दिसंबर, 2017	4	4
5	17 जनवरी, 2018	4	3
6	27 मार्च, 2018	4	3

funs'kdksa dk mÙkjnkf;Ro dFku

कंपनी का निदेशक-मंडल यह पुष्टि करता है कि:

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं है।
2. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं कि वे 31 मार्च 2017 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. यह कंपनी गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, धारा 134(3)(ङ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
5. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं तथा
6. निदेशकों ने सभी विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां निर्धारित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से प्रचालित थीं।

ys[kkijh{kk lfefr

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार निम्न निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति नवंबर 2014 में गठित की गई है: वर्तमान समय में लेखापरीक्षा समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

निदेशक का नामसमिति में धारित पद	निदेशक की श्रेणी	
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष	सरकारी मनोनीत निदेशक
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य	सरकारी मनोनीत निदेशक
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड	सदस्य	अध्यक्ष (मनोनीत निदेशक)
एअर इंडिया मनोनीत निदेशक	सदस्य	मनोनीत निदेशक

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है।

y[kkijh{kd

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए मेसर्स जैन एवं जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंबई को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों/अर्हताओं या प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का स्पष्टीकरण/व्याख्या इसके साथ संलग्न है। वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट स्वत: स्पष्ट हैं और इसके लिए और टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है।

_.k] izfrHkwfr vkSj fuos'k

समीक्षाधीन वर्षावधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिए गए, गारंटियां नहीं दी गईं या निवेश नहीं किए गए हैं और इसलिए अधिनियम की धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

lfpoh; y[kkijh{kd

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स हुसैन वाग और कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध IV के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार हैं:

The Managements' Comments on Secretarial Auditors' observations are as under:

lfpoh; y[kkijh{kdksa dh fVIif.k;k	izca/ku dk mÙkj
कंपनी ने (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, अतः लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई भी बैठकें नहीं की गईं।	एआईएटीएसएल एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 98 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होनी चाहिए और 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और भारत सरकार के निदेशों के अधीन वे ऐसा कर सकते हैं। तद्नुसार, एआईएटीएसएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मामला उठाया गया है।
जहां तक बोर्ड में लेखापरीक्षा समिति एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की संरचना का प्रश्न है, चूंकि कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, अतः कंपनी ने, कंपनी (बोर्ड की बैठकें तथा उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और धारा 178 के प्रावधानों का कंपनी ने अनुपालन नहीं किया है।	कंपनी अधिनियम की धारा 177(2) के प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों के साथ कम से कम 3 निदेशक होंगे। हालांकि एआईएटीएसएल ने निम्न सदस्यों की लेखापरीक्षा समिति गठित की है: अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय — अध्यक्ष संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय — सदस्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया — सदस्य एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा मनोनीत निदेशक — सदस्य

lfpoh; ys[kkijh{kdk dh fVIif.k;k	ica/ku dk mÙkj
	धारा 178 में यथापेक्षित, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति में 3 या उससे अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे, जिनमें से आधे से अनधिक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं। चूंकि इस समय एआईएटीएसएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है अतः नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। हालांकि एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया गया है।

ykxr ys[kkijh{kk

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 22 मई, 2018 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पास प्रस्तुत की गई है। यह लागत लेखा-परीक्षा वर्ष 2016-17 की है और लागत लेखा-परीक्षक मैसर्स मीना गुप्ता एण्ड एसोसिएट्सए सनदी लेखाकार, मुंबई थीं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इसी लागत लेखा-परीक्षक को नियुक्त किया गया है।

egRoi.k rFkk okLrfod vkns'k

वर्ष के दौरान नियामकों, न्यायालयों या द्रिब्यूनलों द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथा वास्तविक आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे गोइंग कन्सर्न स्थिति तथा कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रभाव पडे।

Åtkl lj{k.k, iks|kfxdh lekesyu vkSj fons'kh eqnk vtZu rFkk O;;

(d) Åtkl lj{k.k vkSj iks|kfxdh lekesyu

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के स्वरूप को देखते हुए, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण नहीं प्रस्तुत किए गए हैं।

तथापि, कंपनी ने चेन्नई में 50 कि.वा. पावर क्षमता की ग्रिड से जुडी सौर ऊर्जा प्रणाली छत पर स्थापित की है, जो प्रतिदिन औसतन 220 कि.वा. इलैक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकती है और यह अच्छी तरह काम कर रही है।

([k) fons'kh eqnk vtZu rFkk O;;

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय निम्नानुसार था:

अर्जन	2,39,02,845 अमरीकी डालर
व्यय	1,07,14,483 अमरीकी डालर

dkjikjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro (lh,lvkj)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए नियमों एवं सरकारी उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में कॉरपोरेट सामजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन निम्नानुसार किया है। वर्तमान समय में सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

श्री प्रदीप सिंह खरोला	अध्यक्ष
सुश्री गार्गी कौल	सदस्य
श्री एस.के. मिश्रा	सदस्य
श्री वी. हेज़माडी	सदस्य

श्री प्रदीप सिंह खरोला को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में 12 दिसंबर, 2017 से श्री राजीव बंसल के स्थान पर नियुक्त किया गया है और तदनुसार उसी तारीख से सीएसआर समिति में पर श्री बंसल के स्थान पर श्री खरोला नियुक्त किए गए हैं।

बोर्ड ने 23 मई, 2016 को हुई अपनी बैठक में सीएसआर नीति और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के लिए 1,86,80,693/- रुपए का व्यय अनुमोदित किया। उक्त राशि ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यकलापों पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई आरंभ की गई है।

पिछले वर्ष की कुछ परियोजनाओं को जारी रखा जाएगा और अन्य नई परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

dkjiksjsV 'kklu (xouZsal)

कंपनी ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोडकर कॉरपोरेट शासन (गवर्नेंस) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। विस्तृत कॉरपोरेट शासन (गवर्नेंस) की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से दी गई है।

okf"kZd fooj.kh dk lkjka'k

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन (गवर्नेंस) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक विवरणी का सारांश अनुलग्नक III में संलग्न किया गया है।

deZpkfj;ksa dk fooj.k

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 134(3) (ङ) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

इसके फलस्वरूप, धारा 178(3) के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति एवं अन्य मामलों से संबंधित कंपनी की नीति नहीं उपलब्ध कराई गई है।

इसी प्रकार, धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का नाम एवं अन्य ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण, जिसे पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान/कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया था और नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाते थे, उनका विवरण कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1)/(2) के साथ पठित धारा 197(12) के निबंधनों के अनुसार नहीं उपलब्ध कराया गया है।

चूंकि एआईएटीएसएल सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा सरकारी/डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है, जिसमें योग्यताओं एवं अन्य मामले निर्धारित करने के लिए वेतन मानदंड नियत करना भी शामिल है।

tekjkf'k

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा नहीं स्वीकार किया है।

okf"kZd ewY;kadu

तारीख 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन से संबंधित धारा 134(3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होते, चूंकि निदेशकों का मूल्यांकन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

Lor= funs'kdx.k ,oa ?kks"k.kk

एआईएटीएसएल एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 98 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होनी चाहिए और 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और भारत सरकार के निदेशों के अधीन वे ऐसा कर सकते हैं।

तदनुसार, एआईएटीएसएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मामला उठाया गया है।

ukekadu ,oa ikfjJfed lfefr

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत यथापेक्षित, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति में 3 या उससे अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे, जिनमें से आधे से अनधिक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं।

चूंकि इस समय कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है अतः नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। हालांकि एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त, एआईएटीएसएल एक सरकारी कंपनी है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तारीख 5 जून, 2015 के परिपत्र के अनुसार, निदेशकों से संबंधित धारा 178 (2) (3) (4) की प्रयोज्यता से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

ikfjJfed uhfr

dk;Zikyd funs'kdksa ,oa xSj-dk;Zikyd funs'kdksa dk ikfjJfed

कंपनी के निदेशकों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान तारीख 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते।

tksf[ke izca/ku

कंपनी निम्न उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति बना रही है:

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों की समीक्षा उपलब्ध कराना।
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया तरीका स्पष्ट करना।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करना।
- संस्कृति विकसित करना, जिससे सभी कर्मचारियों को जोखिमों और उससे अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
- मौजूदा एवं योजनाबद्ध तथा न्यूनतम बाधा एवं लागत के साथ समन्वित रूप से नए जोखिमों का पता लगाना, मूल्यांकन करना और प्रबंधन करना।

fun'kdx.k ,oe|[; ic/kdh; dkfed

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी के निदेशकों की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्त होने की तिथि	सेवा समाप्ति का तरीका
1	श्री अश्विनी लोहानी	अध्यक्ष	31.08.2015	23.08.2017	अध्यक्ष के रूप में सेवा समाप्त
2	श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष	23.08.2017	12.12.2017	अध्यक्ष के रूप में सेवा समाप्त
3	श्री प्रदीप सिंह खरोला	अध्यक्ष	12.12.2017		

lcf/kr ikVh l0;ogkj

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ संविदा, अथवा व्यवस्थाएं की, जो सामान्य कारोबार के दौरान निकट संबंधों पर आधारित थी। ये संव्यवहार अधिनियम की धारा 188(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते।

किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के बारे में आम सभा में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी धारा 188 की उप धारा (1) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुकों से छूट सरकारी कंपनी को उपलब्ध कराई गई है।

कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनियों (सरकारी कंपनियों) के साथ वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 400 करोड़ रूपए की अनुमानित राशि की संविदाएं/व्यवस्थाओं को करने के लिए 15 सितम्बर, 2017 को हुई अपनी 62वीं बैठक में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया है।

Hkkjr d fu;=d ,oegkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

vkHkkj

बोर्ड, एअर इंडिया लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

ckM d fy, ,o mudh vkj l

(inhi Çlg [kjkyk)
v/;{k

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 06 नवम्बर, 2018

izc/ku ifjppkZ ,oa fo'ys"k.k fjiksVZ

1. foÙkh; fu"iknu dk fo'ys"k.k

jktLo

- ❖ वर्ष 2016.17 के दौरान अर्जित 618,71,59,167/- रुपए के राजस्व की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल अर्जित राजस्व 667,95,77,588/- रुपए था।

O;;

- ❖ वर्ष के दौरान खर्च पिछले वर्ष के 534,51,37,808/- रुपए की तुलना में कुल खर्च 552,43,46,564/- रुपए था।

2. Hkkoh ifjn`';

एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एआईएटीएसएल 1 फरवरी, 2013 को प्रचालन में आई और कंपनी ने अप्रैल, 2014 से स्वतंत्र प्रचालन आरंभ किए। कंपनी वर्तमान में भारत में 72 एअरपोर्टों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। एअर इंडिया एवं इसकी सहायक कंपनियों की उडानों की हैंडलिंग के अलावा, 35 विदेशी शैड्यूल्ड एअरलाइनों, 4 घरेलू शैड्यूल्ड एअरलाइनों, 3 रीजनल एअरलाइनों, 12 सीगनल चार्टर एअरलाइनों, 22 विदेशी एअरलाइनों, जो नाश्वान कार्गो हैंडलिंग सेवाएं लेती हैं, को भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। वर्ष 2017-18 के दौरान 113307 उडानों (एअर इंडिया एवं उसकी सहायक कंपनियों) एवं शैड्यूल्ड एवं गैर-शैड्यूल्ड ग्राहक एअरलाइनों की 30163 उडानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवा उपलब्ध कराई गई।

इसके अलावा, एआईएटीएसएल को जनवरी, 2018 से प्रचालनात्मक होने वाले केरल के ग्रीनफील्ड कन्नूर एअरपोर्ट पर सेवा प्रदाता के रूप में उपयुक्त पाया गया, जिससे एआईएटीएसएल का राजस्व बढ़ेगा।

एआईएटीएसएल के प्रचालन वित्तीय स्थिति के साथ आने वाले वर्षों में उच्चतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। मुख्य आय अंतरराष्ट्रीय उडानों को हैंडल करने से होती है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन, विदेशी प्रापण के लि, उपलब्ध होगी और कंपनी को राजस्व आय में विदेशी मुद्रा कमाने में भी लाभ होगा। पैन इंडिया की उपस्थिति और अपनी क्षमता से एआईएटीएसएल देश में बा?ार की अगुवा होगी और विदेश में जहां कहीं एअर इंडिया प्रचालन करती है, वहां पर व्यवसाय कर सकेगी।

सीएपीए के अनुसार भारतीय एअरलाइनें अगले 3-6 महीनों में 250-300 विमानों का आर्डर दे सकती हैं। इससे ग्राउंड हैंडलिंग एवं इससे संबद्ध कार्यकलापों में काफी वृध्दि होगी और यह विकास एआईएटीएसएल के लिए लाभप्रद होगा।

3. lrr ljkdkj

कंपनी को 2012-13 से शुध्द लाभ हुआ है, जो 2012-13 में 50,64,197/- रूपए से बढ़कर 2017-18 में 71,04,82,122/- रूपए हो गया है।

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति -2016 के लागू होने के बाद ऐसी आशा है कि भारत का ग्राउंड हैंडलिंग क्षेत्र बिल्कुल रूपांतरित हो जाएगा - लगभग बहुत कम समय में तीसरी पार्टी के हैंडलरों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बा?ार का आकार बहुत बढ़ जाएगा। सीएपीए का अनुमान है कि भारतीय एअरलाइनें अगले 3-6 महीनों में 250-300 विमानों का आर्डर दे सकती हैं। इससे ग्राउंड हैंडलिंग एवं इससे सबंद्ध कार्यकलापों में काफी वृध्दि होगी।

सीएपीए का यह भी अनुमान है कि अगले दस वर्षों में सालाना बाज़ार 1 बिलियन अमरीकी डालर का होगा। एआईएटीएसएल के लिए तीसरी पार्टी ग्राउंड हैंडलिंग में काफी ब?ा बा?ार अवसर होगा, क्योंकि एअरपोर्ट आपरेटरों को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि नई नीति के तहत सभी प्रमुख एअरपोर्टों पर टर्मिनल एवं रैम्प हैंडलिंग दोनों के लिए एअर इंडिया की

सहायक/संयुक्त उद्यम सहित तीन ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां हैं और एआईएटीएसएल को इस विकास से लाभ होगा।

4. ekuo l l k/ku

depkfj;k dh l[;k

31 मार्च, 2018 तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कान्ट्रेक्ट पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या 7860 थी। एअर इंडिया से एआईएटीएसएल में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए और स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 758 और 1530 थी।

5. tkf[ke de dju dh dk;uhfr;k

कंपनी लगातार जोखिम अवधारणाओं की निगरानी करती है और विभिन्न मोर्चों पर जोखिमों को कम करने के लिए निवारक कार्रवाई करती है।

6. vkrfjd fu;=.k i.kkfy;k

सभी प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने एवं कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स ककारिया एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई को आंतरिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया है।

dkjiksjsV 'kklu (xouZsal) ij fjiksVZ

fun'kd-eMy

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की संख्या तीन से बारह के बीच होनी चाहिए।

31 ekpZ 2018 dh fLFkfr dk vuqlkj fun'kd-eMy

श्री प्रदीप सिंह खरोला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष
श्री विनोद हेजमाडी निदेशक (वित्त), एअर इंडिया लिमिटेड	एअर इंडिया मनोनीत निदेशक
सुश्री गार्गी कौल संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक
श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक

श्री राजीव बंसल जिनको 23 अगस्त, 2017 से श्री अश्वनी लोहानी के स्थान पर कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था का कार्यकाल 12 दिसंबर 2017 को समाप्त हो गया और इसी तिथि से श्री प्रदीप सिंह खरोला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी के निदेशक-मंडल में श्री राजीव बंसल द्वारा अध्यक्ष के रूप में दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं की बोर्ड द्वारा सराहना की गई।

वर्ष के दौरान, अध्यक्ष द्वारा निदेशक-मंडल की सभी बैठकों एवं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की गई।

निदेशक-मंडल की बैठकों, वार्षिक आम बैठक, उनमें निदेशकों की उपस्थिति, डायरेक्टरशिप और निदेशकों द्वारा धारित समिति के पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

fun'kd-eMy dh cSBdsa

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक-मंडल की छ: बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं:

19 मई,	2017	(61वीं बैठक)
15 सितम्बर,	2017	(62वीं बैठक)
07 दिसम्बर,	2017	(63वीं बैठक)
13 दिसम्बर,	2017	(64वीं बैठक)
17 जनवरी,	2018	(65वीं बैठक)
27 मार्च,	2018	(66वीं बैठक)

<u>वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति समेत उनका विवरण</u>

fun'kd dk uke	'kS{kf.kd vgZrk,a	o"kZ dh nkSjku vk;ksftr 6 cSBdksa esa mifLFkfr	vU; daifu;ksa esa /kkfjr Mk;jsDVjf'ki	lfefr;ksa esa /kkfjr lnL;rk
श्री अश्वनी लोहानी, अध्यक्ष	मैकेनिकल इंजीनियर एवं फेलो ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट	4	<u>अध्यक्ष</u> एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया इंजि लिमिटेड एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड <u>निदेशक</u> एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड एअर मारिशस लिमिटेड एअर मारिशस होल्डिंग लिमिटेड	<u>अध्यक्ष</u> कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, एआईएटीएसएल <u>सदस्य</u> नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति . एआईएल लेखा परीक्षा समिति. एचसीआई लेखा परीक्षा समिति, एआईएटीएसएल
श्री राजीव बंसल (23.08.2017 से 12.12.2017 तक)	सिविल इजिनियर, आईआईटी डिप्लोमा इन फायनांस, आईसीएफएआईए हैदराबाद एक्स. मास्टर इन इंटरनेशनल विजनेस, आईआईएफटीए दिल्ली	2	<u>अध्यक्ष</u> एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया एक्स लिमिटेड एआईईएल एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड <u>निदेशक</u> एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड एअर मारिशस लिमिटेड एअर मारिशस होल्डिंग लिमिटेड	<u>अध्यक्ष</u> कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितिए एआईएटीएसएल <u>सदस्य</u> नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति . एआईएल लेखा परीक्षा समिति. एचसीआई लेखा परीक्षा समिति, एआईएटीएसएल
श्री प्रदीप सिंह खरोला (12.12.2017 से)	डेवलपमेट प्रबंधन में पीएचडी, मास्टर्स	3	<u>अध्यक्ष</u> एअर इंडिया लिमिटेड एआईईएलए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड <u>निदेशक</u> एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड एअर मारिशस लिमिटेड एअर मारिशस होल्डिंग लिमिटेड	<u>अध्यक्ष</u> कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, एआईएटीएसएल <u>सदस्य</u> नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति . एआईएल लेखा परीक्षा समिति. एचसीआई लेखा परीक्षा समिति, एआईएटीएसएलए एआईसीएल

fun'kd dk uke	'k{kf.kd vgrk,	o"k d nkjku vk;kftr 6 cBdk e mifLFkfr	vU; difu;k e /kkfjr Mk;jDVjf'ki	lfefr;k e /kkfjr lnL;rk
सुश्री गार्गी कौल संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	एम- फिल	4	<u>सरकारी निदेशक</u> एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड	<u>सदस्य</u> लेखापरीक्षा समिति, एआईएल सीएसआर समिति, एआईएटीएसएल <u>अध्यक्ष</u> शेयर आवंटन समिति, एआईएल लेखापरीक्षा समिति, एआईएटीएसएल लेखापरीक्षा समिति, एआईईएसएल लेखापरीक्षा समिति, एचसीआई
श्री सत्येंद्र कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	एम.टेक (अप्लायड जियोलॉजी) एम. ए. (पब्लिक पालिसी)	5	<u>सरकारी निदेशक</u> एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड	<u>सदस्य</u> नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, एआईएल एचआर समिति, एआईएल लेखापरीक्षा समिति, एआईएटीएसएल सीएसआर समिति एआईएटीएसएल लेखापरीक्षा समिति, एआईईएसएल लेखापरीक्षा समिति, एचसीआई
श्री विनोद हेजमाडी एअर इंडिया मनोनीत निदेशक	बी.काम एसीए	4	<u>निदेशक</u> एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया चार्टर्स लिण एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिण एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	<u>अध्यक्ष</u> एचआर समिति, एआईएलए कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी समितिए एआईएक्सएल <u>सदस्य</u> नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, एआईएलए सीएसआर समिति और धारणीय विकास समिति, एआइएल सीएसआर समिति, एआईएटीएसएल शेयर आवंटन समिति, एआईएल लेखा परीक्षा समिति, एआईएटीएसएलए लेखा परीक्षा समिति- एचसीआई लेखा परीक्षा समिति- एआईएक्सएल लेखा परीक्षा समिति- एआईईएसएल लेखा परीक्षा समिति- एएएसएल

ckMZ dh lfefr;k

ys[kk ijh{kk lfefr

कॉरपोरेट शासन (गवर्नेंस) के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं डीपीईई मार्गनिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने नवंबर, 2014 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था।

31 मार्च, 2018 को लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
Jt Secretary, MOCA	सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड	सदस्य
एअर इंडिया मनोनीत सदस्य	सदस्य

इस समिति के विचारार्थ विषय हैं:

- कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना;
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का निरीक्षण एवं निगरानी करना;
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा एवं आंतरिक एवं बाहरी लेखापरीक्षकों के बीच समन्वयन का सुनिश्चित करना तथा यह भी निर्धारण करना कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कंपनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकार के अनुरूप है;
- लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले लेखापरीक्षा के प्रकार एवं कार्यक्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करना;
  - वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना;
  - सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, उस पर प्रबंधन के उत्तर की समीक्षा करना तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाना;
- संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहार का अनुमोदन या कोई संशोधन करना;
- अंतर्निगमित ऋणों एवं विनिवेशों की संवीक्षा करना;
- कंपनी की अंडरटेकिंग्? अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन पद्धतियों का मूल्यांकन करना;
- सार्वजनिक प्रस्तावों एवं संबंधित मामलों के माध्यम से उगाही गई तिथियों के अंतिम उपयोग की निगरानी;
- बोर्ड द्वारा वांछित किसी अन्य विषय पर विचार करना।

fiNy rhu o"kk d nkjku gbl okE"kd vke cBd (, th, e):

, th, e ucj	cBd dh frfFk o le;	LFkku	fo'k"k ldYi
12वीं	28 दिसम्बर 2015 1400 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली - 110001	शून्य
13वीं	21 दिसम्बर 2016 1230 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली - 110001	शून्य
14वीं	07 दिसंबर, 2017 1745 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली - 110001	शून्य

vkpkj lafgrk

?kks"k.kk i=

मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा यथा अंगीकृत आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग द्वारा की गई है ।

¼vf'ouh 'kek½
सीईओ
एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि.

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 6 नवम्बर, 2018

vuqyXud-A

,vj bfM;k ,vj Vkl ikV lfo l fyfeVM
lh,lvkj uhfr

d. i"BHkfe

नए कंपनी अधिनियम, 2013 में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की संकल्पना इसका 'अनुपालन' करने तथा इसकी व्याख्या को अनिवार्य बनाने के माध्यम से शुरू की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से प्रत्येक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लिमिटेड, जिसका शुध्द मूल्य 500 करोड़ रुपए अथवा 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपए का शुध्द लाभ है, को अपने पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुध्द लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करना होगा। सीएसआर कार्यकलाप कारोबार की सामान्य कार्यविधि में नहीं की जानी हैं और अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी कार्यकलाप से संबंधित होने चाहिए। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में सीएसआर कार्यकलापों की रूपरेखा और उसके तौर-तरीके दिए गए हैं।.

[k. lh,lvkj uhfr

I. <u>उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र</u>

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) के लिए मार्ग निर्देश तैयार करना है, ताकि सीएसआर को एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए, जिसमे उच्च क्षमता और धारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को सकारात्मक सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित हो।

एआईएटीएसएल कंपनी के प्रचालन क्षेत्र यथा एअरपोर्ट एवं नगर कार्यालय में एवं उसके आसपास सीएसआर कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करेगी। एआईएटीएसएल सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत तक इन स्थानीय कम्युनिटी? के लिए आबंटित करने के लिए प्रतिबध्द है ।

एआईएटीएसएल सामाजिक पूंजी का निर्माण करने के लिए समाज के कमजोर, उपेक्षित एवं मार्जिनलाइज्ड वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों को कार्यान्वित करेगी ।

II. <u>सीएसआर संगठन ढांचा</u>

क) <u>सीएसआर समिति</u>

कंपनी की बोर्ड स्तर की उप समिति होगी, जिसे इसके बाद सीएसआर समिति कहा जाएगा। इस समिति में तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक यदि कोई हो, होगा। सीएसआर समिति की भूमिका/उत्तरदायित्वों में निम्न कार्य शामिल होगाः

(I) सीएसआर नीति तैयार करना व अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष सिफारिश करना।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप्प् में उल्लिखित सीएसआर कार्यकलापों की सिफारिश करना।

(iii) उपर्युक्त खंड (पप) में संदर्भित कार्यकलापों पर होने वाले व्यय के लिए सीएसआर बजट की सिफारिश।

(iv) निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद सीएसआर कार्यकलापों के लिए आबंटित राशि खर्च करना।

(v) कंपनी की सीएसआर नीति की समय-समय पर मॉनीटरिंग करना।

(vi) सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी मानीटरिंग प्रणाली बनाना।

(vii) प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए एवं उससे अधिक के आर्थिक मूल्य की परियोजनाएं/ कार्यक्रम/ कार्यकलापों को अनुमोदित करना।

(viii) किसी भी मूल्य की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप अनुमोदित करना, जोएआईएटीएसएल के फोकस क्षेत्र के बाहर हों ।

ख) <u>सीएसआर कार्य समिति</u>

सीएसआर कार्य समिति के सदस्यगण निम्न होंगे:

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष

(ii) वित्त प्रमुख

(iii) कार्मिक प्रमुख

(iv) कंपनी सचिव

सीएसआर कार्य समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में शामिल है:

(I) विभिन्न स्थानों से प्राप्त सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के लिएप्रस्तावों की समीक्षा करना।

(ii) अनुमोदित आबंटित बजट में से 10 लाख रुपए से कम मूल्य के प्रस्तावों को अनुमोदितकरना।

III. सीएसआर के फोकस के क्षेत्र - परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप

(क) एआईएटीएसएल सीएसआर के फोकस क्षेत्र की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप बाल, महिला एवं समाज के कमजोर वर्ग के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित हैं और बाल अधिकार, बाल विकास एवं शिक्षा, राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एवं समाज/ग्रामीण विकास पर बनी नीतियों पर आधारित कानूनों से प्रेरणा प्राप्त करती है।

(ख) कंपनी का प्रस्ताव अपनी सीएसआर कार्यकलाप निम्न क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का है:

- शिक्षा
- कौशल विकास
- पर्यावरण एवं सामाजिक विकास
- पीने का पानी
- ग्रामीण विकास
- शिशु देखभाल
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
- कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं विकास
- पब्लिक पुस्तकालय
- पारंपरिक कला एवं हैंडीक्राफ्टस संवर्धन एवं विकास
- खेलकूद

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का विस्तृत ब्रेक-अप प्राधिकार मैनुअल की सीमाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा ।

(घ) उपर्युक्त के अलावा अन्य क्षेत्र में किसी परियोजना/कार्यक्रम/कार्यकलापों को करने से पहले सीएसआर समिति का अनुमोदन लिया जाएगा।

(ङ) ये परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप निम्न में से किसी भी स्थान पर की जाएंगी:

- एआईएटीएसएल प्रचालन क्षेत्र/स्थान के समीप के क्षेत्र में
- योजना आयोग द्वारा चिन्हित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) जिलों में
- जहां एआईएटीएसएल का स्ट्रैटेजिक संबंध है

(च) सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप का कार्यान्वयन भागीदारों/विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। कार्यान्वयन भागीदार के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैः

- कोई पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी या कोई विशिष्ट एजेंसी, जिसे पंजीकरण के पश्चात इस प्रकार की कार्यकलापों की हैंडलिंग में तीन वर्ष का अनुभव हो ।
- किसी सरकारी निकाय अथवा पब्लिक सैक्टर उद्यम में कार्य करने का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी ।

तथापि, कार्यान्वयन भागीदार का चयन करते समय चयन प्राधिकारी आवेदक से अनिवार्य आधार पर किसी अन्य योग्यता की मांग कर सकता है।

IV. सीएसआर बजट/सीएसआर व्यय

(I) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एआईएटीएसएल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों केदौरान कंपनी के शुध्द लाभ का औसतन कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर बजट के रूप मेंअलग रखेगी ।

(ii) बजटीय आबंटनः

(क) बजट का कम से कम 60 प्रतिशत प्रोजेक्ट मोड में कार्यकलापों के लिए आबंटित कियाजाएगा ।

(ख) कैपेसिटी बिल्डिंग एवं कम्यूनिकेशन के लिए बजट की 5 प्रतिशत तक राशि आबंटितकी जाएगी ।

(ग) शेष बजट एक बार अथवा अन्य सामाजिक कार्यकलापों के लिए होगा ।

(घ) यदि कंपनी किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बजट व्यय नहीं करती, तो समिति को राशि व्यय नकरने के कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशक मंडल के पास लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लेख बोर्ड द्वारा उस वित्तीय वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट में कियाजाएगा। सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कारण हुआ कोई अतिरिक्तव्यय कंपनी के कारोबार लाभ का हिस्सा नहीं होगा ।

V. <u>मानीटरिंग प्रणाली</u>

(I) मानीटरिंग प्रक्रिया दो स्तरीय तंत्र होगा जो इस प्रकार होगा

(क) तिमाही आधार पर सीएसआर समिति ।

(ख) सीएसआर वर्किंग समिति एवं एंटीटि? के प्रतिनिधिगण, जिनके साथ कंपनी जुड़ना चाहती है, वे सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग का सुनिश्चय करेंगे। वे समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ कार्यकलापयो की प्रगति के बारे में सीएसआर समिति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ii) उपर्युक्त के अलावा, वर्ष के अंत में बृहत परियोजनाओं के थर्ड पार्टी प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा।

VI. <u>सीएसआर नीति एवं कार्यक्रमों का प्रकाशन</u>

सीएसआर नियमों के अनुसार, सीएसआर नीति की विषय-वस्तु निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी औरउसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा ।

VII. <u>नीति समीक्षा एवं भावी संशोधन</u>

समिति अपनी सीएसआर नीति की वार्षिक समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुधार करेगी तथाउसे बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी ।

,vj bfM;k ,vj VkliksV lfoZl fyfeVsM
lh,lvkj dk;Zdykiksa ij fjiksVZ

foÙkh; o"kZ 2017-18

1 dk;kZfUor dh tkus okyh ifj;kstukvksa/dk;ZØeksa dh :ijs[kk lfgr dEiuh dh lh,lvkj uhfr dh laf{kIr :ijs[kk vkSj lh,lvkj uhfr ,oa ifj;kstukvksa vFkok dk;ZØeksa ds oc-Çyd dk lanHkZ

- कंपनी के निदेशक मंडल ने एक सीएसआर नीति अपनाई है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, बाल और महिला स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सीएसआर कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जाना शामिल है। कंपनी की नीति उच्च प्रभाव, सतत कार्यक्रमों द्वारा समाज में सकारात्मक योगदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। सीएसआर बजट का कम से कम 60 प्रतिशत परियोजना मोड में सीएसआर कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाएगा। कंपनी सामाजिक उत्थान के लिए कमजोर, अपेक्षित और मार्जिनलाइज्? वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों का कार्यान्वयन करेगी।

- सीएसआर फोकस क्षेत्र परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित हैं और सीएसआर नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इन कार्यकलापों को कंपनी के प्रचालन क्षेत्र, योजना आयोग द्वारा चिन्हित बीआरजीएफ जिलों और जहां कंपनी के रणनीतिक संबंध थे, उन क्षेत्रों में किया जा सकता है।

- सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का कार्यान्वयन भागीदारों/विशेष एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिनका चयन निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाएगा।

2 lh,lvkj lfefr dh lajpuk

हमारी कंपनी में बोर्ड समिति (सीएसआर समिति) है, जो अन्य कार्यों के साथ सीएसआर नीति तैयार करती है, बोर्ड के अनुमोदन के लिए सीएसआर बजट की सिफारिश करती है, 50 लाख एवं उससे अधिक के मौद्रिक मूल्य की सीएसआर परियोजनाओं को अनुमोदित करती है और सीएसआर नीति की मानीटरिंग करती है ताकि यह सुनिश्चय हो कि सीएसआर उद्देश्यों को पूरा किया गया है। सीएसआर समिति में निम्न शामिल हैं

श्री प्रदीप सिंह खरोला	अध्यक्ष
सुश्री गार्गी कौल	सदस्य
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	सदस्य
श्री वी. हेजमाड़ी	सदस्य

3 fiNys rhu foÙkh; o"kksZa dk dEiuh dk vkSlr 'kq/n ykHk

93,40,34,634 रुपए (तिरानबे करोड़ चालीस लाख चौतीस हजार छ: सौ चौतीस रुपए मात्र)

4 fu/kkZfjr lh,lvkj O;; (mi;qZä en 3 esa n'kkZbZ jkf'k dk nks izfr'kr)

रू. 1,86,80,693/- (रुपए एक करोड़ छियासी लाख अस्सी हज़ार छ सौ तिरानबे मात्र)। हालांकि वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 1,39,99,952/- (एक करोड़ उनतालिस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ बावन रुपए मात्र) की राशि खर्च की जानी थी, लेकिन यह खर्च नही की जा सकी, वर्ष 2017.18 के दौरान, रु. 3,26,80,645/–रुपए तीन करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार छ सौ पैतालिस मात्र) की राशि खर्च करने का प्रस्ताव था ।

5 foÙk o"kZ esa 0;; dh xbZ lh,lvkj jkf'k

(d) foÙk o"kZ esa 0;; dh tkus okyh dqy jkf'k

वर्ष 2017-18 के दौरान, रु. 3,26,80,645/- (रुपए तीन करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार छ सौ पैतालिस मात्र) की राशि खर्च करने का प्रस्ताव था लेकिन रु. 1,39,99,952/- (एक करोड़ उनतालिस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ बावन रुपए मात्र) की राशि खर्च की जानी थी, लेकिन यह खर्च नही की जा सकी।

([k) 0;; u dh xbZ jkf'k] ;fn dksbZ

रु. 1,39,99,952/- (रुपए एक करोड़ उनतालीस लाख निन्यानवे हजार एवं नौ सौ बावन मात्र) वर्ष 2016-17 के दौरान खर्च किए जाने थे किंतु 84,11,353 रुपए (चौरासी लाख ग्यारह हजार तीन सौ तिरपन रुपए मात्र) की राशि खर्च नही की जा सकी। जिससे 55,88,599 रुपए (पचपन लाख अठठासी हजार पाच सौ निन्यानबे रुपए मात्र) की राशि शेष बच गई। तदनुसार, 3,82,69,244 रुपए (वर्ष 2017-18 के रुपए 55,88,599 और 1,86,80,693 रुपए) वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय नही किए जा सके।

(x) foÙk o"kZ dk nkSjku fd, x, i znkj jkf'k 0;; dh xbZ

संलग्न अनुलग्नक देखें

6 ;fn dEiuh fiNys rhu foÙkh; o"kksZa dk vkSlr 'kq/n ykHk dh nks izfr'kr jkf'k ;k mlds fdlh Hkkx dks 0;; ugha djrh] rks dEiuh dks viuh cksMZ fjiksVZ esa 0;; u dh xbZ jkf'k ds dkj.kksa mYys[k djuk gksxk

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर 3,26,80,645/- (रुपए तीन करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार छ सौ पैतालिस मात्र) (वर्ष 2017-18 के रुपए 55,88,599 और 1,86,80,693 रुपए) व्यय करने थे। वर्ष 2016-17 के दौरान खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित 1,39,99,952/- रुपए में से 84,11,353 रुपए की धनराशि 5 केवीपी एसपीवी पावर प्लांट, 3 1200 वीपी एसपीवी वाटर पंपिंग सिस्टम लगाने और समग्र विकास के लिए सीएसआर कार्यकलाप करने हेतु निर्धारित राजस्थान के अलवर जिले के मिलकपुर तुर्क गांव के मिडिल/सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छत पर 250 एसपीवी एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सप्लाई और संस्थापन में व्यय किया गया।

शेष 55,88,599 रुपए (वर्ष 2016-17) और 1,96,80,693 रुपए (वर्ष 2017-18) की धनराशि को उक्त गांव में महिलाओं के लिए सिलाई केंद हेतु कमरे का निर्माण करने (कौशल विकास), प्राइमरी स्कूलों में किचन को उन्नत बनाने और आधुनिकीकरण करने, और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में कमरो और शौचालयों का निर्माण करने में किया जाएगा।

7 lh,lvkj lfefr dk mÙkjnkf;Ro dFku fd lh,lvkj uhfr dk dk;kZUo;u ,oa dEiuh ds lh,lvkj mn~ns';ksa ,oa dEiuh dh uhfr ds vuqikyu esa gSA

हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार सीएसआर नीति कार्यान्वित की गई है और हमारे सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन में सीएसआर समिति सीएसआर परियोजनाओं एवं कार्यकलापों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करती है ।

—rs ,vj bafM;k ,vj VªkalikVZ lfoZlsl fyfeVsM

gLrk./-
inhi çlg [kjkyk
v/;{k-lh,lvkj lfefr

gLrk./-
vf'ouh 'kekZ
eq[; dk;Zikyd vf/kdkjh

lh, lvkj xfrfof/k;ksa ij ifj;kstuk fjiksVZ dk vuqyXud

(jkf'k #i, esa)

Øe la-	lh, lvkj ifj;kstuk ;k xfrfof/k	ftl lsDVj esa ifj;kstuk gS	ifj;kstuk ;k dk;ZØe dk LFkku	jkf'k ifjO;; ¼ctV½	ifj;kstukvksa ;k dk;ZØeksa ij O;; dh xbZ jkf'k
(1)	**(2)**	(3)	(4)	(5)	(6)

(i) ifj;kstukvksa@dk;ZØeksa ij O;;

1	गांव के समग्र विकास के लिए महिला सशक्तीकरण, बाल शिक्षा, महिला एवं बाल स्वास्थ्य सुविधाएं	ग्रामीण विकास	मिलकपुर तुर्क इन अलवर जिला राजस्थान	रु. 1,86,80,693/- (2017-18) + रु. 1,39,99,952/- (2016-17) कुल - रु. 3,26,80,645/-	रु. 84,11,353/-

(ii) mi&ifjO;;

—rs ,vj bafM;k ,vj VkalikVZ lfoZlsl fyfeVsM

gLrk./-
inhi çlg [kjkyk
v/;{k-lh,lvkj lfefr

gLrk./-
vf'ouh 'kekZ
eq[; dk;Zikyd vf/kdkjh

vuqyXud - III

वर्ष 2017—18 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014
के नियम 12(1) के अनुसरण में

31-03-2017 dks lekIr foRrh; o"kZ dk
QkeZ la[;k ,eth&Vh 9 & okf"kZd fooj.kh lkj m)j.k

I. iathdj.k rFkk vU; fooj.kh:

1.	सीआईएन	यू63090डीएल2003पीएलसी120790
2.	पंजीकरण की तारीख	9 जून, 2003
3.	कंपनी का नाम	एआर इंडिया एआर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	सरकारी कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001·
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	जी, नहीं
7.	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. dEiuh dh izeq[k O;kolkf;d xfrfof/k;k (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

Øa-la-	eq[; mRikn@lsokvksa dk uke rFkk fooj.k	mRikn@lsok dk ,uvkbZlh dksM	dEiuh ds dqy VuZvksoj dk %
	वायु परिवहन की नैमित्तिक सेवा गतिविधियां	522	100

III. gksfYMax] lgk;d rFkk lg;ksftr dEiuh dk fooj.k:

Øa-la-	dEiuh dk uke ,oa irk	lhvkbZ,u@thvkbZ,u	gksfYMax@lgk;d@lg;ksftr	'ks;jksa dk %	ykxw /kkjk
1	एआर इंडिया लिमिटेड 113 एयरलाइन्स हाऊस, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001.	यू62200डीएल2007जीओआई161431	होल्डिंग	100%	2 (46)

IV. 'k;j /kkfjrk dk iSVuZ (dqy bfDoVh ds izfr'kr ds :i esa bfDoVh 'ks;j iwath dk C;kSjk)

'k;j/kkjdksa dh Js.kh	o"kZ ds vkjEHk esa /kkfjr 'k;jksa dh la[;k ¼01-04-2017 dks½				o"kZ ds var esa /kkfjr 'k;jksa dh la[;k ¼31-03-2018 dks½				o"kZ ds nkSjku % esa ifjorZu
	fMesV	okLrfod	dqy	dqy 'k;jksa dk %	fMesV	okLrfod	dqy	dqy 'k;jksa dk %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) वैयक्तिक / हिंदू संयुक्त परिवार									
(ख) केन्द्र सरकार									
(ग) राज्य सरकार (रें)									
(घ) निगमित निकाय	-	138424200	138424200	100		138424200	138424200	100	
(ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान									
(च) कोई अन्य									
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता		138424200	138424200	100	-	138424200	138424200	100	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	लागू नहीं								
1. संस्थाएं									
(क) म्युचुअल फंड / यूटीआई									
(ख) बैंक / वित्तीय संस्था									
(ग) केन्द्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार (रें)									
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) वित्तीय संस्थान									
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
(झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक									
उप–जोड़ (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Js.khokj 'ks;j /kkfjrk

'ks;j/kkjdksa dh Js.kh	o"kZ ds vkjEHk esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k ¼01-04-2017 dks½				o"kZ ds var esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k ¼31-03-2018 dks½				o"kZ ds nkSjku % esa ifjorZu
	fMesV	okLrfod	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	fMesV	okLrfod	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	
2. xSj&lLFkk,a	लागू नहीं								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) वैयक्तिक									
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
i) अनिवासी भारतीय									
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित									
iii) कार्यालय पदधारक									
iv) निदेशकगण									
v) हिंदु संयुक्त परिवार									
vi) विदेशी निगमित निकाय									
vii) विदेशी नागरिक									
viii) क्लीयरिंग सदस्य									
ix) न्यास									
x) विदेशी निकाय – डी आर									
उप–जोड़ (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dqy lkoZtfud 'ks;j/kkfjrk **([k) = ([k)(1)+([k)(2)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x- thMhvkj ,oa ,Mhvkj ds fy, vfHkj{kd }kjk /kkfjr 'ks;j	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)		138424200	138424200	100		138424200	138424200	100	

[k) iorld dh 'k;j/kkfjrk-

Ø l-	'k;j/kkjd dk uke	o"k d vkjHk e 'k;j/kkfjrk			o"k d vr e 'k;j/kkfjrk			o"k d nkjku 'k;j/kkfjrk e % ifjorlu
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %	fxjoh j[k x, 'k;j@Hkkjxlr 'k;jk dk %	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %	fxjoh j[k x, 'k;j@Hkkjxlr 'k;jk dk %	
1	एअर इंडिया लिमिटेड	138424200	100	शून्य	138424200	100	शून्य	

x) iorld dh 'k;j/kkfjrk e ifjorlu (;fn dkbl ifjorlu ugh g] rk d i;k Li"V dj)

Ø l-	fooj.k	o"k d vkjHk e 'k;j/kkfjrk		o"k d vr e lfpr 'k;j/kkfjrk	
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %
	o"k d vkjHk e				
	एअर इंडिया लिमिटेड	138424200	100	138424200	100
	o"k d vr e				
	एअर इंडिया लिमिटेड	138424200	100	138424200	100

?k) nl 'kh"k 'k;j/kkjdk dh 'k;j/kkfjrk dk iVul :(fun'kdx.k] iorld rFkk thMhvkj ,o ,Mhvkj d vykok):

Ø- l.	10 'kh"k 'k;j/kkjdk e l iR;d d fy,	o"k d vkjHk e 'k;j/kkfjrk		o"k d vr e lfpr 'k;j/kkfjrk	
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %
1	लागू नहीं				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

³) fun'kdk rFkk e[; ic/kdh; dkfeZdk dh 'k;j/kkfjrk:

Ø- l.	iR;d fun'kdx.k rFkk iR;d e[; ic/kdh; dkfeZdk dh 'k;j/kkfjrk	o"k d vkjHk e /kkfjr 'k;j		o"k d vr e /kkfjr lfpr 'k;j/kkfjrk	
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %
1	श्री प्रदीप सिंह खरोला (एअर इंडिया लिमिटेड के मनोनीत)	1	0	1	0
2	श्री विनोद हेज़माडी (एअर इंडिया लिमिटेड के मनोनीत)	1	0	1	0
	dy	2	0	2	0

V. _.kxLrrk & cdk;k C;kt@vftr ijr Hkxrku d fy, n; ugh lfgr diuh dh _.kxLrrk

(djkM #i, e)

	tek dk NkM+dj jf{kr _.k	vjf{kr _.k	tek	dy _.kxLrrk
foRrh; o"k d vkjHk e _.kxLrrk	0	0	0	0
i) ey jkf'k	0	0	0	0
ii) Hkxrku u fd;k x;k n; C;kt	0	0	0	0
iii) ikn+Hkr C;kt ijr n; ugh	0	0	0	0
dy (i+ii+iii)	0	0	0	0
foRrh; o"k d nkjku _.kxLrrk e ifjorZu	0	0	0	0
* ifjo/ku	0	0	0	0
* deh	0	0	0	0
fuoy ifjorZu	0	0	0	0
foRrh; o"k d vr e _.kxLrrk	0	0	0	0
i) ey jkf'k	0	0	0	0
ii) Hkxrku u fd;k x;k n; C;kt	0	0	0	0
iii) ikn+Hkr C;kt ijr n; ugh	0	0	0	0
dy (i+ii+iii)	0	0	0	0

VI. fun'kdk rFkk e[; ic/kdh; dkfeldk dk ikfjJfed

d. ic/k fun'kd] i.kdkfyd fun'kdk rFkk@;k ic/kd dk fn;k tku okyk ikfjJfed:

(अंकों में)

Ø- l-	ikfjJfed dk fooj.k	ic/k fun'kd@i.kdkfyd fun'kd@ic/kd dk uke					dy jkf'k
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ						
2	स्टॉक विकल्प						
3	स्वेट इक्विटी						
4	अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें						
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)						
	कुल ¼d½						
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

* diuh e dkbl ic/k fun'kd] i.kdkfyd fun'kd ugh g A

[k- vU; fun'kdk dk ikfjJfed

Ø- l-	ikfjJfed dk fooj.k	fun'kdk d uke					dy jkf'k
1	स्वतंत्र निदेशक						
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क						
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	-	-	-	-	-	-
	कुल ¼1½	-	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल ¼2½	-	-	-		-	-
	कुल ¼[k½ = ¼1 + 2½	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

x- ikfjJfed dk fooj.k

x- izcU/k funs'kd@izcU/kd@iw.kZdkfyd funs'kdksa ds vykok eq[; izcU/kdh; dkfeZdksa dk ikfjJfed (vkadM+s #i;ksa esa)

Øe l a.	ikfjJfed dk fooj.k	eq[; izcU/kdh; dkfeZd			
		eq[; vf/k'kklh vf/kdkjh	daiuh lfpo	eq[; foRr vf/kdkjh	eq[; vf/k'kklh vf/kdkjh
1	सकल वेतन		**	**	-
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		-	-	
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	
4	कमीशन	-	-	-	
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	
	कुल		-	-	

* ljdkjh daifu;ksa ds fy, ykxw ugha A dsoy eq[; foRr vf/kdkjh rFkk daiuh lfpo eq[; izcU/kdh; dkfeZd gSA

** mi izcU/kd&fuxfer dk;Z ,vj bafM;k fyfeVsM ds in dh ftEesnkfj;ksa ds vykok daiuh lfpo dk in Hkh lEHkky jgh gSA

VII nM@ltk@vijk/kksa dh daikmafMax

izdkj	daiuh vf/kfu;e dh /kkjk	laf{kIr fooj.k	nM@ltk@ daikmafMax Qhl dk fooj.k	izkf/kdj.k ¼vkjMh@,ulh,yVh@dksVZ½	vihy] ;fn dh xbZ gS ¼fooj.k nsa½
क. कंपनी					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ख. निदेशकगण					
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

Qkel ua- ,evkj-3
31 ekpl] 2018 dks lekIr foRrh; o"kl dk fy,
lfpoh; ys[kkijh{kk fjiksVl
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्यगण,
एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
सीआईएन–यू63090डीएल2003पीएलसी120790
एयरलाइन्स हाउस,
113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली – 110001.

मैंने एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (सीआईएन यू63090डीएल2003पीएलसी120790) (इसके बाद 'कंपनी' के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सका ।

कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए ('लेखापरीक्षा अवधि') इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन, कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद है :

मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं शर्तें तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम (जहां तक वे लागू हों);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप विधियां (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा निर्देश :–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षां) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) एवं;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(vi) कंपनी की अभिभावी अनुपालन प्रणाली पर ध्यान देते हुए और कंपनी के पदनामित अधिकारियों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण–पत्रों / प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र के आधार पर कंपनी ने कंपनी पर विशेष रूप से लागू निम्न विधियों का अनुपालन किया है :

(क) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

(ख) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

(ग) कार्यस्थल पर (रोक, प्रतिषेध और निवारण) महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और प्रतिनिधित्व के आधार पर, मेरी राय में, कंपनी में मॉनीटरिंग एवं श्रम कानून सहित लागू सामान्य कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चय करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और प्रक्रियाएं मौजूद हैं ।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून और वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों के रखरखाव जैसे लागू वित्तीय कानून का कंपनी द्वारा अनुपालन करने की समीक्षा इस लेखा–परीक्षा में नहीं की गई है, क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखा–परीक्षा एवं अन्य नामांकित पेशेवरों की समीक्षा के अधीन है ।

मैंने निम्न प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(I) निदेशक–मंडल की बैठकों (एसएस–1) तथा आम बैठकों (एसएस–2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक ।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ किए गए इक्विटी लिस्टिंग करार एवं ऋण लिस्टिंग करार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग की बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (कंपनी पर लागू नहीं)

समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने निम्न प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है :

I. कंपनी ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, अतः लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक नहीं हुई ।

ii. जहां तक लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना का प्रश्न है, चूंकि कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की, अतः कंपनी ने कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और धारा 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया ।

iii. 14 सितम्बर, 2016 तथा तारीख 08 फरवरी, 2017 को आयोजित बोर्ड बैठकों के बीच अंतर 120 दिनों से अधिक था जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) का उल्लंघन है ।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में इसके ऊपर जो कुछ उल्लेख किया गया है, के अधीन निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए ।

बोर्ड की बैठकों के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए और बैठक के पहले और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण लेने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है ।

प्रबंधन द्वारा जैसा प्रतिनिधित्व किया गया, बोर्ड की बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए ।

जैसाकि हमें अभ्यावेदन मिला और हमें स्पष्ट किया गया, मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने एवं उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर संदर्भित कानून, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई जिसका कंपनी के मामलों पर भारी प्रभाव पड़े ।

हस्ता./–
हुसैन वाई. वाघ
(आईसीएसआई
यूनिक कोड एस2013एमएच227200)

एसीएस संख्या : 32996
व्यवसाय प्रमाण–पत्र संख्या – 12153

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 6 नवम्बर, 2018

यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो 'परिशिष्ट क' के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है ।

सेवा में
सदस्यगण,
एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
सीआईएन–यू63090डीएल2003पीएलसी120790
एयरलाइन्स हाउस,
113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली – 110001.

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

2. मैंने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है । सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों । मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं ।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है ।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है ।

5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारा परीक्षण, परीक्षण जांच के आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित था ।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है ।

हस्ता. /–
हुसैन वाई. वाघ
(आईसीएसआई
यूनिक कोड एस2013एमएच227200)

एसीएस संख्या : 32996
व्यवसाय प्रमाण–पत्र संख्या – 12153

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 6 नवम्बर, 2018

, vkbl, Vh, l , y

, vj bfM;k , vj Vkl ikV lfol l fyfeVM dh 31 ekp 2018 dk lekIr o"k d foÙkh; fooj.k ij dEiuh vf/kfu;e 2013 dh /kkjk 143¼6½ ¼ch½ d vrxr Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk ijh{kd dh fVif.k;kA

, vj bfM;k , vj Vkl ikV lfol l fyfeVM की 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतगर्त निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। अधिनियम की धारा 139(5)के अंतगर्त भारत के नियंत्रक एवम महालेखा परीक्षक के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरण पर अधिनियम की धारा 143(10) के अनुरूप लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण मानक के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर विचार व्यक्त करने केलिए उत्तरदायी है।यह व्यक्त किया गया है कि उनके 6 नवंबर, 2018 के लेखापरीक्षण रिपोर्ट के द्वारा इसे किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के अनुरूप अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रचलित प्रलेखों की अभिगम्यता के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है ओर यह सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रारंभिक पृच्छाओं और कम्पनी कार्मिक तथा कतिपय लेखा अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है, जिस पर टिप्पणी की जाय अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत अनुपूरित किया जाए।

Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk ijh{kd d fy, vkj mudh vkj l

हस्ताक्षर/–

¼çkph ik.M;½

çe[k fun'kd okf.kfT;d ys[kk ijh{k.k ,o

inu lnL; ys[kk] ijh{k.k ckM&1]ubl fnYyh

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 दिसंबर, 2018

,vj bfM;k ,vj Vkl ikV lfo ls l fyfeVM ds lnL;ks ds fy, Lor= ys[kk ijh{kdks dh fjiksV

lsok es

lnL;

,vj bfM;k ,vj Vkl ikV lfo ls t fyfeVM

LVMvyksu bM ,,l foÙkh; fooj.kks ij fjiksV

हमने ,vj bfM;k ,vj Vkl ikV lfo ls l fyfeVM (,vkbl,Vh,l,y) (कंपनी) के संलग्न स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण एवं समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी मे परिवर्तन के विवरण के साथ विशिष्ट लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है।

LVMvyksu bM ,,l foÙkh; fooj.kks ij izca/ku dk mÙkjnkf;Ro

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में दिए गए विषयों के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के साथ साथ वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग करनेय युक्तिसंगत और बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेने एवं अनुमान लगाने तथा सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करने वाले स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण जो धोखाधड़ी और गलती के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त हों, को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की यथार्थता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन बनाने, कार्यान्वयन करने तथा इसका रखरखाव करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पर्याप्त लेखा रिकार्डों का रखरखाव करना शामिल है।

ys[kkijh{kdks dk nkf;Ro

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों और और उन मामलों को ध्यान में रखा है जो अधिनियम के प्रावधानों और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों की अपेक्षा होती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं एवं योजना का अनुपालन करें और यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा करें कि स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण वास्तविक असत्य कथन से मुक्त हों ।

किसी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियां शामिल होती हैं। चुनी गई क्रियाविधि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के वास्तविक असत्य कथन के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर होता है, चाहे यह असत्य कथन धोखाधडी के कारण हो या गलती के कारण हो। उन जोखिम मूल्यांकनों के लिए लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है, जो लेखापरीक्षा क्रियाविधियों को डिजाइन करने के उद्देश्य से सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हो, लेकिन इस विषय पर राय व्यक्त करने के लिए न हों कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनगत प्रभावकारिता मौजूद है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी क्वालिफाइड लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उपयुक्त होंगे।

DokfyQkbM jk; dk vk/kkj

1. o"kl dk nkSjku eky lwph (bUosUVjh) (th,,lMh Li;j) dk ,vj bafM;k fyfeVsM ls dEiuh dks vrfjr djuh tkrh gSA vuqPNsn 2 n[kA bl idkj bUosUVjh vkj n;jkf'k;k dk 706 yk[k #i, vf/kd fn[kk;k x;kA

2. VhMh,l, ih,Q, ihVh, th,lVh, bl,lvkbZlh vkfn tSls lkafof/kd ns;ksa dk feyku/iqf"V ugha dh xbZ gSA uksV 34 ns[kA ys[kk ij blds izHkko dk Hkh fu/kkZfjr ugha fd;k x;k gSA

vgZrk izkIr jk;

अर्हता प्राप्त राय पैरा के आधार में वर्णित विषय के संभावित प्रभाव को छोड़कर हमारी राय में, हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को इस रूप में प्रस्तुत करता है जैसा कि अपेक्षित होता है तथा 31 मार्च 2018 को कंपनी के कार्यों, इसके लाभ, कुल व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के संबंध मे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करता है।

ekeys dk izHkko

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्न विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. वर्ष के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड से कंपनी को कतिपय आय और व्यय का अंतरण किया गया है। एअर इंडिया से कंपनी को अंतरित ऐसी आय और व्यय का विवरण नोट सं. 31 में दिया गया है जो लेखे का एक भाग है।

2. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखे के भाग के रूप में नोट में कंपनी ने दिए गए कानूनी शुल्क और ट्रांसपोर्ट को हायर करने तथा अपंजीकृत डीलर द्वारा दिए गए सर्विस के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (3) और 9(4) के अनुसार जीएसटी के रिवर्स प्रभार प्रावधानों का पालन नही किया गया है। कतिपय मामलों में यह पाया गया है कि सीजीएसटी/एसजीएसटी के स्थान पर आईजीएसटी प्रभारित किया गया है और इसका कोई समुचित नियंत्रण/निर्धारण नही किया गया है।

3. कतिपय प्राप्यों, देयराशियों (ऋणदाता, लेनदार, कर्मचारियों से संबंधित लेखे) की पुष्टि का मिलान किया जा रहा है। नोट सं. 34 देखें। लेखों पर इसके प्रभाव को भी निर्धारित नही किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में परिवर्तन नहीं हुआ है।

vU; ekeys

1. कंपनी ने इनवाइस पर क्रेडिट अवधि को मानते हुए दैनिक आधार पर अलाइंस एअर से शेष राशि पर ब्याज प्रभारित किया है जो अन्य समूह कंपनियों से ब्याज प्रभारित करने की अंगीकृत नीतियों से विचलन है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में परिवर्तन नहीं हुआ है।

vU; fof/kd vkSj fu;ked h; vis{kkvksa d s lEca/k esa fjiksVZ

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में, केन्द्र सरकार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी ;लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश')] द्वारा यथापेक्षित हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक ''क'' में दे रहे हैं ।

2. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कानूनन अपेक्षित लेखों की यथोचित बहियां कंपनी द्वारा रखी गई है, जो इन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक का अनुपालन करते हैं।

ड़) उपर अर्हताप्राप्त राय के पैरा में वर्णित विषय हमारी राय में कंपनी पर वित्तीय प्रभाव डालते हैं।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के संबंध में सरकारी कंपनी के लिए निदेशकों की अनर्हता दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (असा) के संबंध में सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

छ) लेखों के अनुरक्षण और इससे जुड़े अन्य मामले से संबधित अर्हता उसी रूप में है जैसा कि अर्हताप्राप्त राय पैरा में दिया गया है।

ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की वास्तविक प्रभावशीलता के संबंध में अनुलग्नक–I अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें।

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (यथा संशोधित) के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार शामिल किए जाने वाले अन्य मामले निम्नानुसार हैं:

I. कंपनी ने तुलन-पत्र तिथि को अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव को प्रकट नहीं किया है।

ii. कंपनी ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं के आधार पर वास्तविक अनुमानित हानि, यदि कोई हो, के लि, प्रयोज्य कानूनों या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रावधान किए हैं।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के लिए राशि के अंतरण का खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

ञ) कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) में यथापेक्षित कंपनी के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक-ग में एक विवरण दे रहे हैं ।

कृते जैन एंड जैन
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 103869डब्ल्यू

सीए जिम्मी सेठ
(सहयोगी)
एम नं. 122280

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर, 2108

, vkbZ, Vh, l , y

ifjf'k"V d

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर , vj bfM;k , vj VªkliksVZ lfoZlsl fyfeVsM (, vkbZ, Vh, l , y) के सदस्यों को हमारी सम संख्यक तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक।

ऐसी जांचों के आधार पर, जिसे हमने उपयुक्त समझा और हमारी लेखापरीक्षा के दौरानहमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. (d) dEiuh vpy ifjlEifRr;ksa dk jftLVj dqN :i esa yxkrkj cfg;kas esa miyC/k fjdkMksZ dk j[kj[kko djrh gSA vpy ifjlEifRr;ksa jftLVj esa ifjek.kkRed fooj.kkas ,oa vpy ifjlEifRr;ksa dh LFkku lfgr iw.kZ fooj.k n'kkZrh gS, mi;qä fjdkMZ dks vuqj{k.k ugha fd;k x;k gSA

([k) dEiuh dh uhfr dsa vuqlkj] ifjlEifRr;ksa dk okLrfod lR;kiu jkV'kuy vk/kkj ij fd;k tkuk gS] rkfd iwjh ifjlEifRr dk gj nks o"kksZa esa lR;kiu fd;k tk ldsA iwoZ/kkuqfiNys 4 o"kksZa ls vpy ifjlEifRr;ksa dk okLrfod lR;kiu ugha fd;k gSA rFkkfi] foRrh; o"kZ 2017-18 ds nkSjku] , d ckgjh pkVZMZ , dkmUVsV QeZ dks okLrfod lR;kiu djus ds fy, fu;qä fd;k x;k gSA blds fjiksVZ dh izrh{kk dh tk jgh gSA

(ग) कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है, अतः खंड लागू नहीं है ।

2. o"kZ ds nkSjku th, lMh Li's;j dks , vj bafM;k fyfeVsM }kjk gLrkarfjr fd;k x;k gS vkSj dEiuh }kjk blds fy, 1498 yk[k :i, dh jkf'k dh x.kuk dh xbZ gSA blesa ls dEiuh (xzkmaM gSaMfyax foHkkx) us 792 yk[k :i, dk cgh esaY; dLi's;j dh Lohdkjksfä dh gS rFkk dEiuh us gesa lfpr fd;k fd 'ks"k lkekuksa dks , vkbZ, y dks okil dj fn;k x;k gSA rFkkfi blds i"V vHkh rd ikIr ugha gqbZ gSA bu Li's;j lkekuksa dk vHkh rd dEiuh okLrfod :i ls lR;kfir ugha fd;k x;k gSA

o"kZ dh lekfIr rd okLrfod lR;kiu ugha fd;k x;k gSA

3. रिकार्डों के सत्यापन के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं। परिणामस्वरूप, आदेश के खंड 3पपप (क)तथा (ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटियों एवं प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 कंपनी पर लागू नहीं होती है।

5. कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं, अतः जनता से जमा स्वीकार करने के बारे में भारतीय रि?र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के कोई अन्य प्रावधान और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 लागू नहीं होते हैं।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के प्रावधानों और केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार लागत अभिलेख अनुरक्षण और लागत लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू है । कंपनी ने लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है परंतु लागत रिकार्ड अभी उपलब्ध नही कराए गए हैं।

7. (क) कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, प्रयोज्य सीमा तक उप कर जैसे अविवादित सांविधिक देय और कोई अन्य सांविधिक देय सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकरणों के यहां नियमित रूप से जमा करवाया जाता है। चूंकि फाइल किए गए रिटर्न से बहियां मेल नहीं खाती, इसलिए देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के बकाया का पता लगाने में असमर्थ हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, जीएसटी और उत्पाद शुल्क के संबंध में देय कोई भी राशि ऐसी नहीं थी, जो किसी विवाद के कारण न जमा की गई हो

8. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है तथा कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं ।

9. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गईजानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा ऋण प्रपत्र तथा मियादी ऋणों सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन जमा नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होतेए इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है ।

10. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के विरूध्द उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधडी का कोई मामला देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, इसलिए खंड लागू नहीं है ।

12. हमारी राय में कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के खंड 4 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते ।

13. चूंकि सरकारी कंपनी पर धारा 188 लागू नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

14. निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर का आबंटन नहीं किया है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(14) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है ।

15. निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (15) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

16. हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3(16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है ।

कृते जैन एंड जैन
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 103869डब्ल्यू

सीए जिम्मी सेठ
(सहयोगी)
एम नं. 122280

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर, 2108

,vj bafM;k ,vj VakliksVZ lfoZlst fyfeVsM (,vkbZ,Vh,l,y) ds LVSaMvyksu foRrh; fooj.kksa ds laca/k esa Lora= ys[kkijh{kdksa dh lelaa[;d frfFk dh fjiksVZ dk 'vuqca/k [k'

daiuh vf/kfu;e] 2013 ("vf/kfu;e") dh /kkjk 143 dh mi-/kkjk 3 ds [kaM (i) ds rgr vkarfjd foRrh; fu;a=.k laca/kh fjiksVZ

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के साथ उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के स्टैण्ड अलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

vkarfjd foRrh; fu;a=.kksa ds fy, izca/ku dk mRrjnkf;Ro

कंपनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों को ध्यान में रखकर कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा इसका अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित कंपनी की नीतियों का पालन करने, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा करने, धोखाधड़ी और गलतियों को दूर करने तथा इनका पता लगाने, लेखा रिकार्डों की यथा तथ्यता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय विवरण को समय पर तैयार करने सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो कंपनी के कारोबार को क्रमबद्ध और सुचारू रूप से संचालित करने में प्रभावी भूमिका निभा रहे थे, की डिजाइन बनाना, कार्यान्वयन करना तथा इसका रखरखाव करना शामिल है।

ys[kkijh{kdksa dh ftEesnkjh

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय प्रकट करना है। हमने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट तथा लेखापरीक्षा मानकों की प्रयोज्य सीमा के अनुसरण में अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं तथा योजना का अनुपालन करें तथा युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो और इस प्रकार का नियंत्रण सभी वास्तविक संदर्भों में प्रभावी रूप से प्रचालित हो।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसकी प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल होता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे मे समझ बनाना, ऐसे जोखिम का आकलन करना कि वास्तविक कमी विद्यमान है और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और प्रचालनात्मक प्रभावकारिता का परीक्षण करना और मूल्यांकन करना शामिल होता है। चयनित प्रक्रिया धोखा या गलती के कारण वित्तीय विवरण के वास्तविक असत्य कथन के जोखिम का मूल्यांकन करने के साथ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में क्वालिफाइड लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उपयुक्त होंगे।

foRrh; fjiksfVax ij vkarfjd foRrh; fu;a=.kksa dk vFkZ

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो:

(1) रिकार्डो के रखरखाव से संबंधित हो जिसमें उचित रूप में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उसकी स्थिति का सही और निष्पक्ष प्रकटन किया गया हो;

(2) युक्तिसंगत आश्वासन देते है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से लेनदेन को दर्ज किया गया है और कंपनी की आय और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार से ही किया जा रहा है; और

(3) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम करने या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं ।

foÙkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa dh lgt lhek

सांठ-गांठ अथवा प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को हटाए जाने की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सहज सीमाओं के कारण विवरणों में वास्तविक विचलन हो सकता है तथा उनका पता नहीं चल सकता। साथ ही, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है।

vgZrk izkIr jk;

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणतथा हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2018 कोनिम्नलिखित प्रमुख कमियों की पहचान की गई है:

(d) tksf[ke dk vkdyu djrs le; /kks[kk/kfM+;ksa dh lEHkkouk ds lanHkZ esa daiuh ds foÙkh; fjiksVZ ij vkarfjd foÙkh; fu;a=.k i{.kkyh esa tksf[ke eY;kadu ij i;kZIr /;ku ugha fn;k x;k gS tcfd ;g vkarfjd fu;a=.k dk ,d izeq[k ?kVd gSA

([k) lfØ; iqfØ;kukVf tlds vk/kkj ij odZ¶ykst lapkfyr gksrk gS dk NksM+dj lHkh foHkkxksa/iqfØ;kvksa ds fy, ekud ipkyu iqfØ;kvksa dks r`;kj vkSj fyfic) ugha fd;k x;k gSA

(x) dkÆed foHkkx ds ekLVj vkiwfrZ'kq esa euqvy fu;a=.k ds dkj.k deh ikbZ xbZ gS blfy, xyrh] foyksi] vf/kd ;k de Hkqxrku dh T;knk lEHkkouk gSA

(?k) daiuh us vius lxBukRed lajpuk dk ifjHkkf"kr ugha fd;k gS vkSj depkfj;ksa ds tkc dk fooj.k fyfic) ugha fd;k gSA

(M+) daiuh }kjk 'kfä;ksa ds iR;k;ksatu dh leh{kk ugha dh tkrh gSA

(p) daiuh ds ikl lkekU; vkbZVh fu;a=.k dk eY;kadu vkSj ijh{k.k djus ds fy, iHkkoh lapuk tkap i.kkyh ugha gS tks vkbZVh flLVe ls lfLtr fjiksVksa dh i.kkrk] lVhdrk vkSj fo'oluh;rk dk iHkkfor dj ldrh gSA tSlk fd gesa crk;k x;k vkbZVh foHkkx ,vjbfM;k (gkÇYMx daiuh) lHkh vkbZVh lacaf/kh fu;a=.k ns[krk gSA

(N) LFkkuh; flLVe dk cSdvi fu;fer vk/kkj ij ugha fy;k tkrk gS vkSj MkVk dks loZj ij LVksj ugha fd;k tkrk gSA yhu vo/kkj.kk dk mi;ksx ugha fd;k tkrk gSA ;s, lch Mkboj vkiu jgrs gSA lsi MkVk ,vjbfM;k esa j[kk tkrk gSA uVodZ lajpuk miyC/k ugha gSA vkbZVh fu;a=.k de tksj gSA

(t) lsi ykfxu mi;ksxdrkZvksa }kjk lkÖkk dh tkrh gSA edj pdj ifØ;k dk ikyu ugha fd;k tkrk gSA tks0;fä yunu djrk gS ogh yunu dk ikLV djrk gSA

(>) vpy ifjlaifŸk;ka dk okLrfod lR;kiu dk lac/k esa dkiuh dh uhfr dk vuq lkj ;g nkok o"kl esa ,d ckjfd;k tkuk pkfg, ¦dr| , vkbl, y l ; , vkbl, Vh, l , y dk dkjkckj vrfjr dju dk mijkr bl idkj dk dkbl okLrfod lR;kiu ugh fd;k x;k gSA

(¥) ic/ku }kjk fu/kkfjr fu;=.k dh gekjh tkp dk vk/kkj ij ifØ;kvka esa fuEufyf[kr dfe;k ikbl xbl:

1) jktLo

(क) एअरलाइनों की बिलिंग के लिए प्रयुक्त एमबीएस साफ्टवेयर में मास्टर सृजित करने के लिए मेकर चेकर सिस्टम मौजूद नहीं है। तथापि इनवायस बनाने के लिए वेस्टर्न रीजन द्वारा मेकर चेकर सिस्टम का पालन नही किया जा रहा है।

(ख) आरए फार्म को जारी करने और इसका रखरखाव करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप सभी रीजनों मे प्रयुक्त किए जा रहे आरए फार्म अलग अलग फार्मेट में हैं और इसकी प्रिंटिंग और सीरियल नंबर भी मानक के अनुरूप नहीं हैं।

(ग) ड्यूटी मैनेजर द्वारा बिलिंग विभाग को स्वीकृत आरए फार्म भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है और न ही इस कार्य के लिए कोई जिम्मेवारी तय की गई है। फलस्वरूप प्रदत्त सेवा और बनाई गई इनवायस के बीच पर्याप्त समय अंतराल पाया गया है।

(घ) यद्यपि प्रबंधन द्वारा इनवायस चक्र का निर्धारण किया गया है तथापि बिलिंग विभाग द्वारा आरए फार्म समय पर न प्राप्त होने के कारण इसका अनुपालन नही किया जा रहा है।

(ड़) राजस्व चूकों का पता लगाने के लिए वेस्टर्न रीजन में फ्लाइट कार्यक्रम के साथ जारी आरए फार्म का मिलान नही किया जा रहा है।

(च) एमबीएस साफ्टवेयर से जारी विभिन्न इनवायस में गणितीय अशुद्धता पायी गई है। फलस्वरूप अधिक/कम बिलिंग के मामले पाए गए जो इनवायस की प्रक्रिया में वास्तविक कमी दर्शाते हैं।

(छ) सभी इनवायस एमबीएस से सृजित नही किए जा रहे हैं। रीजन अलग प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। मैनुअल इनवायस जारी करने के मामले भी पाए गए हैं। इनवायस फार्मेट भी विशिष्ट नहीं है। इसके अलावा, इनवायस फार्मेट में कुछ अनिवार्य फील्ड नहीं दिए गए हैं। इनवायस सिस्टम के लिए मजबूत आटोमेटेड नियंत्रण की आवश्यकता है।

(ज) एमबीएस में लॉगिन को अनुपयुक्त तरीके से साझा किया जा रहा है। उपयुक्त लॉग भी उपलब्ध नहीं हैं।

(झ) ग्रुप कंपनी के मामले में आरए फार्म तैयार नहीं किए गए हैं और इनवायस आईओसीसी डाटा (आईओसीसी को मूल कंपनी द्वारा अनुरक्षित किया जाता है) पर आधारित इनवायस जारी किया जाता है।

(ञ) एआईएल के साथ एमओयू में निर्धारित दरें कार्यकरण के किसी आधार द्वारा समर्थित नहीं हैं।

(ट) हांलाकि एमबीएस से सैप का इंटरफेस ऑटोमेटेड है तो भी कतिपय मामलों में मिसिंग फील्ड पाई गई हैं जिसके परिणामस्वरूप सैप में बिल स्वत: बुक नही हो पाते हैं।

(ठ) कार्गो कांप्लेक्स में टीएसपी रसीदे सृजित करने के लिए प्रयुक्त गैलेक्सी सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं है और इसमें कतिपय विवरण मैनुअल तरीके से दर्ज करने पड़ते हैं।

(ड) टीएसपी रसीद विभाग के किसी अधिकारी द्वारा सृजित की जा सकती है और इसे प्राधिकार के साथ पृथक नहीं किया गया है।

(ढ) चूंकि विभाग में स्टाफ की कमी है इसलिए समयबद्ध रूप से प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण एआईएटीएसएल पर कस्टम जुर्माना लगने की संभावना है।

(ण) आयात/निर्यात से संबंधित राजस्व को दर्ज करने के लिए गैलक्सी से सैप में डाटा का अंतरण आटोमेटेड नहीं है।

2) ekuo lalk/ku

(क) कंपनी के पास मानव संसाधन विकास (एचआरडी) के लिए विस्तृत नीति/मानक प्रचालन प्रक्रिया नहीं है। नीतियों के लिए जब कभी आवश्यक हुआ प्रबंधन के अनुमोदन से नोट जारी किए जाते हैं।

(ख) कर्मचारियों की बड़ी संख्या होने होने के बावजूद कंपनी के पास उपस्थिति एवं पे रोल के लिए स्वचालित नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा मानक मैनुअल उपस्थिति मानकों का पालन भी विभागों में नहीं किया जा रहा है।

(ग) कंपनी में बाद में हाजिरी लगाने, जल्दी घर जाने आदि के रिकार्ड नहीं रखा जाता इसलिए वेतन से कटौती नही की जाती है।

(घ) वेतन पर्ची की प्रक्रिया स्वचालित नहीं है और इसमें सभी विभागों से मैनुअल इनपुट की आवश्यकता होती है।

(ङ) सैप में मास्टर डाटा बेस में प्रविष्टि/अपडेट करने के लिए चेकर मेकर टूल नहीं है जिससे वेतन के गलत/अधिक/कम भुगतान का मामला आता है।

3) लेखा और वित्त

(क) सैप में प्रयोक्ताओं की सूची और उनके अधिकार उपलब्ध नही हैं।

(ख) सैप में मेकर चेकर टूल का पालन नहीं किया जाता है।

(ग) डारमेंट/निष्क्रिय जीएल खातों की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं है और सक्षम प्राधकारी द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जाती है।

(घ) अनेक मामलों में जर्नल इंट्री में रिवर्सल को उपयुक्त दस्तावेज अनुमोदन से सपोर्ट नही किया गया है।

(ड़) जर्नल बाउचर की पोस्टिंग को अनेक मामलों में उपयुक्त दस्तावेजी अनुमोदन से सपोर्ट किया गया है।

(च) कुछ मामलों में यह भी नोट किया गया कि पार्टी/वेंडर के माध्यम से रोटेट करने के बजाय सीधी बैंक इंट्री पास की गई है। नियंत्रण स्थापित नही किया जा सकता।

(छ) कंपनी के पास आवधिक आधार पर बकाया की पुष्टि करने तथा मिलान न हुए प्राप्य राशियों और देय राशियों के मिलान करने हेतु उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नही है।

(ज) एअर इंडिया लिमिटेड (मूल कंपनी) बिना किसी सहायक दस्तावेज के खर्चों को काट रही है और कुछ राजस्व जमा कर रही है। इन खर्चों/राजस्व को सत्यापित करने के लिए कंपनी के पास कोई तरीका नही है।

(झ) समूह कंपनियों के साथ लेनदेन को केवल वर्ष के अंत में किया जाता है जबकि यह उपयुक्त अधिकारी की देखरेख में कम से कम मासिक/तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए।

(ञ) खुदरा नकदी की नीति सभी रीजनों में मानक के अनुरूप नहीं है, इसका मानकीकरण किया जाना चाहिए।

(ट) कट आफ प्रक्रिया केवल वर्ष के अंत में लागू होती है। तथापि जीएसटी लागू होने के बाद यह मासिक आधार पर होनी चाहिए और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा होनी चाहिए।

(ठ) प्रावधान व्यवस्था माह दर माह आधार की बजाय वर्ष के अंत में अपनाई जाती है।

(ड) आकस्मिक देयताओं का निर्धारण करने तथा वित्तीय विवरणों में इसे प्रदर्शित करने के लिए कोई मानक प्रक्रिया नहीं है।

(ढ) अनुषंगी कंपनियों को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त आय के कार्यशील पूंजी चक्र की बिलिंग नियमित है लेकिन आय समय बद्ध रूप में दर्ज नही है।

(ण) बीमा के मामले में एअर इंडिया द्वारा केवल प्रीमियम राशि काटी गई है, बीमित परिसंपत्ति के लिए कंपनी के पास कोई उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

(त) स्क्रैप की बिक्री की गई है किंतु उचित दस्तावेजों के अभाव में इसे अचल संपत्ति रजिस्टर से नहीं हटाया गया है।

(थ) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सामान्य लेजरों के जांच की कोई लिखित प्रक्रिया नहीं है।

(द) वित्त वर्ष 2016-17 के कर लेखापरीक्षा को अभी पूर्ण नहीं किया गया है।

(ध) सांविधिक विवरणी (जीएसटीए टीडीएसए पीएफए पीटीए ईएसआईसी आदि) और बहियों का मिलान कार्य चल रहा है।

4) iki.k

(क) सैप की बजाय प्रापण आदेश मैनुअल तरीके से जारी किए जाते हैं।

(ख) किसी विभाग में किसी प्रापण के लिए जीआरएन जारी नही किया जाता है।

(ग) विभिन्न वेंडरों से एआईएटीएसएल को पेशकश की गई क्रेडिट अवधि की समीक्षा करने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

(घ) प्रापण इनवायस को वित्त विभाग को अग्रेषित करने की प्रक्रिया निर्धारित नही है।

(ड़) प्रबंधक वित्त द्वारा परिसंपत्तियों की गणना को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना पूंजीकृत कर दिया जाता है।

(च) प्रबंधक वित्त द्वारा प्रापण की अचल परिसंपत्तियों का सैप कोड और विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नही होता है।

(छ) सैप मे मूल्यह्रास को आटोमेटेड किया गया है जबकि मास्टर दरों के लिए अपडेटेड नही है और इसके लिए पुरानी और नई दरों के बीच अंतर की गणना के लिए इसे पुन: चलाया जाता है।

5) vU;

(क) कंपनी ने कारोबार सुगमता योजना/आपदा रिकवरी योजना को प्रलेखित और अनुमोदित नहीं किया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी अथवा कमियों का समूह *'ÌØÂèÔÈÞÏèÁ ³ÌÜ'* कहलाती है, जिससे यह संभव है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों में वास्तविक विचलन को रोका या फिर उसका समय पर पता न चल सके।

हमारे मूल्यांकन में, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में किए गए उल्लेख के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, ऊपर उल्लिखित वास्तविक कमियों के उपर्युक्त संकेत/संभव प्रभावों के अलावा, कंपनी ने, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और 31 मार्च, 2018 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से क्रियात्मक थे।

कृते जैन एंड जैन
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 103869डब्ल्यू

सीए जिम्मी सेठ
(सहयोगी)
एम नं. 122280

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर, 2108

vuqyXud-A

Hkkjr dk fu;=d ,oa egkys[kk ijh{kd ls izkIr fun'kk/mi-fun'kk ds vuqikyu esa fjiksVZx

1. यदि कंपनी विनिवेश के लिए चुनी जाती है, तो परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों एवं भूमि सहित) एवं दायित्वों (वचनबद्ध एवं सामान्य आरक्षिति सहित) के मूल्यांकन के संदर्भ में एक संपूर्ण स्टेटस की जांच की जा सकती है जिसमें विनिवेश प्रक्रिया के तरीके और इसकी मौजूदा स्थिति की जांच भी शामिल होगी।

,vj bfM;k fyfeVsM dk fofuos'k ij uhfr vk;kx dh flQkfj'kksa vkj fofuos'k lac/kh lfpoksa dk e[; leg (lhthMh) dh flQkfj'kksa ds ifjis{; esa dsiuh dks fofuos'k ds fy, pquk x;k gSA vkfFkZd ekeyksa lac/kh ef=eMy lfefr (lhlhbZ,) us 28 twu] 2017 dks gqbZ cBd esa ,vj bfM;k fyfeVsM mlds ikp lgk;d dsifu;ksa (ftlesa ,vkbZ,Vh,l,y 'kkfey gS) ,oa l;qä m|e dks dk;uhfr d fofuos'k ij fopkj djus ds fy, l/nkfrd :i esa vuqeksnu insku dj fn;k gSA

सीसीईए ने भी कार्यनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) के गठन की मंजूरी दे दी है। अब तक विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लेनदेन सलाहकार, विधिक सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकक को नियुक्त किया गया है।

2. क्या कंपनी के पास क्रमश: फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट हक विलेख/लीज डीड है? यदि नहीं तो फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए हक/लीज विलेख उपलब्ध नहीं है?

dEiuh ds ikl dksbZ Ýhgksy ;k yht gksYM Hkwfe ;k Hkouugha gSA

3. कृपया रिपोर्ट करें कि क्या छूट/कर्?/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने के संबंध में कोई मामला हैं। यदि हां तो उसका कारण एवं अंतर्निहित राशि का ब्यौरा दें।

,slk dksbZ NwV/cVV [kkrs Mkyus dk ekeyk ik;k x;k gSA

4. क्या तीसरे पक्षकारों के यहां प?ी इन्वेंटरी और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में उपयुक्त रिकार्ड रखे गए हैं।

tSlkfd gesa lwfpr fd;k x;k g] o"kZ ds nkSjku rhljs i{kdkjksa ds ;gka i\h dksbZ Hkh bUosVjh ugha gS vkSj u gh ljdkj ;k vU; lzksrksa ls migkj ds :i esa ifjlEifÙk;ka izkIr gqbZ gSA

5. लंबित विधिक/विवाचन मामलों सहित सभी विधिक मामलों (विदेशी एवं स्थानीय) पर खर्च के लिए निगरानी प्रणाली की मौजूदगी/ प्रभावकारिता और इन मामलों के लंबित रहने के कारणों के अवधि वार विश्लेषण पर एक रिपोर्ट दी जाए।

जैसाकि हमें सूचित किया गया है, 37 विधिक/माध्यस्थम मामले लंबित हैं। मामलों का विवरण तालिका 'ङ' में संलग्न है।

कृते जैन एंड जैन
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 103869डब्ल्यू

सीए जिम्मी सेठ
(सहयोगी)
एम नं. 122280

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर, 2108

vuqca/k-II

vuqikyuk izek.ki=

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के प्रावधानो के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों के अनुसरण में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एअर इरडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की लेखा परीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने इस संबध में जारी सभी निदेशों/उप-निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते जैन एंड जैन
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 103869डब्ल्यू

सीए जिम्मी सेठ
(सहयोगी)
एम नं. 122280

सथिान: नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर, 2108

विभाग	क्र स.	पक्ष का नाम	मामला सं	न्यायलय का नाम	फाइल तिथि	सुनवाई की तिथि	वकील का नाम	संक्षिप्त विवरण 50 शब्द से अधिक नहीं	यदि वित्तीय निहितार्थ 1 करोड़ रू. से अधिक हो तो उच्च मूल्य का उल्लेख करे	वित्तीय प्रभाव	मामले की वर्तमान स्थिति
कार्मिक	1	ए के जाना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य	2018 की रिट याचिका सं 3963	कोलकाता उच्च न्यायालय	26.02. 2018	मामला अभी सुनवाई तक नही पहुंचा है।	मैसर्स किनी एंड कंपनी	2018 की रिट याचिका सं 3963 कोलकाता और पूर्वोत्तर के आउटस्टेशन मे प्रचालन कार्यकलापो में कार्यरत एआईएटीएएल के सभी मौजूदा कामगारों का एआईएटीएसएल में आमेलन के लिए दिनांक 12 फरवरी के परिपत्र के बाद 61 कैजुअल कामगारों के एक समूह (इंस्टैंट याचिकाकर्ता) ने माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में दिनांक 26 फरवरी 2018 को उक्त याचिका दायर की है जिसमें इस आवेदन के निपटान तक प्रतिवादी को उनकी सेवाएं समाप्त न करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।	यह एअर इंडिया से जुडा मामला है।	शून्य	
कार्मिक	2	एलईओ दिल्ली बनाम एआईएटीएसएल	लागू नहीं	पटियाला हाऊस कोर्ट	जुलाई 14	23.03.2018 को सुना गया और बाद में निरस्त किया गया	मैसर्स किनी एंड कंपनी	एलईओ (सी) ने सफदरजंग कार्यालय का दौरा किया और संविदा श्रम में कुछ अनियमितताए पाई समन जारी किया गया दृ सुनवाई में न्यायालय ने पूछा कि क्या एआईएटीएसएल आवश्यक पक्ष है और स्पष्टीकरण मांगा। मामला न्यायाधीन है।		शून्य	अगली तारीख की प्रतिक्षा है।
जीएसडी	3	श्री सुनील कुमार पांडेय आरएसए	2018 की रिट याचिका 13064	लखनऊ उच्च न्यायालय	मई 18	04.07.2018 मामले की सुनवाई नही हो सकी है।	मैसर्स किनी एंड कंपनी	दिनांक 10.04.2018 के सेवा समाप्ति के आदेश के विरूद्ध		1 लाख रूपए	अगली तारीख सूचित की जाएगी।
जीएसडी	4	सीईओएआईएटीए सएलबनाम वरि. पुलिस इंस्पेक्टर सहार पुलिस स्टेशन और अन्य	रिट याचिका – 4295 /2015	मुंबई उच्च न्यायालय	03.03. 2017	मई 2019 में सुनवाई होगी	मैसर्स किनी एंड कंपनी	वरिष्ठ एजीएम (जीएस) द्वारा दायर एफआईआर को निरस्त करने के विरूद्ध उच्च न्यायालय ने दिनांक 97/03/2017 के अंतरिम आदेश के तहत अन्य बातो के साथ साथ एसीपी और अन्य को निदेश दिया कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई कठोर कार्रवाई न की जाए और जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। दोनो मामलो पर सुनवाई होगी ।	शून्य	शून्य	मई 2019 में सुनवाई होगी
जीएसडी	5	तत्कालीन जीएम-जीएस और अन्यबनाम वरि. पुलिस इंस्पेक्टर सहार पुलिस स्टेशन और अन्य	रिट याचिका 4772का 2015	मुंबई उच्च न्यायालय	03.03. 2017	मई 2019 में सुनवाई होगी ।	मैसर्स किनी एंड कंपनी	श्री मार्केल द्वारा दायर एफआईआर के विरूद्ध उच्च न्यायालय ने दिनांक 97/03/2017 के अंतरिम आदेश के तहत अन्य बातो के साथ साथ एसीपी और अन्य को निदेश दिया कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई कठोर कार्रवाई न की जाए और जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। दोनो मामलो पर सुनवाई होगी ।	शून्य	शून्य	मई 2019 में सुनवाई होगी।
जीएसडी	6	श्री केजी धोके बनाम भारत संघ और अन्य	2015 की रिट याचिका सं 1730 में अवमानना याचिका . 25	मुंबई उच्च न्यायालय	09.03. 2018	मामले की सुनवाई 15.06.2018 को हमारा उत्तर फाइल करने के लिए हुई मामला दिनांक 07.08.2018 पुन: अपील के कारण निरस्त कर दिया गया नई तिथि की प्रतीक्षा है।	मैसर्स किनी एंड कंपनी	यह एआईएटीएसएल के प्रबंधन के विरूद्ध दिनाक 24 अक्तूबर 2017 का आदेश जो श्री धोके की पुन: तैनाती के लिए था का कार्यान्वयन किए जाने के लिए था।	शून्य	शून्य	मामले की सुनवाई 15.06.2018 को हमारा उत्तर फाइल करने के लिए हुई मामला दिनांक 07.08.2018 पुन: अपील के कारण निरस्त कर दिया गया नई तिथि की प्रतीक्षा है।
जीएसडी	7	श्री एच एस होल्कर बनाम एअर इंडिया लि. और अन्य	रिट याचिका 2018	मुंबई उच्च न्याया	11.4. 2018	सुनवाई के लिए नही पहुंचा	मैसर्स लैंसी डिसूजा	यह याचिका सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के लिए नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता दिनांक 30.04.2017 को सेवा से पहले ही सेवानिवृत हो चुका है। यह याचिका जाति जांच समिति द्वारा सत्यापित जनजाति प्रमाणपत्र न प्राप्त करने के लिए है।	शून्य	शून्य	सुनवाई के लिए नही पहुंचा
सुरक्षा	8	श्री एसवी आधवबनाम एआईएटीएसएल	संदर्भ सीजीआईटी. 2द्15.2017	औद्योगिक न्याधिकरण	28.11. 2017	25.10.2018 को मामला स्थगित कर दिया गया	वकील मैसर्स लैंसी डिसूजा	यह संदर्भ कामगारों के संदर्भ में उनकी संविदा समाप्त करने के संदर्भ में है।		लगभग 2 लाख रूपए	मामला 25.10.2018को स्थगित किय गया
जीएसडी	9	एम एल शेट्टी बनामएआईएटीए सएल	संदर्भ सीजीआईटी . 2द्12.2016	औद्योगिक न्याधिकरण	22.12. 2016	मामले का क्रास एक्जामिनेशन के लिए दिनांक 23.08.2018 को स्थगित किया गया	वकील मैसर्स लैंसी डिसूजा	यह दिनांक 05.10.2016 के श्री शेट्टी को हटाने के आदेश के विरूद्ध है उन्होने पुराने वेतन पर उनके सामान्य सेवानिवृत तक पुन: बहाल करने का अनुरोध किया है।		लगभग 2 लाख रूपए	अगली तिथि प्रतीक्षित है
जीएसडी	10	श्री एस सी काटकर	संदर्भ सीजीआईटी	औद्योगिक न्याधिकरण	23/02/20	मामला 23/08/2018को सुनवाई	वकीलमैसर्स लैंसी	कामगार दिनांक 01/03/2016 के आदेश के तहत उसे सेवा से निकाले जाने को चुनौती दे रहा है और पुराने वेतन पर अपनी		लगभग 14 लाख रूपए	अगली तिथि प्रतीक्षित है

		बनामएआईएटीए सएल	2/13/2016		17	के लिए सुचीबद्ध है।	डिसूजा	सेवा को बहाल किए जाने की मांग कर रहा है। कामगार के मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेड को इस संदर्भ में एक पक्ष बनाने के आवेदन के आधार पर पीठासीन अधिकारी ने एअर इंडिया लिमिटेड को पार्टी बनाने का आदेश पारित कर दिया है।			
कार्मिक	11	बहुजन कामगार यूनियन बनामएआईएटीए सएल	संदर्भ सीजीआईटी 1/15का2017	औद्योगिक न्याधिकरण	11.06. 2007	मामला 02.08.2018.को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध है।	वकीलमैसर्स लैंसी डिसूजा	कैजुअल श्रमिको को नियमित करने का मामला। यह मामला संघ और एअर इंडिया लिमिटेड के बीच है फिर भी एआईएटीएसएलको एक पक्ष बनाया गया है।	यह मामला संघ और एअर इंडिया लिमिटेड के बीच है फिर भी एआईएटीएसएल को एक पक्ष बनाया गया है।	शून्य	तिथि/आदेश की प्रतीक्षा है।
जीएसडी	12	श्री पी एन पोवार	संदर्भ सीजीआईटी 2 / 3 का 2017	औद्योण न्यायाधिकरण ा	13.07. 2017	मामला 12.09.2018को आदेश के लिए सूचीबद्ध है।	वकीलमैसर्स लैंसी डिसूजा	यह दिनांक 07/07/2015 से सेवा से निकाले जाने के दंड के विरूद्ध है और वह पुराने वेतन और लाभ पर सेवा में बहाल होने की मांग कर रहा है।		लगभग 14 लाख रूपए	27 नवंबर 2017 को स्थगित
वित्त	13	श्री पी मुथू	अपील सं.1/36(29) /2014	पीजी अधि. 1972के तहत नियंत्रण अधिकारी	11.03. 2014	मामला 05.10.2018 को स्थगित कर दिया गया।	वकीलमैसर्स लैंसी डिसूजा	एआईएटीएसएलने उसकी एआईएटीएसएल में सेवा के लिए ग्रेच्यूटी का भुगतान पहले ही कर दिया है। तथापि वह अपनी ग्रेच्यूटी का भुगतान एअर इंडिया के कांट्रेक्टर के माध्यम से लेना चाहता है। तथापि एआईएटीएसएल को इस मामले में एक पक्ष बनाया गया है।	मामला एअर इंडिया का है।एआईएटीएसएलको पर्टी बनाया गया है।	शून्य	मामला 05ण10ण2018को स्थगित किया गया
वित्त	14	श्री एस जी गवली	अपील सं. 1/36(29) /2014	पीजी अधि. 1972के तहत नियंत्रण अधिकारी	23/09 /2014	मामला 05/10/2018 को स्थगित कर दिया गया।	वकीलमैसर्स लैंसी डिसूजा	एआईएटीएसएलने उसकी एआईएटीएसएल में सेवा के लिए ग्रेच्यूटी का भुगतान पहले ही कर दिया है। तथापि वह अपनी ग्रेच्यूटी का भुगतान एअर इंडिया के कांट्रेक्टर के माध्यम से लेना चाहता है। तथापि एआईएटीएसएल को इस मामले में एक पक्ष बनाया गया है।	मामला एअर इंडिया का है।एआईएटीएसएलको पर्टी बनाया गया है।	शून्य	मामला 05ण10ण2018को स्थगित किया गया
कार्मिक	15	श्री एच प्रभु	संदर्भ सीजीआईटी 2/11/2007	औद्योगिक अधिकरण	17.09. 2007	अवार्ड के लिए आरक्षित	वकीलमैसर्स लैंसी डिसूजा	कामगार परिणामी लाभों के साथ अपनी नियुक्ति की तारीख से स्थाइकरण की मांग कर रहा है। यह मामला एअर इंडिया से संबद्ध है जो आदेश के लिए निर्धारित पक्ष है।	एअर इंडिया का मामला है।	शून्य	मामले को चुनौती देने के लिए एअर इंडिया का उच्च न्या में अपील
जीएसडी	16	श्री डी सुंदर	रिट याचिका 29563 / 2012	मद्रास उच्च न्यायालय	2012	तिथि निर्धारित नहीं–सुनवाई के लिए आएगा	मै. मेनन एंड पाई	अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप श्री डी सुंदर स्टेशन सं 21651 को निम्न पद पर नियुक्ति का दंड दिया गया था। इसके विरूद्ध उन्होने रिट याचिका 29563/2012दायर किया मद्रास उच्च् न्यायालय ने मामले का निपटान करा दिया और यह निदेश दिया कि दो सप्ताह में आदेश को संशोधित किया जाए तथा याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रमाणित आदेश के खंड 24 के तहत अपील करने का आदेश दिया। एक संशोधित आदेश दिनांक 31 अगस्त 2012 के पत्र जीएसडी/जीएस/06-01/02/46 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध श्री सुंदर राज ने रिट याचिका 29563/2012फाइल की जसिसम आरएम जीएस द्वारा पारित आदेश की मांग की गई और पारित आदेश को रद्द करने तथा सभी परिणामी लाभ प्रदान करने की मांग की गई।		लगभाग 3 लाख् रूपए	अगली सुनवाई तिथि तया होनी है।
जीएसडी	17	श्री डी सुंदर	रिट याचिका 14022 / 2017	मद्रास उच्च न्याया ।	डंल.17	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	कर्मचारी को दिनांक 29.04.2017 के आदेश के तहत विना सेवानिवृत्ति लाभ के डिसमिस किए जाने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश से संबधित रिकार्ड मांगे हैं और इसे अमान्य माना है और प्रतिवादी को सभी परिणामी लाभ याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया गया है।		शून्य	अगली सुनवाई तिथि तया होनी है।
कार्मिक	18	एअर इंडिया लिमिटे ड के कैजुअल श्रमिक	रिट याचिका सं1753 / 2010 29796 /2012 – 22212 /2010	मद्रास उच्च न्याया।	2010	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मैसर्स एनजीआर प्रसाद	अंतरिम राहत देते हुए 7वे प्रतिव)नोडल अधिकारी एआईएटीएसएलए चैन्ने(को कैजुअल श्रमिकों के बर्ग में कोई नई भर्ती करने से मना किया गया है।		शून्य	सुनवाई तिथि सुची बद्ध नहीं है।
कार्मिक	19	सीएस रविंद्रन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य	रिट याचिका 15734 /2011	कोचीन उच्च न्याया.	2011	)सुनवाई की अंतिम तिथि11.01. 2018(अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	नियमितिकरण मामला सेवा में नियमित करने का दावा तथा समान लाभ प्राप्त करने का दावा काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया।		शून्य	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है
कार्मिक	20	केजी सुरेश कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और	रिट याचिका सी 23157 /2011	कोचीन उच्च न्याया.	2011	)सुनवाई की अंतिम तिथि11.01. 2018(अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	नियमितीकरण मामलाए आरोप कि याचिकाकर्ता के समान कुछ को सेवा में आमेलित किया गया है। सेवा में नियमित करने का दावा तथा समान लाभ प्राप्त करने का दावा काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया।		शून्य	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है

		अन्य									
कार्मिक	21	नरायण राधाकृष्णन पिल्लई और 109 अन्य बनाम भारत संघ और अन्य	रिट याचिका सी 27989 / 201	कोचीन उच्च न्याया.	2011	)सुनवाई की अंतिम तिथि11.01. 2018(अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	सेवा में नियमित करने का दावा तथा समान लाभ प्राप्त करने का दावा काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया।		शून्य	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है
कार्मिक	22	विनेश थलापिल्लई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य	रिट याचिका सी 15186 / 2012	कोचीन उच्च न्याया।	2012	(सुनवाई की अंतिम तिथि11.01. 2018) अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	सेवा में नियमित करने का दावा तथा समान लाभ प्राप्त करने का दावा काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया।		शून्य	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है
जीएसडी	23	अलीमुथी बनाम भारत संघ और अन्य	रिट याचिका सी 23727 / 2016	कोचीन उच्च न्याया।	2016	(सुनवाई की अंतिम तिथि11. 01.2018)अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	याचिकाकर्ता यानि रैप सेवा एजेंट के रूप में संविदा का नवीकरण 09.08.2016 को सेटलमेंट फाइल किया गया। पुन बहाल करने का अंतरिम आदेश पारित पिछले 6 माह से कार्य करने के लिए नहीं आ रहा। जैसा कि वकील द्वारा बताया गया निरसन आदेश प9 भेजा जाएगा। संविदा जून 2018 को समाप्त हो रही है।		शून्य	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित हैए
जीएसडी	24	वीपी सोनी बनाम भारत संघ और अन्य	रिट याचिका सी 32923 / 2016	कोचीन उच्च न्याया	2016	(सुनवाई की अंतिम तिथि11. 01.2018) अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	रैप सर्विस एजेंट के रूप में याचिकाकर्ता का अगस्त 2016 की संविदा का नवीकरण न किया जाना। काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया।		लगभग 5 लाख रू.	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है
सुरक्षा	25	राजीव एस बी बनाम भारत संघ और अन्य	रिट याचिका सी 32450 /2016	कोचीन उच्च न्याया.	2016	सुनवाई की अंतिम तिथि11.01. 2018 अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया। 28.12.2016 से पुन: बहाली का आदेश		शून्य	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है
जीएसडी	26	निशांत टीजी बनाम भारत संघ और अन्य	रिट याचिका सी 38381 /2016	उच्च न्याया कोचीन	2016	27.06.2018 को सुनवाई के लिए आया और दो सप्ताह बाद पोस्ट किया गया किंतु सुनवाई के लिए नहीं लिया गया	मै. मेनन एंड पाई	रैंप सर्विस एजेंट की संविदा को चुनौती और पीडित आधार पर विजाग मे पोस्टिंग को चुनौती। दिनांक 13.12.2016 को काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया।			सुनवाई की अगली तिथि की प्रतीक्षा है।
जीएसडी	27	वीपी सोनी बनाम भारत संघ और अन्य	रिट याचिका सी 12501 /2013	कोचीन उच्च न्याया।	2013	दिसंबर 2017 को सुनवाइ के लिए पोस्टेड, अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	वरिष्ठ आरएसए की भर्ती। विवरण फाइल किया गया। अंतरिम आदेश कि भर्ती रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगी।			अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है
जीएसडी	28	निशांत टीजी	रिट याचिका सी 37068 /2016	कोचीन उच्च न्याया।	2016	दिसंबर 2017 को सुनवाइ के लिए पोस्टेडएअगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	वरिष्ठ रैंप सर्विस एजेंट की भर्ती को चुनौती। काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया। अंतरिम आदेश कि भर्ती कोर्ट की अनुमति से की जाएगी।			अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है
जीएसडी	29	वीपी सोनी बनाम भारत संघ और अन्य	रिट याचिका सी 36627 /2016	कोचीन उच्च न्याया।	2016	अंतिम सुनवाई 22.05.2017को थी किंतु सुनवाई के लिए नही आयासुनवाई की अगली तिथि ्पजमक	मै. मेनन एंड पाई	हैंडीमैन की नियुक्ति को चुनौती			अगली तिथि प्रतीक्षित हैए
कार्मिक	30	एआईएटीएसएल बनाम एविऐशन इंडस्ट्री संविदा कर्मचारी संघ	आई डी सं. 8/2016	औद्यो. अधि. कोचीन	2016	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है। मामले को दिनांक 23.07.2018 को पोस्ट किया गया और दिनांक 24.09.2018 को स्थगित कर दिया गया।	मै. मेनन एंड पाई	क्या संघ के आरोप कि एआईएटीएसएल प्रबंधन अपने संविदाकर्मियों को उनके लाभ देने से मना कर रहा है?		शून्य	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है। मामले को दिनांक 23.07.2018 को पोस्ट किया गया और दिनांक 24.09.2018 को स्थगित कर दिया गया।
कार्मिक	31	एआईएटीएसएल बनाम एविऐशन इंडस्ट्री संविदा कर्मचारी संघ	आई डी सं. 9/2016	औद्यो. अधि. कोचीन	2016	23.07.2018 को मामले को सीओके पर पोस्ट किया गया और 24.09.2018को स्थगित किया गया	मै. मेनन एंड पाई	क्या यह औचित्यपूर्ण है कि एआईसीएल प्रबंधन एआईसीईए के सदस्यों को एआईसीएल में स्टेशन समन्वयक के साक्षात्कार में भाग लेने से मना कर रहा है जबकि उनके पास अपेक्षित अर्हता है। संघ / कामगारों के क्या अधिकार हैं?		शून्य	सुनवाई की अगली तिथि24.09.2018
कार्मिक	32	एआईएटीएसएल बनाम एविऐशन	आई डी सं.	औद्यो. अधि.	2016	23.07.2018 को मामले को	मै. मेनन	क्या एआईएटीएसएल प्रबधंन का संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले लाभों से		शून्य	सुनवाई की अगली तिथि24ण्09ण्2018

		इंडस्ट्री संविदा कर्मचारी संघ	10/2016	कोचीन		सीओके पर पोस्ट किया गया और 24.09.2018को स्थगित किया गया	एंड पाई	संबंधित मौजूदा नियमों और विनियमों को जानबूझकर हटा रहा है। संघ / कामगारोके क्या अधिकार हैं?			
कार्मिक	33	एआईएटीएसएल बनाम एविऐशन इंडस्ट्री संविदा कर्मचारी संघ	आई डी सं. 23 / 2016	औद्यो. अधि. कोचीन	2016	अंतिम तिथि 30.08.2017 थी। संघ द्वारा दावा विवरण फाइल करने के लिए अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है।	मै. मेनन एंड पाई	क्या एआईएटीएसएलए कोचीन प्रबंधन का 6 दिनों की शिफ्ट करने का निर्णय औचित्यपूर्ण है/ यदि नहीं संबंधित कामगारों को क्या राहत पाने का अधिकार है?		शून्य	अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है
जीएसडी	34	एआईएटीएसएल बनाम एविऐशन इंडस्ट्री संविदा कर्मचारी संघ	आई डी सं. 37 / 2014	औद्यो. अधि. कोचीन	2014	संघ द्वारा 03,98,2018.को रिज्वाइंडर के लिए अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है– तिथि 09.10. 2018है।	मै. मेनन एंड पाई	क्या आईएटीएसएल प्रबंधन की एक आउटसोर्सिंग एजेंसी से 7 रैंप सुपरवाइजरों को नियुक्त करने की कार्रवाई उचित है जिससे कि कंपनी के मौजूदा अर्हताप्राप्त और अनुभवी वरिष्ठ रैंप एजेंटों का प्रमोशन रोकना सही है? यदि नहीं संबंधित कामगारों को क्या राहत पाने का अधिकार है?		शून्य	सुनवाई की अगली तिथि09.10.2018
कार्मिक	35	सानु एवी और 16 अन्य बनाम भारत संघ और अन्य	रिट याचिका (सी) सं. 41351 / 2017	कोचीन उच्च न्याया।	2017	एफिडेविट फाइल करने के लिए अगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित क्रह्दृ14.09.2018 और विचार के लिए आया और जज ने दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट किया	मै. मेनन एंड पाई	एआईएटीएसएल में नियुक्ति		शून्य	14 / 09 / 2018 और विचार के लिए आया और जज ने दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट किया
कार्मिक	36	एअर लाइन के कैजुअल कर्मचारी और 54अन्य बनाम भारत संघ और 6 अन्यण	रिट याचिका सी 6766/2018	कोचीन उच्च न्यायाण	2018	28.02.2018 को अंतरिम आदेश जारी किए गएअगली सुनवाई तिथि प्रतीक्षित है	मै. मेनन एंड पाई	अंतरिम आदेश जारी किए गए जिसमे यह निदेश दिया गया कि यदि वे एआईएटीएसएल मे ज्वाइन करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। उन्होन एआईएटीएसएल में ज्वाइन किया किंतु वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए गए। वकील ने सूचित किया कि यह मामला एअर इंडिया और कैजुअल श्रमिको के बीच है और एआईएटीएसएलकी भूमिका बहुत सीमित है		शून्य	सभी कैजुअल श्रमिको ने एआईएटीएसएलमे नियमित आधार पर ज्वाइन कर लिया है।
वित्त	37	मामला सं 269/2017केरल पुलिस अधिकारी श्री खुल्लर का सेवा भाव और एआईएटीएसएल	मामला सं 269/2017केरल पुलिस अधिकारी श्री खुल्लर का सेवा भाव और एआईएटीएसएल	जेएम कोर्ट	2017	जांच चल रही है मामले की अभी सुनवाई नही हुई है।	मै. मेनन एंड पाई	पीएफ ईएसआईसी मामला दृ जांच चल रही हैए आरोप पत्र दायर किया जाना है।		लगभग 28 लाख रूपए	जांच चल रही है।

foÙk o"kZ 2017-18 ds fy, ,vj bfM;k ,;j VªkalikVZ fyfeVsM ds foÙkh; fooj.k ij Lora= ys[kkijh{kd fjiksVZ ds laca/k esa izca/ku dk mÙkj

Øe la.	ys[kkijh{kk iz{k.k	izca/ku dk mÙkj
	हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित विषयों पर ध्यान दिया है।	
	हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों की अपेक्षा होती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं एवं योजना का अनुपालन करें औरयह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वास्तविक असत्य कथन से मुक्त हों ।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	किसी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए क्रिया विधियां शामिल होती हैं। चुनी गई क्रियाविधि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों केवास्तविक असत्य कथन के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर होता है, चाहे यह असत्य कथन धोखाधडी केकारण हो या गलती के कारण हो। उन जोखिम मूल्यांकनों के लिए लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है, जो लेखापरीक्षा क्रियाविधियों को डिजाइन करने के उद्देश्य से सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हो, लेकिन इस विषय पर राय व्यक्त करने के लिए न हों कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनगत प्रभावकारिता मौजूद है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वेस्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी क्वालिफाइड लेखापरीक्षाराय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उपयुक्त होंगे।.	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

Øe lå.	y[kkijh{kk i{k.k	icU/ku dk mŸkj
	vgrk ikIr jk;	
1	o"k dsnkjku eky lph (bUoUVh t) (th,,lMh Li;j) dk ,vj bfM;k fyfeVM l dsiuh dk vrfjr djnh tkrh gA vuqc/kA] Çcn 2 n[kA bl i dkj bUoVh t vkj n;jkf'k;k dk 706 yk[k :i, vf/kd fn[kk;k x;kA	यद्यपि रिजनल प्रबंधक जीएस स्पेयर से प्राप्त पुष्टि के अनुसार एअर इंडिया ने 1498 लाख रुपए के जीएसडी स्पेयर अंतरित किए और 706 लाख रुपए राशि को स्वीकृत किया जाता है और जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान उपभोग के लिए इंट्री को निर्धारित और दर्ज किया जाता है। जहां तक शेष राशि का संबंध है इसे एअर इंडिया के सत्यापन/समाधान तुलन पत्र से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
2	टीडीएसए पीएफए पीटीए जीएसटीए ईएसआईसी आदि जैसे सांविधिक देयों का मिलान/पुष्टि नही की गई है। नोट 34 देखें। लेखों पर इसके प्रभाव को भी निर्धारित नही किया गया है।	सांविधिक देय राशियों के मिलान का कार्य चल रहा है।
	vgrk ikIr jk;	
	अर्हता प्राप्त राय पैरा के आधार में वर्णित विषय के संभावित प्रभाव को छोड़कर हमारी राय मेंए हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को इस रूप में प्रस्तुत करता है जैसा कि अपेक्षित होता है तथा 31 मार्च 2018 को कंपनी के कार्यों, इसके लाभ, कुल व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के संबंध मे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करता है।	
	ekey dk iHkko	
	हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्न विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:	
1	o"k dsnkjku ,vj bfM;k fyfeVM l dsiuh dk dfri; vk; vkj 0;; dk vrj.kfd;k x;k gA ,vj bfM;k l dsiuh dk vrfjr ,lh vk; vkj 0;; dk foojk.k ukV l. 31 esfn;k x;k gS tks ys[k dk ,d Hkkx gA	इस प्रकार के अंतरण स्टेशनों/रिजनों द्वारा किए गए हैं और सभी सहायक और संबधित दस्तावेज उन स्टेशनों पर सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं।
2	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखे के भाग के रूप में नोट में कंपनी ने दिए गए कानूनी शुल्क और ट्रांसपोर्ट को हायर करने तथा अपंजीकृत डीलर द्वारा दिए गए सर्विस के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (3) और 9(4) के अनुसार जीएसटी के रिवर्स प्रभार प्रावधानों का पालन नही किया गया है। कतिपय मामलों में यह पाया गया है कि सीजीएसटी/एसजीएसटी के स्थान पर आईजीएसटी प्रभारित किया गया है और इसका कोई समुचित नियंत्रण/निर्धारण नही किया गया है।	जीएसटी के मिलान का कार्य चल रहा है और इसे अंतिम रूप दिए जाने के समय रिवर्स प्रभार और सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी का भी ध्यान रखा जाएगा।

Øe l .	y [kkijh{kk i {k.k	i c/ku d mŸkj
3	कतिपय प्राप्यों, देयराशियों (ऋणदाता, लेनदार, कर्मचारियों से संबंधित लेखे) की पुष्टि का मिलान किया जा रहा है। नोट सं. 34 देखें। लेखों पर इसके प्रभाव को भी निर्धारित नही किया गया है।	वित्तीय अभिलेखों के मिलान का कार्य पूर्ण हो चुका है और कंपनी ने वेंडरों से इसकी पुष्टि करने की मांग पहले ही कर दी है।
	इन मामलों के संबंध में हमारी राय में परिवर्तन नहीं हुआ है।	
	<u>vU; ekeys</u>	
	कंपनी ने इनवाइस पर क्रेडिट अवधि को मानते हुए दैनिक आधार पर अलाइंस एअर से शेष राशि पर ब्याज प्रभारित किया है जो अन्य समूह कंपनियों से ब्याज प्रभारित करने की अंगीकृत नीतियों से विचलन है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में परिवर्तन नहीं हुआ है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	vU; fof/kd vkj fu;keedh; vi{kkvk d l c/k e fjikV	
1	अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में, केन्द्र सरकार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी; लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ;श्ञघह्व श्द्ध,द्वारा यथापेक्षित हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक श्ङश्द्देह्व दे रहे हैं ।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
2	कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि: क) सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	ख) हमारी राय में, कानूनन अपेक्षित लेखों कीयथोचित बहियां कंपनी द्वारा रखी गई है, जोइन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों से मेल खाते हैं;	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	घ) हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियमकी धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकनमानक का अनुपालन करते हैं	

Øe lä.	y[kkijh{kk i{k.k	ica/ku dk mÙkj
	ड़) उपर अर्हताप्राप्त राय के पैरा में वर्णित विषय हमारी राय में कंपनी पर वित्तीय प्रभाव डालते हैं।	
	च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) केसंबंध में सरकारी कंपनी के लिए निदेशकों की अनर्हता दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (असा) के संबंध में सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।.	
	छ) लेखों के अनुरक्षण और इससे जुड़े अन्य मामले से संबधित अर्हता उसी रूप में है जैसा कि अर्हताप्राप्त राय पैरा में दिया गया है।	
	ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की वास्तविक प्रभावशीलता के संबंध में अनुलग्नक श्ञश्द्दे अलग से दीगई हमारी रिपोर्ट देखें।	
	झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (यथा संशोधित) के अनुसरण में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार शामिल किए जाने वाले अन्य मामले निम्नानुसार हैं	
	i) कंपनी ने तुलन-पत्र तिथि को अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव को प्रकट नहीं किया है।	लंबित मुकदमों के वित्तीय प्रभाव का निर्धारण नही किया गया है तथापि लंबित मुकदमों की निगरानी हमारे वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा नियमित तौर पर की जाती है। लंबित मामलों का विवरण अनुलग्नक की तालिका क मे दिया गया है।
	ii) कंपनी ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं के आधार पर वास्तविक अनुमानित हानि, यदि कोई हो, के लिए प्रयोज्य कानूनों या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रावधान किए हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के लिए राशि के अंतरण का खंड कंपनी पर लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

Øe l.	y[kk ijh{kk i{k.k	ic/ku dk mÙkj
	ञ) कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) में यथापेक्षित कंपनी के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक-ग में एक विवरण दे रहे हैं ।	

Lor= y[kkijh{kd fjiksVZ dk vuqyXud d

Øe la.	y[kkijh{kk i{k.k	izca/ku dk mÙkj
	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड; एआईएटी एसएल) के सदस्यों को हमारी सम संख्यक तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक।	
	ऐसी जांचों के आधार पर, जिसे हमने उपयुक्त समझा और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:	
1 (क)	dEiuh vpy ifjlEifRr;ksa ds jftLVj dks :i esa y[kk cfg;ksa eas miyC/k fjdkMksZa dk j[kj[kko djrh gSA vpy ifjlEifRr jftLVj esa ifjek.kkRed fooj.kksa ,oa vpy ifjlEifRr;ksa ds LFkku lfgr iw.kZ fooj.k n'kkZrs gq, mi;qä fjdkMZ dk vuqj{k.k ugha fd;k x;k gSA	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
1(ख) 1(ग)	dEiuh dh uhfr ds vuqlkj] ifjlEifRr;ksa dk okLrfod lR;kiu jksVs'kuy vk/kkj ij fd;k tkuk gS] rkfd izR;sd ifjlEifRr dk gj nks o"kksZa esa lR;kfir fd;k tk ldsA izca/ku ufiNys 4 o"kksZa ls vpy ifjlEifRr;ksa dk okLrfod lR;kiu ugha fd;k gSA rFkkfi] foÙkh; o"kZ 2017-18 ds nkSjku] ,d ckgjh pkVZMZ ,dkmUVsUV QeZ dks okLrfod lR;kiu djus ds fy, fu;qä fd;k x;k gSA bl dh fjiksVZ rS;kj dh tk jgh gSA कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है, अतः खंड लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
2.	o"kZ ds nkSjku th,lMh Lis;j dks ,vj bafM;k fyfeVsM }kjk gLrkarfjr fd;k x;k gS vkSj dEiuh }kjk bl ds fy, 1498 yk[k :i, dh jkf'k dh x.kuk dh xbZ gSA blesa ls dEiuh (xzkmaM gSMfyax foHkkx) us 792 yk[k :i, ds cgh eSY; ds Lis;j dh Lohdkjksfä dh gS rFkk dEiuh us gesa lwfpr fd;kfd 'ks"k lkekuksa dks ,vkbZ,y dks okil dj fn;k x;kA rFkkfi bl dh iqf"V vHkh rd izkIr ugha gqbZ gSA bu Lis;j lkekuksa dk vHkh rd dEiuh okLrfod :i ls lR;kfir ugha fd;k x;k gSA o"kZ dh lekfIr rd okLrfod lR;kiu ugha fd;k x;k gSA	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
3.	रिकार्डों के सत्यापन के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं। परिणामस्वरूप, आदेश के खंड 3iii (क) तथा (ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

Øe l.	y[kkijh{kk i{k.k	ic/ku d mŸkj
4	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण केअनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटियों एवं प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 कंपनी पर लागूनहीं होती है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
5	कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं, अतः जनता से जमा स्वीकार करने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के कोई अन्य प्रावधान और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
6	diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 148 dh mi/kkjk (1) dikoèkkuk vkj dUn ljdkj dh vf/klpuk d vuqlkj ykxr vfHkys[k vuqj{k.k vkj ykxr ys[kkijh{kk diuh ij ykxw gA	लागत लेखा परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
7	(क) कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्यबीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, प्रयोज्य सीमा तक उप कर जैसे अविवादित सांविधिक देय और कोई अन्य सांविधिक देय सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकरणों के यहां नियमित रूप से जमा करवाया जाता है। चूंकि फाइल किए गए रिटर्न से बहियां मेल नहीं खाती, इसलिए देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के बकाया का पता लगाने में असमर्थ हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, जीएसटी और उत्पादशुल्क के संबंध में देय कोई भी राशि ऐसी नहीं थी, जो किसी विवाद के कारण न जमा की गई हो।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
8.	कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है तथा कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
9.	निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा ऋण प्रपत्र तथा मियादी ऋणों सहित सार्वजनिक	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

Øe la.	ys[kk ijh{kk i{k.k	izca/ku ds mÙkj
	प्रस्ताव के माध्यम से धन जमा नहीं किया है । तदनुसार आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागूनहीं होते, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है ।	
10.	निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैंकि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के विरूध्द उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है ।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
11.	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, इसलिए खंड लागू नहीं है ।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
12.	हमारी राय में कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के खंड 4 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते ।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
13.	चूंकि सरकारी कंपनी पर धारा 188 लागू नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
14.	निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर का आबंटन नहीं किया है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(14) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है ।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
15.	निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(15) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
16.	हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3(16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है ।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

Lor= y[kkijh{kd fjikV dk vuyXud [k

Øe la.	y[kkijh{kk i{k.k	icU/ku dk mŸkj
	dEiuh vf/kfu;e] 2013 "vf/kfu;e" dh /kkjk 143 dh mi-/kkjk 3 d [kM (i) d rgr vkrfjd foŸkh; fu;=.k lc/kh fjikV हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के साथ उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।	
	vkrfjd foŸkh; fu;=.kk d fy, icU/ku dk mŸkjnkf;Ro	
	कंपनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों को ध्यान में रखकर कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा इसका अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित कंपनी की नीतियों का पालन करने, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा करने, धोखाधड़ी और गलतियों को दूर करने तथा इनका पता लगाने, लेखा रिकार्डों की यथा तथ्यता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय विवरण को समय पर तैयार करने सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो कंपनी के कारोबार को क्रमबद्ध और सुचारू रूप से संचालित करने में प्रभावी भूमिका निभा रहे थे, की डिजाइन बनाना, कार्यान्वयन करना तथा इसका रखरखाव करना शामिल है।	
	y[kkijh{kdk dh ftEenkjh	
	हमारी ज़िम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय प्रकट करना है। हमने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट तथा लेखापरीक्षा मानकों की प्रयोज्य सीमा के अनुसरण में अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं तथा योजना का अनुपालन करें तथा युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो और इस प्रकार का नियंत्रण सभी वास्तविक संदर्भों में प्रभावी रूप	

Øe la.	y[kkijh{kk i{k.k	izca/ku dk mÙkj
	से प्रचालित हो। हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसकी प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल होता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे मे समझ बनाना, ऐसे जोखिम का आकलन करना कि वास्तविक कमी विद्यमान है और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और प्रचालनात्मक प्रभावकारिता का परीक्षण करना और मूल्यांकन करना शामिल होता है। चयनित प्रक्रिया धोखा या गलती के कारण वित्तीय विवरण के वास्तविक असत्य कथन के जोखिम का मूल्यांकन करने के साथ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।	
	हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में क्वालिफाइड लेखापरीक्षाराय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उपयुक्त होंगे।	
	foÙkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foÙkh; fu;a=.kk dk vFkZ	
	किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो: (1) रिकार्डो के रखरखाव से संबंधित हो जिसमें उचित रूप में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उसकी स्थिति का सही और निष्पक्ष प्रकटन किया गया हो; (2) युक्तिसंगत आश्वासन देते है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से लेनदेन को दर्ज किया गया है और कंपनी की आय और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार से ही किया जा रहा है; और (3) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम करने या समय	

Øe l.	y[kkijh{kk i{k.k	ic/ku d mÙkj
	पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं ।	
	foÙkh; fjiksVZx ij vkarfjd foÙkh; fu;=.kksa dh lgt lhek सांठ-गांठ अथवा प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप सेनियंत्रणों को हटाए जाने की संभावना, त्रुटि याधोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण विवरणों में वास्तविक विचलन हो सकता है तथा उनका पता नहीं चल सकता । साथ ही एभावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है ।	
	vgrkiklr (DokyhQkbM) jk;	
	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2018 को निम्नलिखित प्रमुख कमियों की पहचान की गई है:	
	d- tkf[ke dk vkdyu djrs le; /kks[kk/kfM+;ksa dh lEHkkouk dks lnHkZ esa dEiuh dk foÙkh; fjiksVZ ij vkarfjd foÙkh; fu;=.k i).kkyh esa tkf[ke eY;kadu ij i;kZIr /;ku ugha fn;k x;k gS tcfd ;g vkarfjd fu;=.k dk ,d egRoi.kZ ?kVd gSA	कंपनी अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में सतत रूप से लगी हुई है और कंपनी उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को परिभाषित करने की प्रक्रिया में है।
	[k- lf{kIr izfØ;kukVf tl ds vk/kkj ij odZ¶yks lapkfyr gksrk gS dks NksMdj lHkh foHkkxksa/izfØ;kvksa ds fy, ekud izpkyu izfØ;kvksa dks rS;kj vkSj fyfic) ugha fd;k x;k gSA	विभिन्न विभागों/प्रक्रियाओं के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को तैयार किया जा रहा है।
	x- dkfEed foHkkx ds ekLVj vfM'ku esa eSuqvy fu;=.k ds dkj.k deh ikbZ xbZ gS blfy, xyrh] foykai] vf/kd ;k de Hkqxrku dh T;knk lEHkkouk है।	कंपनी प्रक्रिया को संगत बनाने की प्रक्रिया में है।
	घ. कंपनी ने अपनी संगठनात्मक संरचना को परिभाषित नही किया है और कर्मचारियों के जाब का विवरण लिपिबद्ध नही किया है।	एआईएटीएसएल के स्थाई कर्मचारियों के पदनाम के साथ उनकी नौकरी का ब्यौरा एअर इंडिया के पास उपलब्ध है । एफटीसी स्टाफ के लिए एआईएटीएसएल के एचआर के पास पदनाम सहित नौकरी का ब्यौरा उपलब्ध है।

Øe lañ	y[kk ijh{kk i{k.k	izca/ku dk mÙkj
	ड़ कंपनी द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा नही की जाती है।	शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा की जा रही है।
	च. कंपनी के पास सामान्य आईटी नियंत्रण का मूल्यांकन और परीक्षण करने के लिए प्रभावी सूचना जांच प्रणाली नहीं है जो आईटी सिस्टम से सृजित रिपोर्टों की पूर्णता, सटीकता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। जैसा कि हमे बताया गया आईटी विभाग एअर इंडिया (होल्डिंग कंपनी) सभी आईटी संबंधी नियंत्रण देखता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है तथापि भविष्य मे अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।
	छ. स्थानीय सिस्टम का बैकअप नियमित आधार पर नही लिया जाता है और डाटा को सर्वर पर स्टोर नही किया जाता है। लैन अवधारणा का उपयोग नही किया जाता है। यूएसबी ड्राइवर ओपन रहते हैं। सैप डाटा एअर इंडिया में रखा जाता है। नेटवर्क संरचना उपलब्ध नहीं है। आईटी नियंत्रण कमजोर है।	कंपनी द्व,ारा प्रयुक्त मेल आईटी सिस्टम सैप और ईमेल हैं जो होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनी आईटी नीति के तहत अनुरक्षित किया जाता है और लागत साझेदारी आधार पर कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है। सर्वर में डाटा का बैकअप और सुरक्षा का अनुरक्षण भी होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाता है।
	ज. सैप लॉगिन उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की जाती है। मेकर चेकर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। जो व्यक्ति लेनदेन करता है वही लेनदेन को पोस्ट करता है।	स्टाफ की पर्याप्तता के अभाव में मेकर चेकर सिस्टम को प्रभावी रूप में प्रयोग नही किया जा सका है। तथापि मेकर/चेकर सिस्टम को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है।
	झ. अचल परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन के संबंध में कंपनी की नीति के अनुसार यह दो वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए किंतु एआईएल से एआईएटीएसएल को कारोबार अंतरित करने के उपरांत इस प्रकार का कोई वास्तविक सत्यापन नही किया गया है।	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान वास्तविक सत्यापन करने के लिए एक बाह्य सनदी लेखाकार फर्म को वास्तविक सत्यापन करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
	ण. प्रबंधन द्वारा निर्धारित नियंत्रण की हमारी जांच के आधार पर प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:	
	1 राजस्व **(क)** एअरलाइनों की बिलिंग के लिए प्रयुक्त एमबीएस साफ्टवेयर में मास्टर सृजित करने के लिए मेकर चेकर सिस्टम मौजूद नहीं है। तथापि इनवायस बनाने के लिए वेस्टर्न रीजन द्वारा मेकर चेकर सिस्टम का पालन नही किया जा रहा है।	स्टाफ की पर्याप्तता के अभाव में मेकर चेकर सिस्टम को प्रभावी रूप में प्रयोग नही किया जा सका है। तथापि मेकर/चेकर सिस्टम को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है।
	(ख) आरए फार्म को जारी करने और इसका रखरखाव करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप सभी रीजनों मे प्रयुक्त किए जा रहे आरए फार्म अलग अलग फार्मेट में हैं और इसकी प्रिंटिंग और सीरियल नंबर भी मानक के अनुरूप नहीं हैं।	आरए फार्म के मानक फार्मेट को तैयार कर लिया गया है और इस पर सीरियल नंबर मुद्रित करके सभी रीजनों में वितरित कर दिया गया है।

Øe l.	y[kk ijh{kk i{k.k	izcU/ku dk mÙkj
	(ग) डयूटी मैनेजर द्वारा बिलिंग विभाग को स्वीकृत आरए फार्म भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है और न ही इस कार्य के लिए कोई जिम्मेवारी तय की गई है। फलस्वरूप प्रदत्त सेवा और बनाई गई इनवायस के बीच पर्याप्त समय अंतराल पाया गया है।	आरए फार्म को बिलिंग विभाग को समय पर अग्रेषित करने के लिए सभी संबंधितों को उचित आदेश जारी करने के जरूरी उपाय किए गए हैं। कंपनी बिलिंग सिस्टम के ऑटोमेशन के लिए प्रयास कर रही है।
	(घ) यद्यपि प्रबंधन द्वारा इनवायस चक्र का निर्धारण किया गया है तथापि बिलिंग विभाग द्वारा आरए फार्म समय पर न प्राप्त होने के कारण इसका अनुपालन नही किया जा रहा है।	आरए फार्म को बिलिंग विभाग को समय पर अग्रेषित करने के लिए सभी संबंधितों को उचित आदेश जारी करने के जरूरी उपाय किए गए हैं। कंपनी बिलिंग सिस्टम के ऑटोमेशन के लिए प्रयास कर रही है।
	(ड़) राजस्व चूकों का पता लगाने के लिए वेस्टर्न रीजन में फ्लाइट कार्यक्रम के साथ जारी आरए फार्म का मिलान नही किया जा रहा है।	आरए फार्म को बिलिंग विभाग को समय पर अग्रेषित करने के लिए सभी संबंधितों को उचित आदेश जारी करने के जरूरी उपाय किए गए हैं। कंपनी बिलिंग सिस्टम के ऑटोमेशन के लिए प्रयास कर रही है।
	(च) एमबीएस साफ्टवेयर से जारी विभिन्न इनवायस में गणितीय अशुद्धता पायी गई है। फलस्वरूप अधिक/कम बिलिंग के मामले पाए गए जो इनवायस की प्रक्रिया में वास्तविक कमी दर्शाते हैं।	आरए फार्म को बिलिंग विभाग को समय पर अग्रेषित करने के लिए सभी संबंधितों को उचित आदेश जारी करने के जरूरी उपाय किए गए हैं। कंपनी बिलिंग सिस्टम के ऑटोमेशन के लिए प्रयास कर रही है।
	(च) सभी इनवायस एमबीएस से सृजित नही किए जा रहे हैं। रीजन अलग प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। मैनुअल इनवायस जारी करने के मामले भी पाए गए हैं। इनवायस फार्मेट भी विशिष्ट नहीं है। इसके अलावा, इनवायस फार्मेट में कुछ अनिवार्य फील्ड नहीं दिए गए हैं। इनवायस सिस्टम के लिए मजबूत आटोमेटेड नियंत्रण की आवश्यकता है।	इनवायस के ऑटोमेटेड नियंत्रण के लिए मानक पद्धति अपनाई जा रही है और यह कार्य कर रही है।
	(ज) एमबीएस में लॉगिन को अनुपयुक्त तरीके से साझा किया जा रहा है। उपयुक्त लॉग भी उपलब्ध नहीं हैं।	सभी संबंधितों को उपयुक्त लॉगिन प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।
	(झ) ग्रुप कंपनी के मामले में आरए फार्म तैयार नहीं किए गए हैं और इनवायस आईओसीसी डाटा (आईओसीसी को मूल कंपनी द्वारा अनुरक्षित किया जाता है) पर आधारित इनवायस जारी किया जाता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। ऑटोमेटेड सिस्टम, जो प्रगति पर है, के लागू होने के बाद ग्रुप कंपनियों के बिलिंग को भी ऑटोमेटेड सिस्टम से किया जाएगा।
	(ञ) एआईएल के साथ एमओयू में निर्धारित दरें कार्यकरण के किसी आधार द्वारा समर्थित नहीं हैं।	एआईएल के साथ एमओयू में सहमति प्राप्त दरें वाणिज्यिक लिहाज से आंतरिक कार्यकरण और पारस्परिक समझ पर आधारित हैं।

Øe l.	y[kkijh{kk i{k.k	icU/ku dk mÙkj
	(ट) हांलाकि एमबीएस से सैप का इंटरफेस ऑटोमेटेड है तो भी कतिपय मामलों में मिसिंग फील्ड पाई गई हैं जिसके परिणामस्वरूप सैप में बिल स्वत: बुक नही हो पाते हैं।	एमबीएस की सभी इनवायस को सैप में बुक करने के लिए सिस्टम को संशोधित किया जा रहा है।
	(ठ) कार्गो कांप्लेक्स में टीएसपी रसीदे सृजित करने के लिए प्रयुक्त गैलेक्सी सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं है और इसमें कतिपय विवरण मैनुअल तरीके से दर्ज करने पड़ते हैं।	सही और आटोमेटेड रसीद के लिए सिस्टम को संशोधित किया जा रहा है।
	(ण) टीएसपी रसीद विभाग के किसी अधिकारी द्वारा सृजित की जा सकती है और इसे प्राधिकार के साथ पृथक नहीं किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। टिप्पणियों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।
	(त) चूंकि विभाग में स्टाफ की कमी है इसलिए समयबद्ध रूप से प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण एआईएटीएसएल पर कस्टम जुर्माना लगने की संभावना है।	कंपनी स्टाफ संख्या को बढ़ाने की प्रक्रिया में है। तथापि उपलब्ध स्टाफ संख्या के साथ प्रक्रियाओं का समयबद्ध अनुपालन करने का हर संभव प्रयास किया गया है और इसके परिणामस्वरूप ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।
	(थ) आयात/निर्यात से संबंधित राजस्व को दर्ज करने के लिए गैलक्सी से सैप में डाटा का अंतरण आटोमेटेड नहीं है।	इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है क्योंकि इसमें सिस्टम में बदलाव करना शामिल है। बैकल्पिक समाधानों पर भी विचार किया जा रहा है।
	2. ekuo lalk/ku (क) कंपनी के पास मानव संसाधन विकास (एचआरडी) के लिए विस्तृत नीति/मानक प्रचालन प्रक्रिया नहीं है। नीतियों के लिए जब कभी आवश्यक हुआ प्रबंधन के अनुमोदन से नोट जारी किए जाते हैं।	एआईएटीएसएल के स्थाई कर्मचारियो के लिए होल्डिंग कंपनी की नीति लागू होती है। एफटीसी के मामले में प्रबंधन के अनुमोदन से नोट जारी किए जाते हैं।
	(ख) कर्मचारियों की बड़ी संख्या होने होने के बावजूद कंपनी के पास उपस्थिति एवं पे रोल के लिए स्वचालित नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा मानक मैनुअल उपस्थिति मानकों का पालन भी विभागों में नहीं किया जा रहा है।	विभिन्न अनुभागों में उपस्थिति रजिस्टर एवं पंचिंग कार्ड रखकर संबंधित प्रभाग प्रमुख द्वारा उपस्थिति पर क?ा नियंत्रण रखा जाता है। जहांतक उपस्थिति प्रणाली के लिए स्वचालित नियंत्रण (बायो-मैट्रिक) का संबंध है, एअर इंडिया द्वारा एफटीसी कर्मचारियों सहित एआईएटीएसएल के सभी कर्मचारियों के लिए सिस्टम खरीदा गया है।तथापि, एअर इंडिया द्वारा बायो-मैट्रिक मशीन के कार्यान्वयन में विलंब को देखाते हुए एएआईएटीएसएल ने बीओएम जीएसडी कांप्लेक्स में अपना बायो- मैट्रिक सिस्टम संस्थापित किया है। इसके निष्पादन के आधार पर इसे सभी स्थानों पर कार्यान्वित किया जाएगा।
	(ग) कंपनी में बाद में हाजिरी लगाने, जल्दी घर जाने आदि के रिकार्ड नहीं रखा जाता इसलिए वेतन से कटौती नही की जाती है।	बायो-मिट्रिक सिस्टम संस्थापित हो जाने के बाद ये मामले सिस्टम द्वारा देखे जाएगें।

Øe laå	ys[kkijh{kk i{k.k		izca/ku dk mÙkj
	(घ)	वेतन पर्ची की प्रक्रिया स्वचालित नहीं है और इसमें सभी विभागों से मैनुअल इनपुट की आवश्यकता होती है।	सैप को बायो मिट्रिक सिस्टम से लिंक करने से प्रक्रिया स्वचालित हो जाएगी तब तक मैनुअल इनपुट की व्यवस्था लागू रहेगी।
	(ङ)	सैप में मास्टर डाटा बेस में प्रविष्टि/अपडेट करने के लिए चेकर मेकर टूल नहीं है जिससे वेतन के गलत/अधिक/कम भुगतान का मामला आता है।	चेकर मेकर के मास्टर अपडेशन की प्रक्रिया कार्यान्वित की जाएगी।
	3.	<u>ys[kk vkj foÙk</u>	
	(क)	सैप में प्रयोक्ताओं की सूची और उनके अधिकार उपलब्ध नही हैं।	सैप प्रयोक्ताओं के अधिकारों का निर्धारण करने की प्रक्रिया चल रही है।
	(ख)	सैप में मेकर चेकर टूल का पालन नहीं किया जाता है।	मेकर/चेकर टूल को निर्धारित करने तथा इसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है।
	(ग)	डारमेंट/निष्क्रिय जीएल खातों की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं है और सक्षम प्राधकारी द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जाती है।	मूल कंपनी की आवश्यकता के आधार पर जीएल खातों को परिभाषित किया जा रहा है।
	(घ)	अनेक मामलों में जर्नल इंट्री में रिवर्सल को उपयुक्त दस्तावेज अनुमोदन से सपोर्ट नही किया गया है।	अनुमोदन सदैव प्राप्त किए जाते हैं तथापि इसका दस्तावेज रखना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
	(ङ)	जर्नल बाउचर की पोस्टिंग को अनेक मामलों में उपयुक्त दस्तावेजी अनुमोदन से सपोर्ट किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	(च)	कुछ मामलों में यह भी नोट किया गया कि पार्टी/वेंडर के माध्यम से रोटेट करने के बजाय सीधी बैंक इंट्री पास की गई है। नियंत्रण स्थापित नही किया जा सकता।	सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
	(छ)	कंपनी के पास आवधिक आधार पर बकाया की पुष्टि करने तथा मिलान न हुए प्राप्य राशियों और देय राशियों के मिलान करने हेतु उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नही है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। तथापि सभी वेंडरों और उपभोक्ताओं से पुष्टि की जा रही है।
	(ज)	एअर इंडिया लिमिटेड (मूल कंपनी) बिना किसी सहायक दस्तावेज के खर्चों को काट रही है और कुछ राजस्व जमा कर रही है। इन खर्चों/राजस्व को सत्यापित करने के लिए कंपनी के पास कोई तरीका नही है।	अंतरण स्टेशन/रीजन द्वारा किए जाते है और सभी सहायक दस्तावेज संबंधित स्टेशन के पास सत्यापन हेतु उपलब्ध हैं।
	(झ)	समूह कंपनियों के साथ लेनदेन को केवल वर्ष के अंत में किया जाता है जबकि यह उपयुक्त	यह एक तथ्यात्मक विवरण है और टिप्पणियों को

Øe lañ	ys[kkijh{kk i{k.k	izca/ku dk mÙkj
	अधिकारी की देखरेख में कम से कम मासिक/तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए।	अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।
	(ञ) खुदरा नकदी की नीति सभी रीजनों में मानक के अनुरूप नहीं है, इसका मानकीकरण किया जाना चाहिए।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है और टिप्पणियों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।
	(ट) कट आफ प्रक्रिया केवल वर्ष के अंत में लागू होती है। तथापि जीएसटी लागू होने के बाद यह मासिक आधार पर होनी चाहिए और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा होनी चाहिए।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है और टिप्पणियों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।
	(ठ) प्रावधान व्यवस्था माह दर माह आधार की बजाय वर्ष के अंत में अपनाई जाती है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है और टिप्पणियों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।
	(ड) आकस्मिक देयताओं का निर्धारण करने तथा वित्तीय विवरणों में इसे प्रदर्शित करने के लिए कोई मानक प्रक्रिया नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है और टिप्पणियों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।
	(ढ) अनुषंगी कंपनियों को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त आय के कार्यशील पूंजी चक्र की बिलिंग नियमित है लेकिन आय समय बद्ध रूप में दर्ज नही है।	इसका समयबद्ध निपटान करने के लिए समूह कंपनियों के साथ उठाया गया है।
	(ण) बीमा के मामले में एअर इंडिया द्वारा केवल प्रीमियम राशि काटी गई है, बीमित परिसंपत्ति के लिए कंपनी के पास कोई उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।	हमारी मूल कंपनी के पास विवरण उपलब्ध है।
	(त) स्क्रैप की बिक्री की गई है किंतु उचित दस्तावेजों के अभाव में इसे अचल संपत्ति रजिस्टर से नहीं हटाया गया है।	इसे पूरा कर लिया गया है।
	(थ) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सामान्य लेजरों के जांच की कोई लिखित प्रक्रिया नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है और टिप्पणियों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।
	(द) वित्त वर्ष 2016-17 के कर लेखापरीक्षा को अभी पूर्ण नहीं किया गया है।	वित्त वर्ष 2016-17 की कर लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी है।
	(ध) सांविधिक विवरणी (जीएसटीए टीडीएसए पीएफए पीटीए ईएसआईसी आदि) और बहियों का मिलान कार्य चल रहा है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

Øe l-	ys[kkijh{kk i{k.k	icU/ku dk mŸkj
	4. ikz.k	
	(क) सैप की बजाय प्रापण आदेश मैनुअल तरीके से जारी किए जाते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	(ख) किसी विभाग में किसी प्रापण के लिए जीआरएन जारी नही किया जाता है।	यद्यपि जीआरएन जारी नहीं किया जाता है, प्राप्त मात्रा के प्रमाणन के आधार पर भुगतान किया जाता है।
	(ग) विभिन्न वेंडरों से एआईएटीएसएल को पेशकश की गई क्रेडिट अवधि की समीक्षा करने की कोई प्रक्रिया नहीं है।	क्रेडिट अवधि पर विचार करके भुगतान किया जाता है।
	(घ) प्रापण इनवायस को वित्त विभाग को अग्रेषित करने की प्रक्रिया निर्धारित नही है।	यद्यपि कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नही है, इनवायस को प्रयोक्ता विभाग द्वारा विधिवत प्रमाणित करके तथा भुगतान के लिए अनुमोदित करके वित्त विभाग को भेजे जाते हैं।
	(ङ) प्रबंधक वित्त द्वारा परिसंपत्तियों की गणना को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना पूंजीकृत कर दिया जाता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है और टिप्पणियों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।
	(च) प्रबंधक वित्त द्वारा प्रापण की अचल परिसंपत्तियों का सैप कोड और विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नही होता है।	पूंजीकृत किए जाने के लिए किसी परिसंपत्ति हेतु पूंजी प्रापण का सैप कोड वित्त विभाग द्वारा मांगा जाता है और सभी प्रापण किए जाने वाले परिसंपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
	(छ) सैप मे मूल्यह्रास को आटोमेटेड किया गया है जबकि मास्टर दरों के लिए अपडेटेड नही है और इसके लिए पुरानी और नई दरों के बीच अंतर की गणना के लिए इसे पुन: चलाया जाता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है और सैप में मास्टर को अपडेट करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएगें।
	5. vU;	
	(क) कंपनी ने कारोबार सुगमता योजना/आपदा रिकवरी योजना को प्रलेखित और अनुमोदित नहीं किया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी अथवा कमियों का समूह महत्वपूर्ण कमी कहलाती है, जिससे यह संभव है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों में वास्तविक विचलन को रोका या फिर उसका समय पर पता न चल सके।	

Øe la.	ys[kk ijh{kk i{k.k	izca/ku dk mÙkj
	हमारे मूल्यांकन में, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में किए गए उल्लेख के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, ऊपर उल्लिखित वास्तविक कमियों के उपर्युक्त संकेत/संभव प्रभावों के अलावा, कंपनी ने, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और 31 मार्च, 2018 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से क्रियात्मक थे।	

Lora= y{[kkijh{kd fjiksVZ dk vuqyXud x

Øe la-	daiuh vf/kfu;e 2013 dh /kkjk 143 (5) ds vrxZr funs'k	y{[kk ijh{kk fVIif.k;ka	foÙkh; fooj.k ij iHkko	iza/ku dk mÙkj
	Hkkjr ds fu;a=d ,oa egky{[kk ijh{kd lsa ikIr funs'kksa / mi-funs'kksa ds vuqikyu esa fjiksVZ			
1	यदि कंपनी विनिवेश के लिए चुनी जाती है, तो परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों एवं भूमि सहित) एवं दायित्वों (वचनबद्ध एवं सामान्य आरक्षिति सहित) के मूल्यांकन के संदर्भ में एक संपूर्ण स्टेटस की जांच की जा सकती है जिसमें विनिवेश प्रक्रिया के तरीके और इसकी मौजूदा स्थिति की जांच भी शामिल होगी।	एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश पर नीति आयोग की सिफारिशों और विनिवेश संबंधी सचिवों के मुख्य समूह (सीजीडी) की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में कंपनी को विनिवेश के लिए चुना गया है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2017 को हुई बैठक में एअर इंडिया लिमिटेड उसकी पांच सहायक कंपनियों (जिसमें एआईएटीएसएल शामिल है) एवं संयुक्त उद्यम के कार्यनीतिक विनिवेश पर विचार करने के लिए शैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सीसीईए ने भी कार्यनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) के गठन की मंजूरी दे दी है। अब तक विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लेनदेन सलाहकार, विधिक सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकक को नियुक्त किया गया है।	शून्य	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
2	या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट हक विलेख/लीज डीड है? यदि नहीं तो फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए हक/लीज विलेख उपलब्ध नहीं है?	daiuh ds ikl dksbZ Ýh gksYM ;k yht gksYM Hkwfe ;k Hkkou ugha gSA	शून्य	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
3	कृपया रिपोर्ट करें कि क्या छूट/कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने के संबंध मेंकोई मामला हैं। यदि हां तो उसका कारण एवं अंतर्निहित राशि का ब्यौरा दें।	,slh dksbZ NwV/cV~Vs [kkrs Mkyus dk ekeyk ik;k x;k gSA	शून्य	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

Lor= ys[kkijh{kd fjiksVZ dk vuqyXud x

Øe l-	dEiuh vf/kfu;e 2013 dh /kkjk 143 (5) ds vUrxZr funs'k	ys[kk ijh{kk fVIi.kh;k	foŸkh; fooj.k ij iHkko	izcU/ku dk mŸkj
4	क्या तीसरे पक्षकारों के यहां प?ीइन्वेंटरी और सरकार याअन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूपमें प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में उपयुक्त रिकार्ड रखे गए हैं।	tSlkfd geas lfpr fd;k x;k gS] o"kZ ds nkSjku rhljs i{kdkjksa ds ;gka iMh dksbZ Hkh bUosUVjh ugha gS vkSj u gh ljdkj ;k vU; lzksr ls migkj ds :i esa ifjlEifŸk;ka izkIr gqbZ gSA	शून्य	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
5	लंबित विधिक/विवाचन मामलों सहित सभी विधिक मामलों (विदेशीएवं स्थानीय) पर खर्च के लिए निगरानी प्रणाली की मौजूदगी/प्रभावकारिता और इन मामलों के लंबित रहने के कारणों के अवधि वार विश्लेषण पर एक रिपोर्ट दी जाए।	tSlkfd geas lfpr fd;k x;k gS] 37 fof/kd/ek/;LFke ekeys yfEcr gSA ekeyksa dk fooj.k rkfydk'3' esa layXu gSA		यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

31 ekpl 2018 dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu i=

(jkf'k #i, e)

fooj.k	ukV lnHkl	31 ekp] 2018 dk	31 ekp] 2017 dk	1 vi¨y] 2016 dk
ifjlaifŸk				
1. xSj orZeku ifjlaifŸk;k				
(I) संपत्ति, संयत्र और उपकरण	2	**2,665,260,215**	1,762,507,369	1,37,78,43,295
(ii) वित्तीय आस्तियां:				
क) अन्य				
(iii) आयकर परिसंपत्तियां	4	**1,015,846,448**	1,060,542,123	70,99,82,816
(iv) आस्थगित कर परसंपत्तियां (नेट)	10	**5,777,504**	25,289,411	11,51,24,668
(v) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		**-**	-	
2. orZeku ifjlaifŸk;k				
(I) इनवेंट्रीज	5	**136,752,440**		
(ii) वित्तीय परिसंपत्तियां				
क) ट्रेड प्राप्य राशियां	6	**3,148,651,968**	3,026,770,749	2,76,11,53,457
ख) नकद और नकदी समतुल्य	7	**228,404,569**	173,751,138	55,10,61,084
ग) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा		**-**	-	-
घ) अन्य	3	**9,216,980**	37,460,258	1,43,14,301
(iii) वर्तमान कर परिसंपत्तियां				
(iv) अन्य कर परिसंपत्तियां	5	**226,665,894**	331,567,442	11,28,77,265
dqy ifjlaifŸk;k		**7,436,576,019**	**6,417,888,489**	**5,64,23,56,886**
bfDoVh vkSj ns;rk,a :				
1. bfDoVh				
क) इक्विटी शेयर कैपिटल	**8**	**1,384,242,000**	1,384,242,000	1,38,42,42,000
ख) अन्य इक्विटी	**9**	**671,093,956**	42,058,937	-10,84,71,958
2. ns;rk,a :				
(I) xSj orZeku ns;rk,a				
क) वित्तीय देयताएं				
i) अन्य	11	**2,555,000**	3,070,000	30,70,000
ख) प्रावधान	12	**3,211,264,484**	3,034,105,332	2,78,86,71,990
ग) अन्य गैर वर्तमान देयताएं				
(ii) orZeku ns;rk,a				
क) वित्तीय देयताएं				
i) ट्रेड प्राप्य	13	**125,817,232**	488,093,963	31,58,70,970
ii) अन्य	11	**1,492,411,705**	1,161,199,271	83,71,66,503
ख) प्रावधान	12	**361,788,766**	231,997,060	36,39,73,660
ग) अन्य वर्तमान देयताएं	14	**187,402,877**	73,121,926	5,78,33,721
dqy bfDoVh vkSj ns;rk,a		**7,436,576,019**	**6,417,888,489**	**5,64,23,56,886**

हमारी संमसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और की ओर से

जैन एंड जैन
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 103869डब्ल्यू

हस्ता/-
सीए जिम्मी सेठ
(सहयोगी) एम नं. 122280
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर, 2108

निदेशक की ओर से और उनके लिए

हस्ता/-
(प्रदीप खरोला)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(विनोद हेजमाड़ी)
निदेशक

हस्ता/-
(t-oh- jfo dekj)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(कै. ए के शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(पूनम भरवानी)
कंपनी सचिव

31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ ds fy, ykHk vkSj gkfu fooj.k

(jkf'k #i, esa)

fooj.k	uksV laa[;k	2017-18	2016-17
I. प्रचालन से लाभ (सकल):			
कम: सीमा शुल्क			
- हैंडलिंग सेवाओं से राजस्व	15	**6,455,743,174**	5,920,329,628
II. अन्य आय:	16	**223,834,414**	266,829,539
III dqy jktLo (I + II)		**6,679,577,588**	**6,187,159,167**
IV. व्यय:			
कर्मचारी लाभ व्यय	17	**4,573,867,178**	4,307,180,668
वित्तीय लागत	18	**-**	-
मूल्य ह्रास और मुद्रीकरण	19	**248,747,914**	192,031,126
अन्य व्यय	20	**635,471,857**	1,170,184,680
dqy O;;		**5,458,086,949**	**5,669,396,474**
V fof'k"V enksa vkSj dj ds iwoZ ykHk (III-IV)		**1,221,490,639**	**517,762,692**
VI. विशिष्ट मदें		**-**	-
पूर्व अवधि मदें		**-**	-
IX dj iwoZ ykHk (VII-VIII)		**1,221,490,639**	**517,762,692**
X. कर व्यय			
1. वर्तमान कर		**491,496,610**	192,500,000
2. कर का कम (अधिक) प्रावधान		**-**	-
3. आस्थगित कर दायित्व		**19,511,907**	89,835,257
XI. fujarj izpkyu ls vof/k ds fy, ykHk (IX-X)		**710,482,122**	**235,427,436**
XV. vof/k ds fy, ykHk (XIV+XI)		**710,482,122**	**235,427,436**
IX. vU; O;kid enas			
क. वास्तविक लाभ (हानि) परिभाषित लाभ दायित्व		**(81,447,103)**	**(84,896,541)**
X o"kZ ds fy, dqy O;kid vk;		**629,035,019**	**150,530,895**
XI. प्रति इक्विटी शेयर आय			
बेसिक		**5.13**	**1.70**
विलोपित		**5.13**	**1.70**

egRoiw.kZ ys[kkdau uhfr;ksa vkSj — **1**

foÙkh; fooj.k dk Hkkx cuus okyk uksV — **2-52**

The accompanying notes are an integral part of the Financial Statements.
This is the statement of Profit and Loss referred to in our report of even date.

हमारी संमसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और की ओर से — निदेशक की ओर से और उनके लिए

tSu ,.M tSu
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 103869डब्ल्यू

हस्ता/-
(iznhi [kjkyk)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(fouhn gstekMh)
निदेशक

हस्ता/-
lh, ftEeh lSB
(सहयोगी) एम नं. 122280
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर, 2108

हस्ता/-
(ts-oh- jfo dqekj)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(d`. , ds 'kek)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(ique Hkjokuh)
कंपनी सचिव

31 ekp 2018 dk bfDoVh e ifjoru dk fooj.k

¼#lk, fefy;u e½

d- bfDoVh 'k;j iwath	31 ekp 2018 dk		31 मार्च, 2017 को		1 अप्रैल, 2016 को	
	'k;jk dh l-	jkf'k #- e	शेयरों की सं.	राशि रु. में	शेयरों की सं.	राशि रु. में
रिपोटिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	**13,84,24,200**	**1,38,42,42,000**	13,84,24,200	1,38,42,42,000	13,84,24,200	1,38,42,42,000
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन						
जोड़करः	-	-	-	-	-	-
घटाकरः						
रिपोटिंग अवधि के अंत में शेष	**13,84,24,200**	**1,38,42,42,000**	13,84,24,200	1,38,42,42,000	13,84,24,200	1,38,42,42,000

¼#lk, fefy;u e½

[k- vU; bfDoVh	vkjf{kr iwath	ifr/kkfjr vk;	dqy
31.03.2017 dk 'k"k	126,955,478	-84,896,541	42,058,937
पूर्वावधि समायोजन	-	-	-
31-03-2017 dk iu% ?kkf"kr 'k"k	126,955,478	-84,896,541	42,058,937
वर्ष के लिए लाभ का/से	710,482,122	-81,447,103	629,035,019
Other comprehensive income for the year			-
31-03-2018 dk 'k"k	**837,437,600**	**-166,343,644**	**671,093,956**
31-04-2016 dk 'k"k	1,918,328,879		1,918,328,879
पूर्वावधि समायोजन	-2,026,800,836		-2,026,800,836
31-03-2016 dk iu% ?kkf"kr 'k"k	-108,471,958		-108,471,958
वर्ष के लिए लाभ का/से	235,427,436	-84,896,541	150,530,895
31-03-2017 dk 'k"k	**126,955,478**	**-84,896,541**	**42,058,937**

हमारी संमसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और की ओर से

tSu ,M tSu

सनदी लेखाकार

एफआरएनः 103869डब्ल्यू

हस्ता/-

lh, ftEeh lsB

(सहयोगी) एम नं. 122280

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 06 नवंबर, 2108

निदेशक की ओर से और उनके लिए

हस्ता/-

(inhi [kjkyk)

अध्यक्ष

हस्ता/-

(foukn gt ekMh)

निदेशक

हस्ता/-

(t-oh- jfo dqekj)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-

(d-, d- 'kek)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-

(iue Hkjokuh)

कंपनी सचिव

31 ekpl 2018 dk lekIr o"k dk fy, udnh iokg fooj.k

(jkf'k #i, e)

fooj.k	2017-18		2016-17	
d ipkyu dk;dykik l udnh iokg		1,221,490,639		517,762,692
कर पूर्व निवल लाभ				
समायोजन:				
मूल्यह्रास/मुद्रीकरण	248,747,914		192,031,126	
कर रिफंड पर प्राप्त ब्याज	-		-	
बट्टे खाते डाला गया प्रारंभिक व्यय	-	248,747,914	-	192,031,126
dk;'khy ith ifjorlu d io ipkyu ykHk		1,470,238,553		709,793,819
ब्यापार प्राप्यों में वृद्धि/ कमी	(121,881,219)		(265,617,292)	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि/ कमी	(3,607,615)		(241,836,134)	
प्रावधानों में वृद्धि/ कमी	306,950,858		113,456,742	
वर्तमान देयताओं में वृद्धि/ कमी				
अन्य ब्यापार देय	82,701,654	264,163,678	511,543,967	117,547,283
		1,734,402,230		827,341,102
ipkyu l lftr vk;				
अदा आयकर (रिफंड का निवल)		(528,248,039)		(627,955,847)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकद		1,206,154,191		199,385,255
[k fuo'k dk;dykik l udnh iokg				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		(1,151,500,760)		(576,695,202)
fuo'k dk;dykik l fuoy udnh iokg		(1,151,500,760)		(576,695,202)
x udn ;k udnh lerY; l*		-		-
निवल वृद्धि/कमी				
नकद और नकद समतुल्य		54,653,431		(377,309,947)
udn vkj udn lerY;				
- वर्ष की शुरूआत में		173,751,138		551,061,084
- वर्ष के अंत में		228,404,569		173,751,138
		54,653,431		(377,309,947)
udn vkj udn lerY; d l?kVd				
कैश इन हैंड		65,610		30,059
चालू खाते में शेष		228,175,449		173,721,079
अन्य जमाराशि खाते		163,510		
		228,404,569		173,751,138

महत्वपूर्ण लेंखांकन नीतियां और व्याख्यात्मक नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न भाग है।

हमारी संमसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और की ओर से

tu ,M tu
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 103869डब्ल्यू

हस्ता/-
lh, ftEeh lB
(सहयोगी) एम नं. 122280
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर, 2108

निदेशक की ओर से और उनके लिए

हस्ता/-
(inhi [kjkyk)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(t-oh- jfo dekj)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(foukn g tekMh)
निदेशक

हस्ता/-
(dl. , d 'kek)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(iue Hkjokuh)
कंपनी सचिव

31 ekp] 2018 dk lekIr o"k dsfy, foÙkh; fooj.kk dk Hkkx fufer djus okyh fVIif.k;k

ukV **"1"**

d. dkjiksjsV tkudkjh

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा हैंडलिंग गतिविधियों को हाइव-ऑफ करने के परिणामस्वरूप, कंपनी को एअर इंडिया एवं उसकी ग्रुप कंपनियों एवं भारत में प्रचालन करने वाली तीसरी पार्टी एअरलाइनों (बैंगलुरू, दिल्ली, हैदराबाद, मंगलुरू एवं तिरूवनंतपुरम को छोड़कर) की ग्राउंड हैंडलिंग एवं अन्य हैंडलिंग गतिविधियां उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है।

[k. y[kkdj.k ifjikVh

i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में कंपनी ने 1 अप्रैल 2016 से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों (इंड एएस के रूप में उल्लिखित) को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण में पिछले अवधि के नंबर को इंड एएस के रूप में पुन: उल्लिखित किया गया है। ये वित्तीय विवरण समूह के पहले वित्तीय विवरण हैं जिसे इंड एएस के अनुरूप तैयार किया गया है। भारतीय लेखांकन मानकों के पहली बार अगीकृत इंड एएस 101 के अनुसरण में समूह ने 31 मार्च, 2017 को समेकित शेयरधारक इक्विटी और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के संदर्भ में इंड एएस के लिए कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2016 (पूर्व में जीएएएपी) के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण से एक समाधान प्रस्तुत किया है।

ii) ये वित्तीय विवरण, मूल लागत रीतियों के तहत प्रोद्भूत आधार पर (विशेष रूप से स्पष्ट किए गए कथन को छोड़कर), गोइंग कन्सर्न अवधारणा पर तैयार किए गए हैं तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन लेखा मानकों का अनुसरण करते हैं।

iii) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को उन आकलनों और मान्यताओं को निर्धारित करना अपेक्षित होता है, जो वित्तीय विवरण की तिथि के दिन परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की राशि तथा प्रासंगिक देयताओं की प्रस्तुति और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की गई राशि को प्रभावित करते हैं। जिस अवधि में परिणाम ज्ञात/तथ्यपरक होते हैं, उसी समय वास्तविक परिणाम और आकलनों के बीच का अंतर भी पता चल पाता है।

iv) कंपनी सेवा सेक्टर में होने के कारण कोई विशेष प्रचालन साइकिल नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 के शैड्यूल-III के प्रावधानों के निबंधनों के अनुसार 12 माह की अवधि को शैंध्ड्ड्य्कृि ~ ङ•कृश के रूप में अपनाया गया है।

x. fof'k"V y[kkdu uhfr;k

1. vpy ifjlifÙk;k

क) परिसंपत्तियां अधिग्रहण या निर्माण लागत पर रिकार्ड की जाती हैं। अधिग्रहण लागत में आयात शुल्क एवं अन्य अपरिदाय करों या उपकरों सहित इसका क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को इसके संबंधित उपयोग के लिए कार्यकरने की स्थिति में लाने के लिए कोई प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। क्रय मूल्य निकालने के लिए व्यापारिक छूट और रियायतें, यदि कोई हैं, तो घटा दी जाती हैं।

ख) विदेशी मुद्रा में विदेश से खरीदी गई परिसंपत्तियों की गणना माह के दौरान प्रचलित आएटा विनिमय दर पर की

जाती है। पूंजीकृत परिसंपत्ति एवं विदेशी विक्रेता को किए गए भुगतान के बीच के परिणामी अंतर को विदेशी मुद्रा लाभ/हानि खाते में डेबिट/ क्रेडिट किया जाता है।

ग) परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाता है, ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति को हर दो वर्ष में सत्यापित किया जा सके और सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को उस वर्ष में समायोजित किया जा सके, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

घ) एएस 28 के अनुसार, प्रबंधन तुलन-पत्र की तारीख को आर्थिक मूल्यांकन से संबंधित अपनी परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन करता है।

2. eY;gkl/ifj'kks/ku

क) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची- ।। के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के माध्यम से सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनका उपयोगी आर्थिक जीवन होता है, उन्हें अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है।

ग) छोटे मूल्य की परिसंपत्तियों को, जो प्रत्येक मामले में 5000 भारतीय रुपए से अधिक की न हों, उन्हें खरीद के वर्ष में पूरी तरह उपबंधित किया जाता है।

3. jktLo dk ekU;rk

क) ग्राउंड हैंडलिंग एवं अन्य संबंधित सेवाओं को सेवाएं प्रदान करने पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्षके अंत में बिल न की गई सेवाएं उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित होती हैं और उनका राजस्व के रूप में आकलन किया जाता है और मान्यता दी जाती है।

ख) ब्याज से आय को समय के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग) अन्य प्रचालन राजस्व को वर्ष के दौरान सेवाएं प्रदान करने पर मान्यता दी जाती है।

4. lafnX/k _.kksa dk fy, izko/kku

उन ऋणों को छोड़कर, जिनकी वसूली की आशा हो, सरकार/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है, यदि वे तीन वर्ष से अधिक पुराने हों। अन्य सभी ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है, यदि वे तीन वर्ष से अधिक पुराने हों या विशेष रूप से संदिग्ध माने जाते हों।

5. fons'kh eqnzk ysunsu

क) आईसीएच बिलों का इंटरलाइन समायोजन संबंधित महीने के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया गया।

ख) वर्ष के अंत में विदेशी विनिमय मौद्रिक मदों की भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा वर्ष के अंत में परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और विनिमय दर में हुए उतार-चढ़ाव के कारण जो लाभ/हानि हुई है, उसे लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

ग) उन कर्ज़ों एवं ऋणों तथा अग्रिमों के संबंध में वर्ष के अंत में विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया, जिसके लिए अशोध्य प्रावधान मौजूद हों।

6. l okfuofŸk fgr ykHk

कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ में परिभाषित अंशदान योजनाएं एवं परिभाषित लाभ योजनाएं शामिल हैं।

क) परिभाषित अंशदान योजना में कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान किया जाता है। पैतृक कंपनी में भविष्य निधि अंशदान के प्रबंधन के लिए अलग न्यास हैं,

जिसके लिए नियमित रूप से अंशदान किया जाता है।

ख) कंपनी की परिभाषित हितलाभ योजनाएं, जिनका निधियन नहीं होता है, उनमें उपदान, चिकित्सा अवकाश और सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ एवं अन्य लाभों सहित अवकाश नकदीकरण शामिल होता है। चिकित्सा लाभों एवं अन्य लाभों को छोड़कर, इन लाभों का दायित्व भारतीय विधियों के अनुसार, वर्ष के अंत में अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के अंतर्गत बीमांककता द्वारा निर्धारित किया जाता है।

7. vk; i j dj

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर को तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर दरों और विधियों का प्रयोग करके बही और कर योग्य लाभ के बीच टाइमिंग अंतर पर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है और उस सीमा तक अग्रेनीत किया जाता है कि प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पुनर्संरचनाए राजस्व आय एवं कंपनी के लागत में कमी कार्यक्रम के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में परिसंपत्तियों का मूल्य प्राप्त होगा।

8. ikO/kku] vkdfLed n; rk, , o vkdfLed ifj l ifŸk; k

क) जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों तो मापन में अनुमान की पर्याप्त प्रमात्रा वाले प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, और ऐसा संभव है कि कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा।

ख) संभावित दायित्वजो पिछले घटनाक्रम से उत्पन्न हुए हों लेकिन उनका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने से प्रेरित हो और जो पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में न हों, के संदर्भ में प्रत्येक मामले में 10 लाख रूपए से अधिक के आकस्मिक दायित्वों को प्रकट किया जाएगा।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

9. vU; n; rk,

तीन वर्षों से पुरानी देयताओ को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब तक ऐसे दायित्व विशेष रूप से भविष्य में देय माने जाएं।

10. iounŸk 0; ; /0; ; d fy, n; rk

यदि प्रत्येक मामले में 10 हजार भारतीय रुपए या उससे अधिक के पूर्वदत्त व्ययों की देयता को मान्यता दी जातीहै।

ukV "2" : eri ifjlEifŸk;k

31.03.2018 dh fLFkfr dh vuqlkj l;=] lsink vkj midj.k

(/kujkf'k #i, e)

fooj.k	vkfQl midj.k	jEi mid.k	Quhpj vkj fQDlpj	fo|rh; fQVfuxl	dEi;qVl	odl'kki midj.k vkj bllelVl	l;= vkj e'khujh	okgu	dqy
लागत 1 अप्रैल 2017 को	1,447,157	3,621,292,224	809,371	8,745,237	6,532,998	1,484,750	71,598	25,406,564	**3,665,789,899**
परिवर्धन	585,371	1,151,203,493	356,000	-	351,027	584.500	-	-	**1,153,080,391**
निपटान / समायोजन	-	31,300,354	-	-	-				**31,300,354**
31 ekpZ 2018 rd	**2,032,528**	**4,741,195,363**	**1,165,371**	**8,745,237**	**6,884,025**	**2,069,250**	**71,598**	**25,406,564**	**4,787,569,936**
eY;gkl									
1 अप्रैल 2017 को	541,628	1,898,299,454	96,146	1,490,465	2,245,976	104,498	63,855	440,506	**1,903,282,529**
निपटान/समायोजन	-	29,720,723	-	-	-	-	-	-	**29,720,723**
साल के लिए चार्ज	310,855	242,338,214	80,770	830,798	1,989,447	179,351	1,450	3,017,029	**248,747,914**
31 ekpZ 2018 rd	**852,483**	**2,110,916,945**	**176,916**	**2,321,263**	**4,235,423**	**283,849**	**63,305**	**3,457,536**	**2,122,309,720**
usV Cykd									
31 मार्च 2017 तक	905,529	1,722,992,770	713,225	7,254,772	4,287,022	1,380,252	7,743	24,966,058	**1,762,507,369**
31 ekpZ 2018 rd	**1,180,045**	**2,630,278,418**	**988,455**	**6,423,974**	**2,648,602**	**1,785,401**	**6,293**	**21,949,028**	**2,665,260,215**
eY;gkl dh nj	19%	6.33%	9.50%	9.50%	31.67%	9.50%	6.33%	11.88%	
	5	15	10	10	3	10	15		

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2103 की अनुसूची ।। के अनुसार परिसंपत्तियों की शेष अवधि के आधार पर स्ट्रेट लाइल मेथड पर मूल्यह्रास का विवरण प्रदान किया है।

31.03.2017 dh fLFkfr dh vuqlkj l;=] lsink vkj midj.k

(I) eri ifjlEifŸk;k

(/kujkf'k #i, e)

fooj.k	vkfQl midj.k	jEi mid.k	Quhpj vkj fQDlpj	fo|rh; fQVfuxl	dEi;qVl	odl'kki midj.k vkj bllelVl	l;= vkj e'khujh	okgu	dqy
ykxr									
1अप्रैल 2017 को	1,084,494	3,077,473,253	1,29,829	8,745,237	1,661,884	-	-	-	**3,089,094,697**
परिवर्धन	362,663	**543,818,971**	**679,542**	-	**4,871,114**	**1,484,750**	**71,598**	**25,406,564**	**576,695,202**
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-				**-**
31 ekpZ 2017 rd	**1,447,157**	**3,621,292,224**	**809,371**	**8,745,237**	**6,532,998**	**1,484,750**	**71,598**	**25,406,564**	**3,665,789,899**
eY;gkl									
1 अप्रैल 2016 को	338,306	1,709,636,113	21,762	659,668	595,554	-	-	-	**1,711,251,402**
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
साल के लिए चार्ज	203,322	188,663,341	74,385	830,798	1,650,422	104,498	63,855	440,506	**192,031,126**
31 ekpZ 2017 rd	**541,628**	**1,898,299,454**	**96,146**	**1,490,465**	**2,245,976**	**104,498**	**63,855**	**440,506**	**1,903,282,529**
usV Cykd									
31 मार्च 2016 तक	746,188	1,367,837,140	108,067	8,085,569	1,066,330	-	-	-	**1,377,843,295**
31 ekpZ 2017 rd	**905,529**	**1,722,992,770**	**713,225**	**7,254,772**	**4,287,022**	**1,380,252**	**7,743**	**24,966,058**	**1,762,507,370**
मूल्यह्रास की दर	19%	6.33%	9.50%	9.50%	31.67%	9.50%	6.33%	11.88%	
	5	15	10	10	3	10	15		

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2103 की अनुसूची ।। के अनुसार परिसंपत्तियों की शेष अवधि के आधार पर स्ट्रेट लाइल मेथड पर मूल्यह्रास का विवरण प्रदान किया है।

कम्पनी ने अपनी सभी सम्पति, संयंत्र और उपकरणो के मूल्य आगे ले जाने के लिए भारतीय लेखा मानक के तहत उपलब्ध छूट का उपयोग करना चुना है। ये सम्पति, संयंत्र और उपकरण वित्तीय विवरणो मे अंकित थे और गत आमतौर पर मंजूर लेखांकन सिद्धान्त के अनुसार मापे गये थे और 01 अप्रैल 2016 को निम्नलिखित लागत पे दर्शाये गये थे।

मूर्त आस्तियां

(/kujkf'k #i, esa)

fooj.k	vkfQl mids.k	jEi mid.k	Quhpj vkSj fQDlpj	fo|qrh; fQVfuxl	dEI;wVl	odZ'kki midj.k vkSj bDlesVl	l;a= vkSj e'khujh	okgu	dqy
ldy [kaM	10,84,494	3,07,74,73,253	1,29,829	87,45,237	16,61,884	-	-	-	**3,08,90,94,697**
सचिंत मूल्यह्रास	3,38,306	1,70,96,36,113	21,762	6,59,668	5,95,554	-	-	-	**1,71,12,51,402**
1 अप्रैल के अनुसार नेट ब्लॉक ने इंडस्ट्रीज के अनुसार लागत को कम कर दिया	**7,46,188**	**1,36,78,37,140**	**1,08,067**	**80,85,569**	**10,66,330**	**-**	**-**	**-**	**1,37,78,43,295**
भारतीय लेखांकन मानक समायोजन									
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सकल खण्ड									

ukV **"3"** : vU; foÙkh; ifjlEifÙk;ka

(#lk, fefy;u esa)

Ø- la-	fooj.k	xSj orZeku			orZeku		
		31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks	31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks
	गैर प्रतिभूति कृत अच्छा माना गया						
	स्टाफ से प्राप्त राशियां				-	23,717,403	9,777,518
	अन्य (प्राप्य राशियां)				9,216,980	13,742,854	4,536,783
	dqy				**9,216,980**	**37,460,258**	**14,314,301**

ukV **"4"** : vk; dj ifjlEifÙk;ka

(#lk, fefy;u esa)

Ø- la-	fooj.k	xSj orZeku			orZeku		
		31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks	31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks
	xSj izfrHkwfr —r vPNk ekuk x;k						
	जमाराशियां	**-**	-		-	-	
	आय कर–प्रावधानो का निवल		1,060,542,123	709,982,816		-	
	आयकर वर्ष 2005-06 (वित्त वर्ष 2004-05)	**-**	-				
	आयकर वर्ष 2008-09 (वित्त वर्ष 2007-08)	**7,800,568**	-				
	आयकर वर्ष 2009-10 (वित्त वर्ष 2008-09)	**12,296,298**	-				
	आयकर वर्ष 2010-11 (वित्त वर्ष 2009-10)	**15,222,918**	-				
	आयकर वर्ष 2011-12 (वित्त वर्ष 2010-11)	**2,199,294**	-				
	आयकर वर्ष 2012-13 (वित्त वर्ष 2011-12)	**12,643,840**	-				
	आयकर वर्ष 2013-14 (वित्त वर्ष 2012-13)	**-4,500,000**	-				
	आयकर वर्ष 2014-15 (वित्त वर्ष 2013-14)	**43,862,720**	-				
	आयकर वर्ष 2015-16 (वित्त वर्ष 2014-15)	**284,575,054**	-				
	आयकर वर्ष 2016-17 (वित्त वर्ष 2015-16)	**122,100,000**					
	आयकर वर्ष 2017-18 (वित्त वर्ष 2016-17)	**60,000,000**					
	टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त@प्राप्त करने योग्य	**459,566,546**					
	प्राप्य एडवांस फ्रिंग लाभ	**79,210**		-	-		
	dj (fuoy) ,Mokal Ýhat ykHk	**-**	-				
	(निवल) फ्रिंगलाभ कर वित्त वर्ष 2007-08	**17,660**	-				
	फ्रिंगलाभ कर वित्त वर्ष 2008-09	**61,550**					
	dqy	**1,015,846,448**	**1,060,542,123**	**709,982,816**			

ukV "5" : vU; ifjlEifŸk;k

(#i, fefy;u esa)

Ø- l-	fooj.k	xSj orZeku			orZeku		
		31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks	31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks
	इन्वेंट्रीज				136,752,440		
	अन्य अग्रिम	-			226,665,894	331,567,442	112,877,265
	dqy				**363,418,334**	**331,567,442**	**112,877,265**

ukV "6" : VªsM izkI;jkf'k;k

(#i, fefy;u esa)

Ø- l-	fooj.k	xSj orZeku			orZeku		
		31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks	31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks
	अप्रतिभूतिकृतए अच्छा माना जाता है	234,137,012			1,376,001,448	1,728,116,642	1,927,568,773
	संदिग्ध						
	कम: संदिग्ध के लिए भत्ता						
	कम: अपेक्षित के अनुसार भत्ता क्रेडिट हानि विधि						
	समूह कंपनियों से बकाया				1,538,513,509	1,298,654,107	833,584,684
	dqy	**234,137,012**	**-**	**-**	**2,914,514,957**	**3,026,770,749**	**2,761,153,457**

ukV "7" : udn vkSj udnh lerqY;

(#i, fefy;u esa)

Ø- l-	fooj.k	xSj orZeku			orZeku		
		31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks	31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks
	udn vkSj udnh ds lerqY;						
	कैश इन हैंड	-	-	-	65,610	30,059	2,215
	बैंक में शेष :	-	-	-	-		
	चालू खाते में	-	-	-	228,175,449	153,066,523	316,931,869
	जमा खाते में (<3 माह की परिपक्वता वाली) -	-		163,510	20,654,556	234,127,000	
	dqy	**-**	**-**	**-**	**228,404,569**	**173,751,138**	**551,061,084**

ukV "7" : udn vkSj udnh lerqY; ds vykok cSad cSysal

(#i, fefy;u esa)

Ø- l-	fooj.k	xSj orZeku			orZeku		
		31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks	31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy 2016 dks
	बैंक के पास शेषराशि :						
	Months	-	-	-	-	-	-
	dqy	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

ukV "8" : bfDoVh 'k;j iath

(jkf'k #Ik, e)

fooj.k	31 ekp] 2018 dk		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	l[;k	(#-)	संख्या	(रु.)	संख्या	(रु.)
ik/k—r iath :						
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**1,000,000,000**	**10,000,000,000**	1,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000,000	10,000,000,000
		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000
fuxe] vfHknÙk vkj i.k pdrk ith						
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**138,424,200**	**1,384,242,000**	138,424,200	1,384,242,000	138,424,200	1,384,242,000
	138,424,200	**1,384,242,000**	138,424,200	1,384,242,000	138,424,200	1,384,242,000

कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है।

i **5%** l vf/kd dh 'k;j/kkfjrk dk fooj.k

(jkf'k #Ik, e)

Name of Shareholder	31 ekp] 2018 dk		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	/kkfjr 'k;jk dh l[;k	%	धारित शेयरो की संख्या	%	धारित शेयरो की संख्या	%
एअर इंडिया लिमिटेड: होल्डिंग कंपनी	**13,84,24,200**	**100**	13,84,24,200	100	13,84,24,200	100

शेयरधारकों/सदस्यों के रजिस्टर सहित कंपनी के रिकार्डों के अनुसार उपर्युक्त शेयरधारिता शेयरों के विधिक स्वामित्व को प्रस्तुत करता है।

ii o"k d vkjEHk vkj vr e vfrns; bfDoVh 'k;jk dk lek/kku(/kujkf'k #i, e)

(jkf'k #Ik, e)

fooj.k	31 ekp] 2018 dk		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	l[;k	jkf'k	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में	**13,84,24,200**	**1,38,42,42,000**	13,84,24,200	1,38,42,42,000	13,84,24,200	1,38,42,42,000
अवधि के दौरान जारी	**-**	**-**	-	-	-	-
वर्ष के अंत में अतिदेय	**13,84,24,200**	**1,38,42,42,000**	13,84,24,200	1,38,42,42,000	13,84,24,200	1,38,42,42,000

iii कंपनी ने केवल एक श्रेणी के शेयर जारी किए हैंए जिसे इक्विटी शेयर कहा गया हैए जिसका प्रति शेयर मूल्य रु.10/- है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक मत का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक सभी बाह्य देयताओं के भुगतान के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बादए यदि कोई होंए शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के समानुपात में धनराशियों का वितरण होगा।

iv बोनस शेयरों के रूप में अथवा नकद के अलावा प्रतिफल के लिए शेयरों को जारी किए जाने वाले/आबंटित किए जाने का उद्धरण नही है और तुलन प्त्र की तारीख से ठीक पिछले पांच वर्षों में कंपनी द्वारा कोई शेयर वापस नहीं खरीदा गया।

ukV "9" : vU; bfDoVh

(jkf'k #Ik, e)

fooj.k	31 ekp] 2018 dk		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
ykHk vkj gkfu [kkr e vf/k'k"k:						
Balance as per last Balance Sheet		**42,058,937**		(108,471,958)		**904,250,014**
Add :						
वर्ष के लिए लाभ (हानि) निम्न को कम करके	**629,035,019**		150,530,895		1,014,078,865	
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित योजना	**-**		-			
आस्थगित लाभों का पुन: मापन	**-**		-			
जोड: पूर्व अवधि समायोजन						
कम: पूर्व अवधि समायोजन					2,026,800,836	
अंतरिम लाभांश	**-**		-			
fuoy vf/k'k"k		**629,035,019**		150,530,895		(1,012,721,972)
dy vkjf{kr fuf/k vkj vf/k'k"k		**671,093,956**		**42,058,937**	**-**	**108,471,958**

uksV “10” : vkLFkfxr dj nsr;rk,¡ (fuoy)

(jkf'k #Ik, esa)

fooj.k	31 ekpZ 2018 dks		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
MhVh,y dk dkj.k vkLFkfxr dj nsr;rk,¡						
मूल्यह्रास	**97,523,971**		**63,819,346**		**45,114,943**	
कुल कर देयताए		**97,523,971**		**63,819,346**		**45,114,943**
MhVh, dk dkj.k vkLFkfxr dj ifjlaifRr						
गैर समामेलित मूल्यह्रास	**-**					
अन्य कर डिसअलाउंस	**103,301,475**	**103,301,475**	**89,108,757**	**89,108,757**	**160,239,611**	**160,239,611**
fuoy vkLFkfxr dj ifjlaifRr		**5,777,504**		**25,289,411**		**115,124,668**

uksV “11” : vU; foRrh; nsunkfj;k¡

(jkf'k #Ik, esa)

fooj.k	xSj orZeku			orZeku		
	31-ekpZ-18	**31-ekpZ-17**	**31-ekpZ-16**	**31-ekpZ-18**	**31-ekpZ-17**	**31-ekpZ-16**
सुरक्षा जमा (इएमडी)	2,555,000	**3,070,000**	**3,070,000**	39,292,695	43,950,079	38,827,420
खर्च के लिए प्रावधान				337,362,888	**163,435,175**	41,053,748
मार्जिन मनी				150,000	**3,350,000**	3,350,000
अन्य लोग				1,107,002,982	**950,464,017**	753,935,335
कर्मचारियों को देय				8,603,140	**-**	-
dqy	**2,555,000**	**3,070,000**	**3,070,000**	**1,492,411,705**	**1,161,199,271**	**837,166,503**

uksV “12” : izko/kku

(jkf'k #Ik, esa)

fooj.k	xSj orZeku			orZeku		
	31-ekpZ-18	**31-ekpZ-17**	**31-ekpZ-16**	**31-ekpZ-18**	**31-ekpZ-17**	**31-ekpZ-16**
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	371,405,011	377,509,128	438,424,157	103,963,481	68,112,781	104,157,532
ग्रैच्युटी के लिए प्रावधान	916,958,900	906,822,535	941,128,472	207,228,997	121,178,493	190,544,174
कर के लिए प्रावधान	630,000,000	465,000,000	237,500,000			35,000,000
सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान	1,292,900,573	1,284,773,669	1,171,619,361	50,596,288	42,705,786	34,271,954
dqy	**3,211,264,484**	**3,034,105,332**	**2,788,671,990**	**361,788,766**	**231,997,060**	**363,973,660**

uksV “13” : VªsM ns; jkf'k;ka

(jkf'k #Ik, esa)

fooj.k	31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	31 ekpZ 2016 dks
ट्रेड देयराशियां			
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-	-
- अन्य देयराशियां	125,817,232	488,093,963	315,870,970
dqy	**125,817,232**	**488,093,963**	**315,870,970**

कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथापरिभाषित कोई भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नहीं हैए जिससे कंपनी ने ब्याज सहित मूल राशि ऋण के रूप मे देय होए और तद्नुसार कोई अतिरिक्त प्रकटन नहीं किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बारे में उपर्युक्त सूचना ऐसे पक्षों द्वारा कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार निर्धारित की गई है। लेखापरीक्षकों ने उस पर विश्वास किया।

ukV "14" : vU; n;jkf'k;k

(jkf'k #Ik, e)

fooj.k	31 ekp] 2018 dk	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
सांविधिक देयराशियां	187,402,877		57,833,721
समूह कंपनियों को देय	-	-	
अन्य वर्तमान देयताए		73,121,926	-
अन्य	-	-	
dqy	**187,402,877**	**73,121,926**	**57,833,721**

ukV "15" : ifjpkyuksa ls jktLo (ldy)

(jkf'k #Ik, e)

fooj.k	2017-18		2016-17	
हैंडलिंग सेवाओं से राजस्व				
समूह कंपनियों से राजस्व	**3,714,652,014**		2,894,687,163	
तृतीय पक्ष हैंडलिंग से राजस्व	**2,488,744,608**		3,109,356,823	
सुरक्षा हैंडलिंग राजस्व	**-**			
सरकारी पक्षों से राजस्व	**23,671,061**		22,883,920	
आकस्मिक हैंडलिंग से राजस्व	**8,430,670**		25,543,301	
		6,235,498,353		6,052,471,207
घटाएं : एयर इंडिया के साथ राजस्व साझा करना		**-750,000,000**		-1,000,000,000
		5,485,498,353		5,052,471,207
एपीईडीए राजस्व		**932,949,300**		859,735,519
उपकरण लोनिंग		**37,295,521**		8,122,902
dqy		**6,455,743,174**		5,920,329,628

ukV "16" : vU; vk;

(jkf'k #Ik, e)

fooj.k	2017-18		2016-17	
भरती आवेदन-शुल्क राशि		**871,100**		2,424,498
धन-वापसी पर ब्याज		**2,526,992**		-
कॉल एवं एफडी पर ब्याज		**2,032,813**		9,983,850
विदेशी मुद्रा हानि/लाभ		**-**		-
अन्य आय		**218,403,509**		254,421,191
आयकर रिफंड		**-**		
dqy		**223,834,414**		**266,829,539**

ukV "17" : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(jkf'k #Ik, e)

fooj.k	2017-18		2016-17	
वेतन		**3,780,276,935**		3,454,970,668
बोनस		**35,689,491**		38,448,388
ईएसआई योजना में अंशदान		**67,707,640**		50,653,382
उपदान		**129,726,626**		33,162,080
छुट्टी नकदीकरण		**85,576,551**		7,502,207
भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान		**303,914,686**		254,109,450
कर्मचारी कल्याण व्यय		**170,975,249**		468,334,494
चिकित्सा		**-**		-
dqy		**4,573,867,178**		**4,307,180,668**

ukV **“18” :** foÙkh; ykxr

(jkf’k #Ik, e)

fooj.k	2017-18	2016-17
ब्याज भुगतान - -		
d|y	-	-

ukV **“19” :** eY;gkl vkj enhdj.k

(jkf’k #Ik, e)

fooj.k	2017-18	2016-17
मूल्यह्रास	**248,747,914**	192,031,126
d|y	**248,747,914**	**192,031,126**

ukV **“20” :** vU; 0;;

(jkf’k #Ik, e)

fooj.k	2017-18	2016-17
हैंडलिंग प्रभार	**105,146,622**	343,424,017
स्थापना सहायता शुल्क	**503,342**	134,192
भर्ती व्यय	**81,187**	966,299
बीमा	**37,050,360**	36,662,031
डाक और कुरियर शुल्क	**262,596**	242,622
टेलीफोन शुल्क	**1,233,640**	1,412,741
मरम्मत और रखरखाव - भवन	**197,302**	15,837,191
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	**62,327,749**	59,482,795
ईंधन तेल	**88,601,521**	154,223,988
बिजली और जल शुल्क	**52,546,589**	55,144,372
स्टोर और स्पेयर खपत	**133,683,391**	81,523,661
परिवहन और उपकरणों का किराया	**16,428,814**	66,361,158
मुद्रण और स्टेशनरी	**1,962,617**	1,253,927
प्रचार और बिक्री संवर्धन	**-**	2,667,423
सामान्य शुल्क - अन्य	**1,036,168**	52,686,640
किराया	**65,893,308**	45,171,292
दरें और कर	**12,165,725**	17,561,332
यात्रा और वाहन व्यय	**27,492,270**	111,942,202
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	**2,473,936**	5,074,386
बैंक प्रभार	**2,274,888**	1,328,301
टीडीएस के देरी से भुगतान पर ब्याज	**505**	25,442
कर लेखा परीक्षा शुल्क	**25,000**	25,000
विदेशी मुद्रा हानि / लाभ	**12,114,089**	54,039,463
पैक्स सामान दावा व्यय	**590,336**	2,991,575
विविध व्यय	**2,157,057**	34,676,168
क्लियरिंग और अन्य अग्रेषित चुंगी	**3,516,236**	2,369,645
इंट प्रभार अन्य	**96,268**	26,511
सीएसआर व्यय	**4,957,012**	22,483,027
सांविधिक लेखापरीक्षक को परिलब्धि		
- लेखा परीक्षा शुल्क	**560,000**	400,000
- आउट आफ पाकेट व्यय	**93,328**	47,279
d|y	**635,471,857**	**1,170,184,680**

ukV “21” : vof/k iwo O;;

fooj.k	2017-18	2016-17
अवधि पूर्व व्यय		

ukV “22” : ifr 'k;j vk;

(jkf'k #lk, e)

fooj.k	2017-18	2016-17
कर अदायगी के बाद लाभ	**710,482,122**	235,427,436
भारित औसत संख्या बकाया शेयरों (संख्या)	**138,424,200**	138,424,200
इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपये)	**10.00**	10.00
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - मूलभूत	**5.13**	1.70
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) तनुकृत	**5.13**	1.70

वर्ष के दौरान अतिदेय औसत भारित शेयरों की संख्या का मिलान

(jkf'k #lk, e)

fooj.k	2017-18	2016-17
वर्ष के आंरभ में अतिदेय कुल शेयरों की कुल संख्या	**138,424,200**	138,424,200
जोड़: अधिकार निर्गम के माध्यम से शेयरों का निर्गम (आवंटन तिथि 15 दिसंबर 2011)	**-**	-
वर्ष की समाप्ति पर अतिदेय शेयरो की कुल संख्या	**138,424,200**	138,424,200
वर्ष की समाप्ति पर इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या	**138,424,200**	138,424,200

वर्तमान वर्ष का वर्गीकरण करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुन समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

23. Hkkjrh; y[kkdu ekudk e vrj.k

Hkkjrh; y[kkdu ekudk (bM ,,l) d vuq lj.k e rS;kj ;g dius igyk foÙkh; fooj.k g:

कंपनी ने इंड एएस के सभी पहलुओं को अपनाया है और यह अंगीकरण भारतीय लेखांकन मानकों के इंड एएस 101 प्रथम बार अंगीकरण के अनुरूप है। कंपनी (लेखा) नियम 2104 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्धारित भारतीय जीएएपी के अनुसार लेनदेन किया गया था और यह पूर्ववर्ती जीएएपी था।

नोट- 1 में निर्धारित महत्वपूर्ण नीतियां 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष तथा इंड एएस तुलन पत्र की ओपनिंग तिथि अर्थात 1 अप्रैल 2016 के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करते समय लागू की गई थी।

1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार ओपनिंग इंड एएस तुलन पत्र तैयार करते समय और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक सूचना तैयार करते समय कंपनी ने भारतीय जीएएपी के अनुसरण में तैयार वित्तीय विवरण मे पूर्व में सूचित धनराशि को समायोजित किया है। यह नोट यह व्याख्या प्रस्तुत करता है कि भारतीय गैप से इंड एएस में अंतरण ने कैसे कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह को प्रभावित किया है।

(क) ikIr NV/viokn:

इंड एएस 101 इसका पहली बार अंगीकरण करने वाले को इंड एएस के अंतर्गत कतिपय अपेक्षाओं का भूतलक्षी प्रयोग करने पर कतिपय वैकल्पिक अपेक्षाओं और अनिवार्य अपवादों की अनुमति देता है। कंपनी ने निम्न छूटों का लाभ उठाया है:

(i) bM , , l o dfYi d NV**:**

1. l ifÙk] l ;= vkj mi dj.k] fuo'k l ifÙk vkj ewr ifj l ifÙk;k dk dfYir ykxr ekuk x;k gS

कंपनी ने इंड एएस के अंतरण की तिथि को वित्तीय विवरण में पूर्ववर्ती भारतीय गैप के अनुसार मापित स्वीकृत सभी संपत्तियों, संयत्रों और उपकरणों तथा मूर्त परिसंपत्तियों के वहन मान को जारी रखने के लिए इंड एएस 101 के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए छूटों को प्राप्त किया है और 1 अप्रैल 2016 की अंतरण तिथि के अनुसार इनकी कल्पित लागत के रूप में प्रयोग किया है।

2. nh?kkdkfyd fons'kh eqnzk dh ekfnzd enk dh x.kuk l s mRiUUk fofue; vrj

कंपनी ने भारतीय गैप के अनुसार पहले इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत से ठीक पहले समाप्त अवधि अर्थात 31 मार्च 2017 के लिए वित्तीय विवरण में स्वीकृत दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण से उत्पन्न विनिमय अंतरों की गणना करने के लिए अपनाई गई नीति को जारी रखने के लिए इंड एएस के अंतर्गत छूट प्राप्त की है। इसके परिणामस्वरूप :

मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबधित दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा मदों से उत्पन्न विनिमय अंतर को पूंजीकृत किया गया है और परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के लिए मूल्यह्रास को प्रयोग किया गया है।

3. yht 0;oLFkk dk fu/kkj.k djuk

इंड एएस 101 में अंतरण की तिथि को यदि किसी संविदा या व्यवस्था में लीज व्यवस्था शामिल है तो इसमें एक वैकल्पिक छूट की व्यवस्था है जो किसी कंपनी को इसका निर्धारण करने के लिए इंड एएस 17 के परिशिष्ट ग में प्रदान की गई संगत अपेक्षाओं को लागू करने की अनुमति देता है। यदि कोई कंपनी इस वैकल्पिक छूट का चयन करती है तो यह आकलन किया जाता है कि क्या अंतरण की तिथि को मौजूद लीज संविदा/व्यवस्था में शामिल लीज उस तिथि को तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित था और जिसका प्रभाव वास्तविक नही होगा। कंपनी ने अंतरण की तिथि को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इस छूट का प्रयोग किया है।

(ii) bM , , l d vfuok; l v iokn

1. प्राक्कलन 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 को प्राक्कलन भारतीय जीएएपी के अनुसरण में उसी तिथि को किए गए प्राक्कलन के अनुरूप हैं तथा इसमें निम्नलिखित मदों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसमें भारतीय जीएएपी का प्राक्कलन अपेक्षित नहीं था:

तुलन पत्र में यथा उल्लिखित वित्तीय आस्तियां पूर्णत: सुरक्षित और पर्याप्त रूप से प्रतिभूतिकृत हैं इसलिए इनके क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न नही उठता है।

इंड एएस के अनुसरण में कंपनी द्वारा इन धनराशियां को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्राक्कलन 1 अप्रैल 2016 की स्थिति अर्थात इंड एएस में अंतरण तथा 31 मार्च 2017 की स्थिति दर्शाते हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्रमुख प्राक्कलन जो पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी में अपेक्षित नहीं थेए निम्नानुसार हैं:

- वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन एफवीटीपीएल पर किया गया।

- वित्तीय लिखतों के लिए रियायती मूल्य का निर्धारण मुद्रीकरण लागत पर किया गया।

2. foŸkh; ifjlifŸk;k vkj foŸkh; n;rkvk dk vLohdj.k

कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अस्वीकरण के लिए प्रत्याशित व्यवस्था अर्थात 1 अप्रैल 2016 के बाद की व्यवस्था छूट का उपयोग करने का चयन किया है।

3. foŸkh; ifjlifŸk;k dk oxhZdj.k vkj ekiu

इंड एएस 101 मे किसी कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह इंड एएस मे अंतरण की तिथि को मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों का बर्गीकरण और मापन करे।

4. iwoZorhZ Hkkjrh; th,,ih vkj baM ,,l dk chp leUo;

इंड एएस में किसी कंपनी से पिछली अवधि के इक्विटीए कुल व्यापक आय और नकदी प्रवाह का समन्वय करना अपेक्षित है। निम्नलिखित तालिका और नोट पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी से इंड एएस के बीच समन्वय प्रस्तुत करती है:

(I) 1 vizSy] 2016 dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu i= dk feyku

fooj.k	uksV lanHkZ	vkbZ th,,ih dk vuqlkj /kujkf'k*	baM ,,l ea vrj.k dk izHkko	baM ,,l dk vuqlkj /kujkf'k
ifjlEifÙk:				
(1) गैर-चालू संपत्ति संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		1,377,843,295	-	1,377,843,295
वित्तीय संपत्ति:				
क) व्यापार प्राप्तियां				
ख) ऋण				
ग) अन्य				
आयकर संपत्तियां (नेट)		709,982,816	-	709,982,816
स्थगित कर संपत्तियां (नेट)		115,124,668	-	115,124,668
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति				
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियां		**2,202,950,779**	-	**2,202,950,779**
(2) वर्तमान संपत्ति				
इनवेंट्री				
वित्तीय संपत्ति:				
क) व्यापार प्राप्तियां	5क	3,223,017,283	(461,863,826)	2,761,153,457

fooj.k	ukV lnHk	vkbl.th,,ih d vuqlkj /kujkf'k*	bM ,,l e vrj.k dk iHkko	bM ,,l d vuqlkj /kujkf'k
ख) नकद और नकद समकक्ष		551,061,084	-	551,061,084
ग) उपरोक्त (बी) के अलावा बैंक शेष		–		
घ) ऋण				
ड़) अन्य		14,314,301	-	14,314,301
वर्तमान कर संपत्तियां				
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	5क	169,477,046	(56,599,781)	112,877,265
dqy ekStwnk lEifÙk		**3,957,869,715**	(518,463,607)	**3,439,406,107**
dqy lEifÙk		**6,160,820,492**	**(518,463,607)**	**5,642,356,886**
bfDoVh vkSj ns;rk				
bfDoVh				
क) इक्विटी शेयर पूंजी		1,384,242,000	-	1,384,242,000
ख) अन्य इक्विटी	5क, 5घ	1,918,328,879	(2,026,800,837)	(108,471,958)
dqy bfDoVh		**3,302,570,879**	**(2,026,800,837)**	**1,275,770,042**
ns;rk,a				
गैर मौजूदा देनदारियां				
क) वित्तीय देयताएं			-	
i) अन्य		3,070,000	-	3,070,000
ख) प्रावधान	5क	1,617,052,629	1,171,619,361	2,788,671,990
dqy xSj-orZeku ns;rk,a		**1,620,122,629**	**1,171,619,361**	**2,791,741,990**
(2) वर्तमान देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
I) उधार				
ii) व्यापार भुगतान योग्य	5क	126,115,092	189,755,878	315,870,970
iii) अन्य	5क	724,476,466	112,690,037	837,166,503

fooj.k	ukV lnHk	vkbl th,,ih d vu|lkj /kujkf'k*	bM ,,l e vrj.k dk iHkko	bM ,,l d vu|lkj /kujkf'k
ख) प्रावधान	5क	329,701,706	34,271,954	363,973,660
ग) अन्य वर्तमान देयताएं		57,833,721	-	57,833,721
d|y ekl tnk nunkfj;k|		**1,238,126,984**	**336,717,869**	**1,574,844,853**
d|y 'k;j vkj nunkfj;k		**6,160,820,492**	**(518,463,607)**	**5,642,356,886**

इस नोट के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी के आंकड़ों को इंड एएस प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओ को ध्यान में रखकर पुन: बर्गीकृत किया गया है।

(ii) 31 ekp] 2017 dh fLFkfr d vu|lkj r|yu i= dk feykku

fooj.k	ukV lnHk	vkbl th,,ih d vu|lkj /kujkf'k*	bM ,,l e vrj.k dk iHkko	bM ,,l d vu|lkj /kujkf'k
ifjlifŸk:				
(1) गैर-चालू संपत्ति संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		1,762,507,371	-	1,762,507,371
वित्तीय संपत्ति:				
क) व्यापार प्राप्तियां				
ख) ऋण				
ग) अन्य				
आयकर संपत्तियां (नेट)		1,060,542,123	-	1,060,542,123
स्थगित कर संपत्तियां (नेट)		25,289,411	-	25,289,411
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति				
d|y xj-ekl tnk lifŸk;k		**2,848,338,905**	-	**2,848,338,905**
(2) वर्तमान संपत्ति				
इनवेंट्री				
वित्तीय संपत्ति:				
क) व्यापार प्राप्तियां	5क	3,625,419,660	(598,648,911)	3,026,770,749
ख) नकद और नकद समकक्ष		173,751,138	-	173,751,138

fooj.k	ukV lnHkZ	vkbZ.th,,ih ds vuqlkj /kujkf'k*	bM ,,l e vrj.k dk iHkko	bM ,,l ds vuqlkj /kujkf'k
ग) उपरोक्त (बी) के अलावा बैंक शेष				
घ) ऋण				
ड़) अन्य		37,460,258	-	37,460,258
वर्तमान कर संपत्तियां				
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	5क	388,167,223	(56,599,781)	331,567,442
dqy ekStnk lifÙk		**4,224,798,277**	(655,248,692)	**3,569,549,586**
dqy lifÙk		**70,733,137,812**	**(655,248,692)**	**6,417,888,490**
bfDoVh vkSj nf;rk				
bfDoVh				
क) इक्विटी शेयर पूंजी		1,384,242,000	-	1,384,242,000
ख) अन्य इक्विटी	5क, 5घ	2,252,644,427	(2,210,585,490)	42,058,937
dqy bfDoVh		**3,636,886,427**	**(2,210,585,490)**	**1,426,300,937**
nf;rk,a				
गैर मौजूदा देनदारियां				
क) वित्तीय देयताएं				
i) अन्य		3,070,000	-	3,070,000
ख) प्रावधान	5क	1,749,331,663	1,284,773,669	3,034,105,332
dqy xSj-orZeku nf;rk,a		**1,752,401,663**	**1,284,773,669**	**3,037,175,332**
(2) वर्तमान देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
i) उधार				
ii) व्यापार देय राशियां	5क	351,991,4111	36,102,552	488,093,963
iii) अन्य	5क	1,069,451,296	91,747,975	1,161,199,271
ख) प्रावधान	5क	189,291,274	42,705,786	231,997,060

fooj.k	ukV lnHk	vkbl th,,ih d vuqlkj /kujkf'k*	bM ,,l e vrj.k dk iHkko	bM ,,l d vuqlkj /kujkf'k
ग) अन्य वर्तमान देयताएं	5क	73,115,110	6,816	73,121,926
dqy ekStnk nsunkfj;k		**1,683,849,091**	**270,563,129**	**1,954,412,220**
dqy 'ks;j vkSj nsunkfj;k		**70,733,137,812**	**(655,248,692)**	**6,417,888,490**

*इस नोट के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी के आंकड़ों को इंडएएस प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओ को ध्यान में रखकर पुन: बर्गीकृत किया गया है।

(i) 31 ekpZ 2017dks lekIr o"kZ dsfy, dqy 0;kid vk; dk feyku

fooj.k	ukV lnHk	vkbl th,,ih d vuqlkj /kujkf'k*	bM ,,l e vrj.k dk iHkko	bM ,,l d vuqlkj /kujkf'k
jktLo				
संचालन से		5,967,902,552	(47,572,924)	5,920,329,628
अन्य आय	5क	277,386,147	(10,556,608)	266,829,539
dqy jktLo **(1+2)**		**6,245,288,699**	**(58,129,532)**	**6,187,159,167**
0;;				
विमान ईंधन और तेल				
अन्य ऑपरेटिंग व्यय				
कर्मचारी लाभों पर व्यय	5क	4,203,503,468	103,677,200	4,307,180,668
वित्तीय खर्च				
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		192,031,126	-	192,031,126
अन्य खर्चे	5क	1,128,811,969	41,372,711	1,170,184,680
पूर्व अवधि व्यय				
dqy [kpZ		**5,524,346,564**	**145,049,910**	**5,669,396,474**
vlk/kkj.k oLrq vkSj dj **(II - IV)** ls igys **(gkfu)**		**720,942,135**	**(203,179,443)**	**517,762,692**
vlk/kkj.k vkbVe		–		

fooj.k	ukV lnHk	vkbt h,,ih d vu|lkj /kujkf'k*	bM ,,l e vrj.k dk izHkko	bM ,,l d vu|lkj /kujkf'k
पूर्व अवधि समायोजन (नेट)	5क	(104,291,330)	104,291,330	
dj iwo ykHk **(VII - VIII)**		**616,650,805**	**(98,888,113)**	**517,762,692**
कर व्यय:		282,335,257	-	282,335,257
(gkfu) dj d ckn o"k **(VII-VIII)**		**334,315,548**	**(98,888,113)**	**235,427,435**
vU; 0;kid vk;				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	5ख, 5ग		(84,896,541)	(84,896,541)
उपर्युक्त वस्तुओं से संबंधित आयकर				
mi;ä oLr|vk l lcf/kr vk;dj				
d|y 0;kid vk;		**334,315,548**	**(183,784,654)**	**150,530,894**

इस नोट के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी के आंकड़ों को इंड एएस प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओ को ध्यान में रखकर पुन: बर्गीकृत किया गया है।

(ii) 31 ekp] 2017 vkj **1** vi|y] 2016 dh fLFkfr d vu|lkj d|y bfDoVh dk feyku

fooj.k	31 ekp] 2017 dk	1 vi|y] 2016 dk
पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी के तहत इक्विटी	**3,636,886,427**	**3,302,570,879**
पूर्व अवधि व्यय (नेट)	(2,210,585,490)	(2,026,800,836)
अन्य व्यापक आय में परिभाषित लाभ योजना का वास्तविक मूल्यांकन पुन: वर्गीकृत किया गया है	84,896,541	-
अन्य व्यापक आय	(84,896,541)	-
bM ,,l d rgr bfDoVh	**1,426,300,937**	**1,275,770,043**

(iii) 31 ekp] 2017 dk lekIr o"k dk fy, dy 0;kid vk; dk feyku

fooj.k	2016-17
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	334,315,548
पूर्व अवधि व्यय (नेट)	(288,075,984)
2016-17 के लिए पहले अवधि व्यय 1 अप्रैल, 2016 को ओपनिंग शेष के रूप में उल्लिखित है	104,291,330
अन्य व्यापक आय में परिभाषित लाभ योजना का वास्तविक मूल्यांकन पुन: वर्गीकृत किया गया है	84,896,541
bM,,l dk vuqlkj o"k dk fy, 'kq) ykHk	**235,427,435**
अन्य व्यापक आय	(84,896,541)
bM ,,l dk vuqlkj dy 0;kid vk;	**150,530,894**

(iv) इंड एस में अंतरण के कारण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण में को वास्तविक समायोजन नही किया गया है।

5. feyku dk fy, uksV

d. iwoZ vof/k

लेखांकन नीति इंड एएस -8 के अंतर्गत लेखांकन प्राक्कलन और गलतियों में परिवर्तन को भूतलक्षी पुनर्विवरण द्वारा ठीक किया जाएगा। वित्त वर्ष 2016-17 में 104.29 मिलियन रुपए का पूर्व अवधि का स्वीकृत व्यय 1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार पुन: प्रस्तुत किया गया। इस पुन: प्रस्तुतिकरण के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार आस्तियों/देयताओं में 104.29 मिलियन की तदनुरूपी वृद्धि के साथ धारित आय मे कमी आई। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 2210.58 मिलियन रूपए के पूर्व अवधि के आय/व्यय को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान रिवर्स कर दिया गया जिसमें से 1922.51 मिलियन रूपए को ओपनिंग तुलन पत्र में धारित आय में समायोजित कर दिया गया और 288.07 मिलियन रूपए की आय को आस्तियों/देयताओं में वृद्धि/कमी के अनुरूप वित्त वर्ष 2016-17 में स्वीकृत किया गया है।

[k. jkstxkj i'pkr ;kstukvksa dk iqu: ekiu

इंड एएस के अंतर्गत पुन: मापन अर्थात निवल लाभ देयताओं में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण की बजाए अन्य व्यापक आय में स्वीकृत किया जाता है। पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी के अंतर्गत ये 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण का हिस्सा थे और इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 84.89 मिलियन रूपए की वास्तविक हानि धनराशि की सीमा तक कर्मचारी लाभ व्यय को कम कर दिया गया है और इसे अन्य व्यापक आय के अंतर्गत पुन: वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार अन्य इक्विटी का कोई प्रभाव नही है।

x. vU; 0;kid vk;

पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी के अंतर्गत अन्य व्यापक आय में लाभ और हानि की कोई मद प्रकट करने की अपेक्षा नहीं है। तथापिए इंड एएस में अन्य व्यापक आय में लाभ हानि की कतिपय मदों को पुन: वर्गीकृत किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यापक आय में लाभ और हानि विवरण से परिभाषित लाभ योजनाओं के पुन: मापन को पुन: वर्गीकृत किया गया है।

?k. /kkfjr vk;

उपर्युक्त इंड एएस अंतरण के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार धारित आय को समायोजित किया गया है।

24. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरानए कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर आबंटित नहीं किए हैं ।

25. चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है। कंपनी ने वास्तविक सत्यापन करने के लिएचार्टर्ड एकाउंटेंट की एक बाहरी फर्म को नियुक्त किया है।

26. प्रबंधन ने तुलन-पत्र की तारीख को परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है। प्रबंधन का मानना है कि कंपनी की अचल परिसंपत्तियों का निष्पादन परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल में अपेक्षानुसार होगा और इसलिए तुलन-पत्र की तारीख को क्षति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

27. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरानए तीसरी पार्टी एयरलाइंस से ग्राउंड हैंडलिंग सेवा से अर्जित 7500 लाख करोड़ रुपए की राजस्व की राशि एअर इंडिया के साथ शेयर की गई है ।

28. एअर इंडिया ने अपने व्यवसाय में कंपनी की सहायता के लिए औसतन 802 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया है। वर्ष के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के रूप में 68.08 करोड़ की राशि डेबिट की है।

29. o"kZ dk nkSjku tSh,lMh Li=;jdk ,vj bafM;k fyfeVsM }kjk gLrkarfjr fd;k x;k gS vkSj dEiuh }kjk bl dk fy, 1498 yk[k #i, dh jkf'k dh x.kuk dh xbZ gSA bl esa ls dEiuh (xkmaM gSMfyax foHkkx) us 792 yk[k #i, dk cgh eSY; dk Li=;j dh Lohdkjksfä dh gS rFkk dEiuh us ges lfpr fd;k fd 'ks"k lkekuksa dk ,vkbZ,y dks okil dj fn;k x;kA rFkkfi bl dh iqf"V vHkh rd iwjh ugha gqbZ gSA bu Li=;j lkekuksa dk vHkh rd dEiuh okLrfod :i ls lR;kfir ugha fd;k x;k gSA o"kZ dh lekfIr rd okLrfod lR;kiu ugha fd;k x;k gSA

30. वर्ष के दौरान एसएफआईएस 2017-18 के अंतर्गत हकदारी खाता बही में 352.17 लाख रुपए की धनराशि के राजस्व को स्वीकृत किया गया है। (पिछले वर्ष का 969.80 लाख रूपए)

31. वर्ष के दौरान एअर इंडिया ने 3,227 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4129.19 लाख रुपए) का राजस्व और 15,357 लाख रुपए (पिछले वर्ष 22903 लाख रुपए) की धनराशि का व्यय स्थानांतरित किया है। एअर इंडिया द्वारा स्थानांतरित सभी राजस्व और व्यय कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है।

सांविधिक देयताएं, जैसे जीएसटी, सेवा कर, मूल्यवर्धित करए स्रोत पर काटा गया कर और एअरपोर्ट की रॉयल्टी स्थानांतरित नहीं की गई है और एअर इंडिया द्वारा इसका अनुपालन किया गया है।

32. वर्ष के दौरान, समूह या ग्रुप कंपनियों से प्राप्त बकाया पर ब्याज प्रभारित किया गया है और 902.25 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है (पिछले वर्ष 1500.93 लाख भारतीय रुपए)। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड के संबंध में आरंभिक एवं समापन शेष के औसत पर ब्याज लगाया गया है जबकि अलायंस एअर के संबंध में दैनिक आधार पर ब्याज प्रभारित किया गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए लागू ब्याज की दर 9.60 प्रतिशत प्रति वर्ष है (पिछले वर्ष 9.55 प्रतिशत प्रति वर्ष)। एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया है।

33. एचएएलए एआईए जेडबल्यूजी द्वारा साझा रु. 91.00 लाख रुपए का राजस्व वर्ष के दौरान मान्य किया गया है (पिछले वर्ष 91.65 लाख भारतीय रुपए)।

34. lekeyu/ifj"V

क) कंट्रोल लेजर और स्टाफ से संबंधित लेखों सहित कतिपय अनमैच्ड प्राप्यराशियों और देयराशियों के मिलान और मैचिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। मिलान के परिणामस्वरूप उत्पन्न समायोजन मिलान के प्रभाव यदि कोई हो को पूर्ण वर्ष के भीतर किया जाएगा।

ख) कंपनी प्रमुख प्राप्यराशियों और देयराशियों के तुलनपत्र की पुष्टि की मांग की है। तथापि, केवल कुछ पक्षों ने उत्तर दिया है। जहां कही पक्षों द्वारा पुष्टि किए गए शेष बहियों के अनुरूप नही हैं वहां अंतर के मिलान का कार्य चल रहा है।

ग) जीएसटी, स्रोत पर काटे गए कर, आयकर पर रिफंड को फाइल रिर्टन/अनुरक्षित रिकार्डो से मिलाया जाना शेष है।

घ) ग्रुप कंपनियों (होल्डिंग कंपनी सहित) से संबंधित लेखों को पूर्ण कर लिया गया है और शेष पुष्टि प्राप्त कर ली गई है।

35. udn ,oa cSad 'ks"k

वर्ष के अंत में कैश इन हैंड के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया प्राधिकृत पदधारियों द्वारा की गई है। नकद शेष प्रमाण-पत्र संबंधित पदधारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। बैंक शेष का पूरी तरह समाधान किया गया है और बैंक से संपुष्टि प्राप्त की गई है।

36. orlekun; rk,

क) इनपुट क्रेडिट सहित सेवाकर प्राप्त किया जाता है और स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस)ए आयकर के संबंध में प्राप्त होने वाली रिफंड राशि, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)ए व्यवसाय कर एवं एअरपोर्ट रॉयल्टी का मिलान फाइल की गई विवरणी/सांविधिक अभिलेखों के अनुसार किया जा रहा है।

ख) उन सेवाओं के लिए जिन पर कर नहीं लगता हो, के सेनवेट क्रेडिट की वापसी की गणना की जा रही है और न मिलने योग्य इनपुट क्रेडिट को संबंधित खर्च के भुगतान के समय राजस्व में प्रभारित किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट राशि का पता लगाया जा रहा है। समाधान के पूर्णता वर्ष में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

ग) लेखा बहियों के अनुसार 31/3/2018 को कंपनी के पास सेवा कर के अंतर्गत 646.35 लाख रुपए की राशि (पिछले वर्ष 2,125.75 लाख रुपए) है, जिसका समाधान किया जा रहा है।

कंपनी की 31/03/2018 को टीडीएस दायित्व की बकाया राशि 176.58 लाख रुपए (पिछले वर्ष 237.96 लाख रुपए) है। जब कभी बिलों की गणना या भुगतान किया जाता है तो टीडीएस दायित्व को स्वीकृत किया जाता है।

37. लंबित विधिक मामलों में कोई प्रावधान या प्रासंगिक देयताएं नहीं की गई हैं।

38. कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड (एएआई और एमआईएएल) के निदेशानुसार लेवी पर जीएसटी प्रभारित किया है। लेवी के साथ इसकी गणना की जा रही है।

39. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने ग्रुप कंपनियों (एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस एवं एलायंस एअर) को हैंडलिंग सेवाएं प्रदान की हैं। आईओसीसी द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के आधार पर बिल तैयार किए गए हैं और बीजकों के साथ अलग-अलग हैंडलिंग फार्म संलग्न नहीं किए गए हैं, जैसाकि तीसरी पार्टी हैंडलिंग में किया जाता है।

40. निम्नलिखित लेखों के लेजर तुलन-पत्र की अवधि/आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं:

1110002310	ईएस में योगदान
1110002420	श्रम कल्याण कोष
1110002490	वेतन एसयूएच प्रणाली क्लाई
1110002491	वेतन देय गैर ईसीएस
1110002492	वेतन देय-ईसीएस
1110002515	अदेय वेतन और मजदूरी
1110002540	कोर्ट अटैचमेंट
1110002610	यूनियन देय की रिकवरी
1110003000	वृत्ति कर
2212001632	आईएटीए रिचार्ज 2014-15
2212001633	आईएटीए रिचार्ज 2015-16
2212001634	आईएटीए रिचार्ज 2016-17
2214002175	अग्रिम-पूंजी पीयूआर
2214002335	पुनर्प्राप्त करने योग्य प्रभार समान्य
2214006545	कर्मचारी अग्रिम-यात्रा
2214006560	अग्रिम वेतन कर्मचारी भारत
2214006575	रिकवरी योग्य स्टाफ जनरल
2214006580	कर्मचारी दावा रिकवरीज
2214006581	कर्मचारी वेतन दावा ए / सी

41. निम्नलिखित लेजर बैंलेंस को मूल कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा

1109003175	पैक्स कैश रिफंड नया
1109003700	स्टाफ टिकट रेफ. सस्प.
1110002545	मृत्यु राहत निधि
2215002000	इंट अर्जित स्टाफ ऋण
2214006565	स्टाफ अग्रिम गुड एंड नेट कैल
2214006105	ऋण स्टाफ हाउसिंग पीआर
2214006525	त्यौहार अग्रिम

42. lsokfuof`Ÿk ykHk

(I) भविष्य निधि जैसे पारिभाषित अंशदान स्कीमों के योगदान को लाभ और हानि खाते में निम्नानुसार प्रभारित किया जाता है:

भविष्य निधि 35.22 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 32.24 मिलियन रुपए)

(ii) कंपनी भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी इंड एएस 19 के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा तुलन पत्र की तिथि के अनुसार मूल्यांकन के आधार ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृति लाभ प्रदान करती है।

क) सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृति के समय अधिकतम 300 दिनों का छुट्टी नकदीकरण देय है स्थाई कर्मचारियों को अधिकतम 120 दिनों तक के सिक लीव के नकदीकरण का लाभ प्रदान किया जाता है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए छुट्टी नकदी करण देयता 11.92 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 8.65 मिलियन रुपए) है।

ख) पारिभाषित लाभ योजना (अवित्तपोषित)

कंपनी की भारत में एक पारिभाषित लाभ योजना है। कंपनी की पारिभाषित लाभ ग्रेच्यूटी योजना कर्मचारियों के लिए एक अंतिम वेतन योजना है जिसमें एक अलग प्रशासित निधि में योगदान किया जाना अपेक्षित है। कंपनी द्वारा देय होने पर ग्रेच्यूटी अदा की जाती है। वर्ष के दौरान योजना में कोई संशोधनए कटौती और निपटान नही किया गया है।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में अंतरण

<u>xzP;Vh</u>

क) पारिभाषित देयताओं के शेष का समाधान

(jkf'k fefy;u esa)

fooj.k	xzP;Vh – vfoŸkiksf"kr	
	2017-18	**2016-17**
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित दायित्व	1,037.55	1,031.04
ब्याज लागत	74.91	80.42
वर्तमान सेवा लागत	71.98	46.52
पिछली सेवा लागत	40.31	-
नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(181.45)	(175.10)
फंड से किया गया भुगतान	-	-
nkf;Ro iqjokLrfod (ykHk)/uqdlku		
जनसांख्यिकीय धारणा	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन	(30.90)	28.80
अनुभव समायोजन	111.79	25.86
वर्ष के अंत में पारिभाषित लाभ देयताएं	1,124.19	1,037.55

ख) rqyu i= esa Lohd`r jkf'k

(jkf'k fefy;u esa)

fooj.k	xzP;Vh – vfoŸkiksf"kr	
	2017-18	**2016-17**
वर्ष के अंत में देयताएं	(1,124.19)	(1,037.55)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत धनराशि	(1,124.19)	(1,037.55)

ग) हानि/लाभ विवरण में स्वीकृत राशि

(jkf'k fefy;u e)

fooj.k	xP;Vh – vfoŸkiksf"kr	
	2017-18	**2016-17**
वर्तमान सेवा लागत	71.98	46.52
ब्याज लागत	74.91	80.42
पिछली सेवा लागत	40.31	-
ब्याज आय	187.20	126.94

घ) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत धनराशि

(jkf'k fefy;u e)

fooj.k	xP;Vh – vfoŸkiksf"kr	
	2017-18	**2016-17**
अवधि के लिए देयताओं पर वास्तविक (लाभ)/हानियां	80.89	54.67
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
dy	80.89	54.67

ङ) ie[k okLrfod vuqeku

fooj.k	xP;Vh – vfoŸkiksf"kr	
	2017-18	**2016-17**
छूट की दर (%)	7.80%	7.22%
वेतन वृद्धि/मुद्रा स्फिति (%)	5.50%	5.50%
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल (%)	**-**	**-**

p) lonh fo'ys"k.k

महत्वपूर्ण वास्तविक अनुमान की संवेदी विश्लेषण यह दर्शाते है कि 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार वृद्धि और कमी से पारिभाषित लाभ देयताए किस प्रकार प्रभावित होंगी।

(jkf'k fefy;u e)

fooj.k	xP;Vh	
	2017-18	**2016-17**
डिस्काउंटिंग की दर में +1 % परिवर्तन	(49.24)	(48.67)
डिस्काउंटिंग की दर में -1 % परिवर्तन	54.46	53.77
वेतन वृद्धि की दर में +1 % परिवर्तन	53.79	54.15
वेतन वृद्धि की दर में -1 % परिवर्तन	(49.55)	(49.87)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1 % परिवर्तन	4.85	3.86
कर्मचारी टर्नओवर की दर में -1 % परिवर्तन	(5.51)	(4.31)

fpfdRlk

क) ikfjHkkf"kr ykHk n;rkvk dk lek/kku

(jkf'k fefy;u e)

fooj.k	fpfdRlk – vfoÙkiksf"kr	
	2017-18	2016-17
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित दायित्व	1327.5	1205.9
ब्याज लागत	98.9	97.2
वर्तमान सेवा लागत	15.6	17.6
पिछली सेवा लागत		
नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ		
नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(104.1)	(295.5)
फंड से किया गया भुगतान		
दायित्व पर वास्तविक (लाभ) / नुकसान		
जनसांख्यिकीय धारणा		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन	(49.4)	93.7
अनुभव समायोजन	55.0	208.6
वर्ष के अंत में पारिभाषित लाभ देयताएं	1343.5	1327.5

ख) तुलन पत्र में स्वीकृत राशिः

(jkf'k fefy;u e)

fooj.k	fpfdRlk – vfoÙkiksf"kr	
	2017-18	2016-17
वर्ष के अंत में देयताए	(1343.5)	(1327.5)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
तुलन पत्र में स्वीकृत धनराशि	(1343.5)	(1327.5)

ग) हानि/लाभ विवरण में स्वीकृत राशि

(jkf'k fefy;u e)

fooj.k	fpfdRlk	
	2017-18	2016-17
वर्तमान सेवा लागत	15.6	17.6
ब्याज लागत	98.9	97.2
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज आय	-	-
वर्ष के लिए व्यय 114.50	114.80	

घ) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत धनराशि

(jkf'k fefy;u e)

fooj.k	fpfdRlk	
	2017-18	2016-17
अवधि के लिए देयताओं पर वास्तविक (लाभ)/हानियां	5.6	302.3
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
कुल	5.6	302.3

ङ) ie[k okLrfod vueku

fooj.k	fpfdRlk	
	2017-18	2016-17
छूट की दर (%)	7.76%	7,45%
चिकित्सा व्यय स्फिति	4.00%	4.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल (%)	**-**	**-**

च) lonh fo'y"k.k

महत्वपूर्ण वास्तविक अनुमान की संवेदी विश्लेषण यह दर्शाते है कि 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार वृद्धि और कमी से पारिभाषित लाभ देयताए किस प्रकार प्रभावित होंगी।

(jkf'k fefy;u e)

fooj.k	fpfdRlk	
	2017-18	2016-17
डिस्काउंटिंग की दर में +1 % परिवर्तन	(140.3)	(147.9)
डिस्काउंटिंग की दर में -1 % परिवर्तन	171.5	182.0
चिकित्सा लागत स्फिति की दर में +1 % परिवर्तन	176.5	186.7
चिकित्सा लागत स्फिति की दर में -1 % परिवर्तन	(146.2)	(153.6)

43. ifr 'k;j vk;

(jkf'k fefy;u e)

fooj.k	31 ekp] 2018 dk	31 ekp] 2017 dk
करोपरांत लाभ/(हानि) (मिलियन में)	710.482	235.427
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (मिलियन में)	138.424	138.424
ey bih,l vkj ru—r (:i, e)	**5.13**	**1.70**

44. vkLFkfxr dj ifjlifÙk/ (n;rk,) प्रबंधन द्वारा इसकी गणना निम्नानुसार की गई है:

कंपनी ने 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार आगे ले जाई गई कर हानियों और मूल्यह्रास पर अस्थाई अंतर कारण उत्पन्न आस्थगित कर देयताओं की सीमा तक आमेलित न किए गए मूल्यह्रास के कारण उत्पन्न आस्थगित कर देयताओं के रूप में 5.78 मिलियन रुपए की धनराशि स्वीकृत की है जो 31 मार्च 2017 को 25.29 मिलियन रुपए तथा 31 मार्च 2016 को 115.11 मिलियन रुपए थी।

1. dj dh izHkkoh njksa dk lek/kku

कर व्ययों का समाधान और 31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के घरेलू कर दरों से गुणित लाभ/(हानि) की गणना

(jkf'k #i;, esa)

fooj.k	31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ ds fy,		31 ekpZ 2017 dks lekIr o"kZ ds fy,	
	nj (%)	/kujkf'k	nj (%)	/kujkf'k
कर पूर्व लाभ/(हानि)	34.94%	1221.40	34.94%	565.34
कर प्रभावी की दरें *	0%		0%	

* भावी कर योग्य लाभ की युक्तिसंगत निश्चितता न होने के कारण कंपनी ने उक्त अवधि के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को स्वीकृत नहीं किया हैए इसलिए कर की प्रभावी दर शून्य है।

2. आस्थगित कर परिसंपत्ति/ देयताएं

fooj.k	31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy] 2016 dks
vkLFkfxr dj ns;rk,a	97523971	63819346	45114943
vkLFkfxr dj ifjlaifŸk;ka	**103301475**	**89108757**	**160239611**
fuoy vkLFkfxr dj ifjlaifŸk;ka	**5777504**	**25289411**	**115124668**
Property,plant & equipment	0	0	0
Unabsorbed Tax losses & Unabsorbed Depriciation	0	0	0
Other Disallowances	0	0	0
dqy	**5777504**	**25289411**	**115124668**

(jkf'k #i;, esa)

fooj.k	31 ekpZ 2018 dks	31 ekpZ 2017 dks	1 vizSy] 2016 dks
संपदाए संयत्र और उपकरण	0	0	0
आमेलित न की गई कर हानियां और मूल्यह्रास		0	00
अन्य डिसअलाउंस	0	0	0
dqy	5,777,504	25,289,411	115,124,668

3. vLFkkbZ varjksa dk fopyu

(jkf'k #i;, esa)

fooj.k	1 vizSy 2016 dks	vLohdr vLFkkbZ varj	vLohdr dj gkfu;ka	31 ekpZ 2017 dks	vLohdr vLFkkbZ varj	vLohdr dj gkfu;ka	31 ekpZ 2018 dks
	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;

4. vkefyr u fd, x, eY;gkl vkj djkckjh gkfu;k

(#lk, fefy;u e)

fooj.k	vkefyr u fd;k x;k eY;gkl			vkefyr u dh xbZ djkckjh gkfu;k#		
	31 ekpZ 2018 dk	31 ekpZ 2017 dk	1 viSy 2016 dk	31 ekpZ 2018 dk	31 ekpZ 2017 dk	1 viSy 2016 dk
< 4 वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
< 5 वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
< 6 वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
< 7 वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
< 8 वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dqy	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;

#आमेलित न किए गए मूल्यह्रास की आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई समाप्ति अवधि नही होती है।

उपर विचार किए गए आमेलित न किए गए अनप्रयुक्त कर हानियां और मूल्यह्रास कंपनी के कर रिकार्डों और विवरणियों पर आधारित हैं और कर प्राधिकरणों के साथ विवाद/मुकदमें जो विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीन है, के अधीन मामलों के संभावित प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

45. iwath vkj nh?kkof/kd iVfrc) rk,a:

क. पूंजी खाते में कार्यान्वित किए जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित धनराशि निम्नानुसार है:

(#lk, fefy;u e)

fooj.k	31 ekpZ 2018 dk	31 ekpZ 2017 dk	1 viSy 2016 dk
अन्य	'kU;	'kU;	'kU;

46. lcaf/kr i{k yunu

वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय लेखा मानक (इंड एएस-24) में अपेक्षित संबंधित पक्षों के नाम और पदनाम का प्रकटन

d. lcaf/kr i{k:

I. इंड एएस 24 के संबंध में निम्नलिखित पक्ष संबंधित पक्ष हैं जो सरकार से संबद्ध कंपनियां हैं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावी कंपनियां (भारत सरकार):.

Øe l[;k	diuh dk uke	lc/k
1.	एयर इंडिया लिमिटेड	होल्डिंग
2.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई)	सहयोगी अनुषंगी
3.	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल)	सहयोगी अनुषंगी
4.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईईएल)	सहयोगी अनुषंगी
5.	एयरलाइन सहयोगी सेवा लिमिटेड (एएएसएल)	सहयोगी अनुषंगी
6.	एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संबंधित सरकारी इकाइयों के अलावा)	सहयोगी संयुक्त उद्यम

[k. funs'kd eMy

Øe l[;k	funs'kd dk uke	inuke	fVIi.kh
1	श्री प्रदीप सिंह खरोला	सीएमडीए एयर इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष
2	सुश्री गार्गी कॉल	एएस एंड एफएए एमओसीए	सरकार द्वारा नामांकित निदेशक
3.	श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा	जेटी सचिवए एमओसीए	सरकार द्वारा नामांकित निदेशक
4	श्री विनोद हेजमाड़ी	निदेशक (वित्त), एयर इंडिया लिमिटेड	एयर इंडिया नामांकित निदेशक

x. ie[k ic/ku deh

Øe l[;k	ie[k ic/ku deh dk uke	inuke
1.	श्री जे रवि कुमार	मुख्य वित्त अधिकारी
2.	श्रीमती पूनम भरवानी	कंपनी सचिव

?k. lcf/kr i{k yunu

I. मुख्य कार्यकारी अधिकारी को परिलब्धियों और पूर्व मे अपेक्षित लेनदेनों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के कोई नही हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी को परिलब्धि के रूप में 3 मिलियन रु. की धनराशि अदा की गई थी।

ii. एअर लाइन कारोबार के सामान्य क्रम में एअरलाइन संबंधी सेवाओं जैसी सेवाओं को उपर शामिल नहीं किया गया है।

iii. वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों के साथ कोई ऋण या जमा लेनदेन अतिदेय थे।

iv. एएस 24 के संदर्भ में सरकार से संबंधित अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावी कंपनियां (भारत सरकार) और सरकार संबंधित पक्षों के अलावा कंपनियों के साथ लेनदेन से संबंधित अपेक्षाओं का प्रकटन निम्नानुसार है:

Øe l [;k	dEiuh dk uke vkj ysunsu dh i`—fr	2017-18 (fefy ;u #Ik, eas)	2016-17 (fefy ;u # i , es)
1.	, ;j bafM ;k fyfeVsM (, vkbZ, y) vk; dh izd`fr i`Fkr कंपनी की ओर से अर्जित आय कर्मचारी लागत की प्रतिपूर्ति	670.80	1073.10
	0; ; सेवा लागत मैन पावर बिलिंग ब्याज बीमा व्यय सुरक्षा शुल्क एस ओ डी / एसओएल नैगमिक प्रतिभूति fy ;k x ;k _ .k pqdk ;k x ;k _ .k Dykst x 'ks"k	973.04	881.69
	, ;j bafM ;k bat hfu ;fjx lfoZ l st fyfeVsM (, vkbZ, l , y) 0; ; अन्य मरम्मत (इंजीनियरिंग लागत) ब्याज vU ; ग्रेच्युटी का स्थानांतरण और छुट्टी नकदीकरण व्यय की प्रतिपूर्ति कर्मचारी लागत की कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति करने से भारित व्यय fy ;k x ;k _ .k pqdk ;k x ;k _ .k Dykst x 'ks"k	'kU ;	'kU ;
	, ;j bafM ;k ,Dl iszl fyfeVsM (, vkbZbZ, y) 0; ; हैंडलिंग प्रभार ब्याज Dykst x 'ks"k	'kU ;	'kU ;
	, ;j bafM ;k , l ,Vh, l , ;j iksVZ lfoZ l st ikboZV fyfeVsM (, vkbZ, l ,Vh, l) 0; ; हैंडलिंग प्रभार Dykst x 'ks"k	'kU ;	'kU ;

47. dkjiksjsV vuqikyu

कंपनी अधिनियमए 2013 की धारा 149(4) के अनुसार कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है, परिणाम स्वरूप लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नही है। धारा 177(2) तथा धारा 178 के अधीन क्रमशः कोई परिलब्धि समिति नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरानए कंपनी ने कारपोरेट सोशल उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर कार्यकलापों हेतु 180.13 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के लिए 140 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था जिसमें से 84 लाख रुपए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए।

48. कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

foÙkh; o"kZ **2017-18** ds nkSjku vftZr fons'kh fofue;	**23,902,845** vejhdh Mkyj
foÙkh; o"kZ **2017-18** ds nkSjku fons'kh eqnzk dk O;; (vk;kr ds Hkqxrku ds fy,)	**1,07,14,483** vejhdh Mkyj
fuoy fons'kh fofue; vk;	'kwU;

49. lsxesaV fjiksfVZax

क. इंड एएस 8 के संदर्भ में कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग कारोबार कर रही है जो इसका प्रमुख कारोबार खंड है और इसलिए सेगमेंट परिणाम अलग से प्रकट नहीं किए जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र वार अर्जित सकल हैंडलिंग राजस्व (उस क्षेत्र को राजस्व आवंटित करके जंहा ये कार्य किया गया था, से प्राप्त) का विवरण नीचे दिया गया है:

(#i;s, fefy;u esa)

fooj.k	foÙkh; o"kZ-***2017– 18***	foÙkh; o"kZ-***2016– 17***	foÙkh; o"kZ ***- 2015 – 16***
भारत	6669.55	5967.90	5943.02
dqy	**6669.55**	**5967.90**	**5943.02**

कंपनी की प्रमुख राजस्व आय परिसंपत्ति ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण हैं जो इसके रूट नेटवर्क में अनुकूल और इष्टतम रूप में तैनात किए गए हैं। भौगोलिक सेगमेंट के अनुरूप परिसंपत्तियों और देयताओं के आवंटन का कोई उपयुक्त आधार नहीं है इसलिए क्षेत्र-वार परिसंपत्ति और देयता को प्रकट नहीं किया गया है।

50. ys[kkijh{kdksa dk ikfjyfC/k;ka

लेखा परीक्षकों का लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय निम्नानुसार है:-

(#i;s, yk[k esa)

fooj.k	**2017-18**	**2016-17**
लेखा परीक्षा शुल्क – वर्ष के लिए	5.60	4.00
आउट ऑफ पाकेट व्यय*	0.93	0.00
dqy	6.53	4.00

*भुगतान आधार पर गणना की गई है।

51. mfpr eY; ekiu vkj foÙkh; fy[kr

d. foÙkh; fy[kr- Js.kh vkj mfpr eY; vuØe dk vuqlkj

निम्नलिखित तालिका आगे ले जाई गई राशि और वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के साथ उचित मूल्य क्रम में उनका स्तर दर्शाता है।

(i) 1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार

fooj.k	ogu eY;				mfpr eY; ekiu		
	,QohVh ih,y	,QohVh vkslhvkbZ	e|nhdj.k ykxr	dqy	Lrj 1	Lrj 2	Lrj3
foÙkh; lifÙk							
xSj orZeku							
orZeku							
कारोबार प्राप्य*			2,761.15	2,761.15	-	-	-
नकद और नकद समकक्ष *		551.06	551.06	-	-	-	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			14.31	14.31	-	-	-
dqy			**3326.52**	**3326.52**	-	-	-
foÙkh; n;rk,a							
xSj orZeku							
अन्य			3.07	3.07	-	-	-
orZeku							
व्यापार देनदारिया*			315.87	315.87	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं		837.16	837.16				
dqy			**1,156,10**	**1,156.10**	-	-	-

(ii) 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार

fooj.k	ogu eY;				mfpr eY; ekiu		
	,QohVh ih,y	,QohVh vkslhvkbZ	e|nhdj.k ykxr	dqy	Lrj 1	Lrj 2	Lrj3
foÙkh; ifjlifÙk							
xSj orZeku							
orZeku							
कारोबार प्राप्य*			3,026.77	3,026.77	-	-	-
नकद और नकद समकक्ष*			173.75	173.75	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया			37.46	37.46	-	-	-
dqy			**3,237.98**	**3,237.98**	-	-	-

fooj.k	ogu eY;				mfpr eY; ekiu		
	,QohVh ih,y	,QohVh vkl hvkbZ	eqnhdj.k ykxr	dqy	Lrj 1	Lrj 2	Lrj 3
foŸkh; n;rk,¡							
xSj orZeku							
अन्य			3.07	3.07	—	—	—
orZeku							
व्यापार देनदारिया*			488.09	488.09	—	—	—
अन्य वित्तीय देयताए			1,161.20	1,161.20			
dqy			**1,652.36**	**1,652.36**	—	—	—

(iii) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार

fooj.k	ogu eY;				mfpr eY; ekiu		
	,QohVh ih,y	,QohVh vkl hvkbZ	eqnhdj.k ykxr	dqy	Lrj 1	Lrj 2	Lrj 3
foŸkh; ifjlaifŸk							
xSj orZeku							
orZeku							
कारोबार प्राप्य*			3,148.65	3,148.65	-	-	-
नकद और नकद समकक्ष *			228.40	228.40	-	-	-
अन्य वित्तीय संपत्तियां			0.93	0.93	-	-	-
dqy			**3,377.98**	**3,377.98**	-	-	-
foŸkh; n;rk,¡							
xSj orZeku							
अन्य			2.55	2.55	-	-	-
orZeku							
व्यापार देनदारिया*			125.87	125.87	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं			1,492.41	1,492.41			
dqy			**1,620.83**	**1,620.83**	**-**	**-**	**-**

* कारोबार प्राप्य, कारोबार देय, नकद और नकद समतुल्य और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति, उचित मूल्य का अनुमान अपने अल्पाविधक प्रकृति के कारण देय हैं।

ऋणों के लिए उचित मूल्य की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके छूट प्राप्त नकदी प्रवाह के आधार पर किया गया है। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क सहित आमेलित न किए जाने योग्य होने के कारण उचित मूल्य पदक्रम मे लेवल 3 के रूप में बर्गीकृत किया गया है।

x. mfpr eY; vuØe

उचित मूल्य अनुक्रम इनपुट मूल्यांकन तकनीकियों पर आधारित है जो उचित मूल्य का मापन करने के लिए प्रयुक्त की गई है जो आमेलित किए जाने योग्य हैं या नही और इसमे निम्नलिखित 3 लेवल शामिल हैं:

लेवल 1: इनपुट प्रमुख परिसंपत्तियों और देयराशियों के लिए सक्रिय बाजार में कोट किया हुआ मूल्य (असमायोजित) हैं।

लेवल 2: इनपुट लेवल 1 के भीतर कोट न किए हुए मूल्य के अलावा हैं जो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्य) या अप्रत्यक्ष (मूल्य से उत्पन्न) रूप से परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए आमेलित किए गए हैं।

लेवल 3: इनपुट आमेलित किए जाने योग्य मार्केट डाटा पर आधारित हैं। उचित मूल्य का निर्धारण इस अनुमान पर आधारित माडल का प्रयोग करके पूर्ण या इसके भाग के रूप में किया गया है जो न तो समान लिखत में आमेलित किए जाने योग्य वर्तमान बाजार लिखत के मूल्य से समर्थित हैं और न ही ये उपलब्ध बाजार डाटा पर आधारित हैं।

52. foÙkh; tkf[ke icU/ku vkj uhfr;k

कंपनी को वित्तीय विवरणों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का सामना होता है:

I. ऋण जोखिम

ii. नकदी जोखिम

iii. बाजार जोखिम

क. विदेशी मुद्रा और ख. ब्याज दर

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देयराशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख उद्देश्य प्राप्य राशियों और नकद तथा नकदी समतुल्य को वित्तपोषित करना है जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनो से उत्पन्न होता है।

कंपनी उधार जोखिमए नकदी जोखिम और बाजार जोखिम का सामना करती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र इन जोखिमो का प्रबंधन की निगरानी करता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए इनकी समीक्षा करता है तथा इनके लिए नीतियों का अनुमोदन करता है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(I) _.k tkf[ke

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत पर दर्ज कोई काउंटर पार्टी अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल होता है।

कंपनी अपने प्रचालन कार्यकलापों (प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्य राशियां) तथा बैंको और वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय लिखतों मे जमा सहित अपने निवेश कार्यकलापों से जोखिम का सामना करती है।

रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का अधिक प्रभाव प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्य राशियों से है। व्यापार प्राप्य राशियां मुख्यत: गैर जमानती होती हैं जो ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। कंपनी जिस क्षेत्र में प्रचालन करती है उसकी निगरानी

करती है। कंपनी ऋण अनुमोदनए   ऋण सीमा निर्धारित करके तथा ग्राहक जिनको कंपनी कारोबार के सामान्य क्रम में ऋण प्रदान करती हैए की ऋण योग्यता की सतत निगरानी करके इसका प्रबंधन करती है।

इंड एएस 109 का अंगीकरण करके कंपनी हानि या लाभ का आकलन करने के लिए अनुमानित ऋण हानि माडल का उपयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य राशियों के लिए अनुमानित ऋण हानि अनुमति की गणना करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान मैट्रिक्स में ग्राहकों के साथ कंपनी के पिछले अनुभव जैसे उपलब्ध आंतरिक ऋण जोखिम कारक को ध्यान में रखा जाता है। कंपनी के कारोबार प्रचालन वातावरण के आधार पर प्रबंधन विचार करता है कि व्यापार प्राप्य राशियों में (सरकारी विभागों से प्राप्त राशियो के अलावा) चूक (ऋण दुर्बल) की संभावना है यदि भुगतान पिछले 36 महीनों से देय है।

वर्ष की समाप्ति पर व्यापार प्राप्य राशियों में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से अर्जित राजस्व से संबंधित 3146.65 मिलियन रूपए (31 मार्च 2017 के लिए 3026.77 मिलियन रूपए और 1 अप्रैल 2016 के लिए 2761.15 मिलियन रूपए) शामिल हैं।

कंपनी का ऋण जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार है:

(#lk, fefy;u esa)

fooj.k	31/03/2018 dks		31/03/2017 dks		01/04/2016 dks	
	ldy dkjç;x jkf'k	gkfu vykmal	ldy dkjç;x jkf'k	gkfu vykmal	ldy dkjç;x jkf'k	gkfu vykmal
बकाया ऋण नोट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बकाया ऋण3,146.65	शून्य	3,026.77	शून्य	2,761.15	शून्य	

व्यापार प्राप्य राशियों के संदर्भ में नुकसान की मद मे विचलन:

fooj.k	31ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ ds fy,	31ekpZ 2017 dks lekIr o"kZ ds fy,
वर्ष के आरंभ में शेष	'kwU;	'kwU;
वर्ष के दौरान विचलन	'kwU;	'kwU;
वर्ष की समाप्ति पर शेष	'kwU;	'kwU;

(ii) udnh tksf[ke

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा करने में सामने आता है और जिसे नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रदायगी द्वारा निपटाया जाना होता है।

कंपनी का दृष्टिकोण कंपनी को गैर जरूरी हानि के बिना और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य और दबाव दोनों ही परिस्थितियों में देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी रखना है।

कंपनी का विश्वास है कि कुल नकद (बैंक जमा लियन सहित और इस पर भारित ब्याज जो देय न हो),   प्रचालनों से सृजित निधि के आंतरिक भावी अनुमान और इसके पूर्ण उपलब्ध आहरित न किए गए रिवाल्विंग ऋण सुविधा शून्य (31 मार्च 2017 शून्य रूपएय 1 अप्रैल 2016 शून्य रूपए) सहित इसकी वित्तीय स्थिति कंपनी को कारोबार के सामान्य क्रम में इसकी भावी ज्ञात देयताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएगी। तथापिए   यदि नकदी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो

कंपनी को भरोसा है कि वह वित्तीय व्यवस्थाओंए भारमुक्त परिसंपत्तियो के मूल्य प्राप्त करके चालू पूंजी, प्रचालन और नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने मे समर्थ होगी। कंपनी नकदी और आवश्यक पूरक नकदी अपेक्षाओं को अधिकतम बनाकर विभिन्न उधार और लिजिंग विकल्पों को अपनाना जारी रखेगी।

प्रबंधन की निगरानी के अधीन कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- भावी नकदी प्रवाह की निगरानी से दैनिक वित्तपोषण का प्रबंध करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- अनुमानिक नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति के रोलिंग अनुमान को बनाए रखना।
- विविध ऋण लाइनों को बनाए रखना।

udnh tkf[ke iHkko

निम्न विवरण रिपोर्टिंग डाटा पर वित्तीय विवरणों की शेष संविदागत परिपक्वताएं के बारे में है। संविदागत नकदी प्रवाह राशि सकल डिस्काउंट रहित है तथा इसमें भारित ब्याज जो देय नही है, शामिल है।

31 ekp] 2018 dk	dj;x jkf'k	lafonkxr udnh iokg				
		1 o"k rd	1-3 o"k	3-5 o"k	5 o"k l vf/kd	dy
xj orekku						
अन्य	2.55				2.55	2.55
orekku						
व्यापार प्राप्य	125.81	125.81				125.81
अन्य वित्तीय देयताएं	1492.41	1492.41				1492.41

31 ekp] 2018 dk	dj;x jkf'k	lafonkxr udnh iokg				
		1 o"k rd	1-3 o"k	3-5 o"k	5 o"k l vf/kd	dy
xj orekku						
अन्य	3.07				3.07	3.07
orekku						
व्यापार प्राप्य	488.09				488.09	488.09
अन्य वित्तीय देयताएं	1161.20	1161.20				1161.20

31 ekpZ 2018 dks	dqy ;kx jkf'k	lafonkxr udnh izokg				
		1 o"kZ rd	1-3 o"kZ	3-5 o"kZ	5 o"kZ ls vf/kd	dqy
xSj orZeku	3.07				3.07	3.07
अन्य orZeku						
व्यापार प्राप्य	315.87	315.87				315.87
अन्य वित्तीय देयताएं	837.16	837.16				837.16

(iii) cktkj tksf[ke

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह का मान उपर नीचे होता है। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं नामत: मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को अधिकतम बनाकर स्वीकार्य पैरामीटरों के भीतर बाजार जोखिम प्रभाव को प्रबंधित करना और नियंत्रित करना है।

d. C;kt nj tksf[ke

ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी ने कोई उधार नहीं लिया है।

[k. eqnzk tksf[ke

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर मौजूदा विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव के प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब प्रचालन मुद्रा और कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों से प्राप्त अन्य मुद्रा के बीच विनिमय दरों में उतार-चढाव होता है।

fons'kh eqnzk tksf[ke dk izHkko

31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 तथा 1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार मुद्रा जोखिम का कंपनी पर प्रभाव के बारे में परिणामात्क डाटा का सारांश भारतीय रूपए में नीचे दिया गया है:

31 ekpZ **2018** dh fLFkfr ds vuqlkj

(#i, fefy;u esa)

fooj.k	Mkyj	;wjks	thchih	,bZMh	,uihvkj	vks,evkj	,l thMh	Vh,lch	lh,p,Q	D;w,vkj	,;wMh
वित्तीय परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
व्यापार प्राप्य	142.92	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नकद और नकद तुल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**142.92**	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;

fooj.k	Mkyj	;wjks	thchih	,bZMh	,uihvkj	vk,evkj	,l thMh	Vh,lch	lh,p,Q	D;w,vkj	,;wMh
वित्तीय देयताए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उधार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य वित्तीय देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
व्यापार देनदारियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dqy foŸkh; n;rk,	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;

31 ekpZ 2017 dh fLFkfr ds vuqlkj

(#lk, fefy;u esa)

fooj.k	Mkyj	;wjks	thchih	,bZMh	,uihvkj	vk,evkj	,l thMh	Vh,lch	lh,p,Q	D;w,vkj	,;wMh
वित्तीय परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
व्यापार प्राप्य	187.99	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नकद और नकद तुल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dqy foŸkh; ifjlEifŸk;k	**187.99**	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;
वित्तीय देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उधार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य वित्तीय देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
व्यापार देनदारियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dqy foŸkh; n;rk,	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;

31 ekpZ 2016 dh fLFkfr ds vuqlkj

(#lk, fefy;u esa)

fooj.k	Mkyj	;wjks	thchih	,bZMh	,uihvkj	vk,evkj	,l thMh	Vh,lch	lh,p,Q	D;w,vkj	,;wMh
वित्तीय परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
व्यापार प्राप्य	236.66	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नकद और नकद तुल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dqy foŸkh; ifjlEifŸk;k	**236.66**	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;

fooj.k	Mkyj	;jk	thchih	,bMh	,uihvkj	vk,evkj	,lthMh	Vh,lch	lh,p,Q	D;,vkj	,;Mh
वित्तीय देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उधार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य वित्तीय देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
व्यापार देनदारियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dy foŸkh; n;rk,	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;

lonh fo'y"k.k

रिपोर्टिंग तिथि को भारतीय रूपए के प्रति अमरीकी डालर के मूल्य में 5 प्रतिशत की मजबूती या कमी ने अमरीकी डालर में निर्दिष्ट लाभ और हानि तथा वित्तीय लिखत के मापन को प्रभावित किया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि सभी अन्य चर राशियां विशेष रूप से ब्याज दर समान रहेगा और इसमें भावी बिक्री या प्रापण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय रूपए का प्रभाव (कर पूर्व)	ykHk ;k gkfu	
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	etcrh	deh
5% विचलन	(+) 168,94,447	(-) 168,94,447
अमरीकी डालर	(+) 274,883	(-) 274,883

भारतीय रूपए का प्रभाव (कर पूर्व)	ykHk ;k gkfu	
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	etcrh	deh
5% विचलन	**(+) 98,92,750**	**(-) 98,92,750**
अमरीकी डालर	**(+) 164,850**	**(-) 164,850**

हमारी संमसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और की ओर से

tu ,M tu
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 103869डब्ल्यू

हस्ता/-
lh, ftEeh lB
(सहयोगी) एम नं. 122280
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर, 2108

निदेशक की ओर से और उनके लिए

हस्ता/-
(inhi [kjkyk)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(foukn gt ekMh)
निदेशक

हस्ता/-
(t-oh- jfo dekj)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(d. , d 'kek)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
(iue Hkjokuh)
कंपनी सचिव